जनवरी 2023

मूल्य : ₹ 22

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

सहकारिता

PERFECTION
IAS

PRELIMS TEST SERIES

FOR BPSC 68 SCHEDULE

Test No.	Date	Day	Subject
1.	04 Dec. 2022	Sunday	Ancient + Medieval History
2.	10 Dec. 2022	Saturday	Modern History
3.	11 Dec. 2022	Sunday	General Science
4.	17 Dec. 2022	Saturday	Indian Polity
5.	18 Dec. 2022	Sunday	Economy & Geography
6.	24 Dec. 2022	Saturday	Bihar Special + Economic Survey & Budget & Forest Survey + Census
7.	25 Dec. 2022	Sunday	Current Affairs (Jan to May)
8.	07 Jan. 2023	Saturday	Current Affairs (June to Dec)
9.	08 Jan. 2023	Sunday	Full Mock Test 1
10.	14 Jan. 2023	Saturday	Full Mock Test 2
11.	21 Jan. 2023	Saturday	Full Mock Test 3
12.	22 Jan. 2023	Sunday	Full Mock Test 4
13.	28 Jan. 2023	Saturday	Full Mock Test 5
14.	29 Jan. 2023	Sunday	Full Mock Test 6
15.	04 Feb. 2023	Saturday	Full Mock Test 7

Note:
- Test Series will be Bilingual
- Online and Offline modes
- Explanation will be provided
- All India Ranking
- On the Updated BPSC Pattern

Patna Office
103, Kumar Tower, Boring Road, Crossing, Patna, Bihar

Delhi Centre
Ist floor 1(B), Metro Tower, Gate No.8, Karol Bagh Metro Station, Pusa Road, New Delhi

Muzaffarpur Centre
Shakuntala Complex, Kalwari Compound, Chakar Chowk, Muzaffarpur, Bihar

Purnia Centre
1st First floor, Gupta Bhavan, Opp. Mahavir Ashthan, Madhubani Bazar, Purnia, Bihar - 854301

9155087930, 8340325079, 8271411177
www.perfectionias.com perfectionias@gmail.com

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

वर्ष : 69 ★ मासिक अंक : 03 ★ पृष्ठ : 52 ★ पौष–माघ 1944 ★ जनवरी 2023

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 0 03

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई–पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या Amazon पर लॉग–इन करें।

वार्षिक साधारण डाक: ₹ 230

ट्रैकिंग सुविधा के साथ: ₹ 434

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003

नोटः सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई–मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाषः 011–24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

'सहकार से समृद्धि' मिशन होगा साकार — 5
–अमित शाह

सहकारी उद्यमिता और सामुदायिक विकास — 12
–डॉ इशिता जी त्रिपाठी

सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी — 17
–डॉ. नीलम पटेल, डॉ. तनु सेठी

कृषि सहकारिता के विविध आयाम — 21
–मंजुला वाधवा

मिलेट्सः स्मार्ट सुपर फूड — 26
–डा. वीरेन्द्र कुमार

सूचना प्रौद्योगिकीः सहकारिता का नया दौर — 32
–अरविंद कुमार मिश्रा

भारत में डेयरी सहकारिता — 39
–डॉ. जगदीप सक्सेना

सहकारिता से ग्रामीण समृद्धि — 44
–गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी–विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं–1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र–ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	4–सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079–26588669

संपादकीय

पिछले कुछ वर्षों में हमारे गाँव आत्मनिर्भरता के विविध मार्गों पर बढ़ते हुए नई करवट ले रहे हैं। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के प्रेरक प्रतिमान हमारे सामने हैं। खेत और खलिहान से निकली आर्थिक बदलाव की बयार के पीछे सहकारिता प्रमुख उत्प्रेरक है। आधुनिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमारे यहां सहकारिता का इतिहास लगभग 120 वर्ष पुराना है। प्राचीन ग्रंथों, प्रागैतिहासिक व पुरातात्विक अभिलेखों में सहकारिता की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी बताई गई हैं।

सहकारिता मानव जीवन के उत्थान के लिए अपनाई जाने वाली वह कार्य संस्कृति है, जिसमें सबकी भागीदारी एवं सह–स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है। आज भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं जो करीब 30 करोड़ सदस्यों के साथ देशभर में फैली हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्यपालन, आवासन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं। सामूहिक भागीदारी पर चलने वाली इन सहकारिताओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ग्रामीण भारत के 98 प्रतिशत हिस्से तक सहकारी समितियों ने अपनी पहुँच बना ली है। और देश में 13 प्रतिशत रोज़गार प्रत्यक्ष रूप से सहकारिताओं द्वारा सृजित किए जा रहे हैं।

सहकारिता से ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण की यात्रा श्वेत क्रांति और हरित क्रांति से शुरू होती है। गुजरात के आणंद से प्रारंभ हुआ दुग्ध सहकारी समिति का एक प्रयोग आज अमूल के रूप में विश्व का सबसे सफल सहकारिता मॉडल बन चुका है। भारत में लगभग हर राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का नेटवर्क विकसित हो चुका है। देश में 2 लाख सहकारी डेयरी सोसायटी हैं। ये किसानों को खेती के साथ ही आय का अतिरिक्त विकल्प मुहैया करा रही हैं।

वनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर में गुणवत्ता प्रदान करने में सहकारिताओं का अभूतपूर्व योगदान है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के ज़रिए वनांचल में रहने वाले समाज में सामुदायिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्राइफेड जनजातियों को उत्पाद बेचने के लिए बाज़ार उपलब्ध कराने के साथ वनोपज के विकास में सहयोग प्रदान कर सामाजिक सशक्तीकरण के प्रयास को मज़बूत कर रहा है। सहकारिता के ज़रिए सही मायनों में ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम सहकारी समिति जैविक खाद से लेकर दूध, खाद, चीनी, शहद, ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

सामाजिक सशक्तीकरण का कोई भी प्रयास आर्थिक सुरक्षा के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इस दिशा में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां और सहकारी बैंक महती भूमिका निभा रहे हैं। देश में पैक्स की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। किसान क्रेडिट कार्डों में 67 प्रतिशत अनुपात सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का है। सहकारिता के ज़रिए रखी जा रही ग्रामोदय की बुनियाद को और मज़बूती देने के लिए कृषि व उससे संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता को पहचानना होगा।

दुग्ध उत्पादन हो या हरित क्रांति, नवाचार और तकनीक अपरिहार्य घटक रही हैं। गाँव से निकले उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रान्डिंग से 'वोकल फॉर लोकल' को नई ऊंचाई मिलेगी। सहकारिता परंपरागत कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउसिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना के सुखद परिणाम सामने हैं। आज देश में अस्पताल सहकारी समितियां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, ज़मीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मज़बूत करना और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना है। नई नीति देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होगी। मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारी समितियों के चहुँमुखी विकास और उन्हे आवश्यक सहयोग देने, प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में लागू की गई थी।

संक्षेप में, ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावी उपक्रम बनी सहकारिताएं गाँवों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आवरण को टिकाऊ बना रही हैं। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि पर सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारवाद को नई ऊंचाई दी है। उम्मीद करते हैं कि सहयोग और समन्वय की भावना पर टिकी सहकारिता की सोच ग्रामीण जन–जीवन ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी।

सभी पाठकों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं

'सहकार से समृद्धि' मिशन होगा साकार

– अमित शाह

सामुदायिक स्तर पर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की माँगों को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय और बहु–आयामी सामुदायिक व्यावसायिक इकाइयों में बदलने का समय आ गया है। भारत की सर्व–समावेशी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए सहकारिता विकास पर त्वरित, समयबद्ध एवं व्यापक और परामर्शी कार्ययोजना की आवश्यकता है। यह कार्य कठिन प्रतीत होता है लेकिन प्राप्य है। केंद्र और राज्य सरकारों, सहकारिता आंदोलनों के नेताओं और संघीय प्रमुखों के सामूहिक प्रयास निःसंदेह हम सभी को 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट लाएंगे।

'सहकारिता' में मानव सभ्यता के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत सम्मिलित हैं – 'सह' और 'कार्य' जिसका अर्थ है एक सर्व–समावेशी पद्धति के अनुरूप परिणाम–उन्मुख गतिविधियों की उपलब्धि। सहकारी समितियों के पास जनसाधारण को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं सुलभ कराने और एक स्थायी और उन्नत विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमताएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सात दशकों में राज्यों में सहकारी समितियों का असमान वितरण देखा गया है जो सहकारिता आंदोलन के विस्तार की अपार संभावना को दर्शाता है। सहकारी समितियों के योगदान का हमारे प्रधानमंत्री के पांच ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्य प्राप्ति पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। सामुदायिक स्तर पर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की माँगों को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय और बहु–आयामी सामुदायिक व्यावसायिक इकाइयों में बदलने का समय आ गया है। भारत की सर्व–समावेशी सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए सहकारिता विकास पर त्वरित, समयबद्ध एवं व्यापक और परामर्शी कार्ययोजना की आवश्यकता है। यह कार्य कठिन प्रतीत होता है लेकिन प्राप्य है। केंद्र और राज्य सरकारों, सहकारिता आंदोलनों के नेताओं और संघीय प्रमुखों के सामूहिक प्रयास निःसंदेह हम सभी को 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट लाएंगे।

परिचय और पृष्ठभूमि

'सहकारिता' सदियों से हमारे राष्ट्र की विचारधारा का अभिन्न अंग रही है। भारत सहकारी नेतृत्व वाली समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिए प्रयासरत है। देश के सहकारी क्षेत्र ने हमेशा अपने सदस्य–संचालित और सर्व–समावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसमें कृषि और औद्योगिक आगत सेवाओं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण और सामुदायिक भंडारण जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, डेयरी, वस्त्र उद्योग, उपभोक्ता, आवास, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कई अन्य गतिविधियों के लिए वस्तुओं व सेवाओं को समय पर, पर्याप्त और गंतव्य स्थल (डोर–स्टेप) पर पहुँचाने की गति को बढ़ाने के लिए समुचित और ठोस प्रयास सुनिश्चित करने की आवश्यक क्षमता है।

लेखक भारत सरकार में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई–मेलः minister-coop@gov.in

तालिका–1: सहकारिता के सात स्वर्णिम सिद्धांत

1	स्वैच्छिक और खुली सदस्यता	सहकारी समितियां स्वैच्छिक संगठन हैं जहां सदस्यता बिना किसी पक्षपात के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है।
2	सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण	सहकारी समितियां सदस्य–संचालित और सदस्य–नियंत्रित लोकतांत्रिक इकाइयां हैं। सदस्य अपनी नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में सदस्यों को 'एक सदस्य–एक वोट' के मानदंड के अनुरूप समान मतदान अधिकार होते हैं।
3	सदस्यों की आर्थिक भागीदारी	सदस्य अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनी सहकारी समिति की पूंजी में समान रूप से योगदान देते हैं और उसका नियंत्रण और उपयोग करते हैं।
4	स्वायत्तता और स्वतंत्रता	सहकारी समितियां स्वायत्त संगठन हैं और लोकतांत्रिक नियंत्रणों के माध्यम से अपनी सहकारी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए स्वयं सहायता में विश्वास करती हैं।
5	शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना	सहकारी समितियां अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मियों को अपनी इकाइयों की विकास मुहिमों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
6.	सहकारी समितियों के बीच सहयोग	सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कुशल सेवा सहायता प्रदान करती हैं और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के माध्यम से साथ मिलकर काम करके सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करती हैं।
7	समुदाय के लिए सरोकार	सहकारी समितियों का एक प्रमुख उद्देश्य उचित नीतिगत उपायों को अपनाकर अपने समुदायों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना है।

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन
[http://www.ica.coop/en/cooperatives /cooperative-identity पर उपलब्ध]

भारत को आज अपनी पिछली गौरवशाली उपलब्धियों पर अभिमान है और वह अभाव–मुक्त और सामाजिक–आर्थिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाने के मार्ग तलाश रहा है। ऐसे समय पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव और भारत@75 मना रहे हैं, हमें सहयोग के रचना–तंत्र के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। सहकारी समितियों को सार्वभौमिक रूप से सामाजिक और आर्थिक नीति के एक आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है और इनमें आजीविका सुरक्षा और रोज़गार में वृद्धि के साथ समग्र आर्थिक समृद्धि के प्रयासों को मज़बूत करने की क्षमता निहित है। इनमें जनसाधारण के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने और एक स्थायी एवं उन्नत विकास वातावरण सुनिश्चित करने की अपार संभावनाएं हैं। हमें अपनी सहकारी समितियों की ताकत की सराहना करनी चाहिए और उसे मान्यता देनी चाहिए। ये पूंजी–केंद्रित संगठनों के बजाय जन–केंद्रित संगठन हैं और अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एकजुटता के साथ–साथ समुदाय–स्तर पर व्यावसायिक समझ–बूझ पैदा करते हैं और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाते हैं। ये सात स्वर्ण सिद्धांतों से संचालित होते हैं। (तालिका–1)

नए मंत्रालय का गठन – एक ऐतिहासिक कदम

भारत में सहकारी समितियों का समृद्ध इतिहास रहा है। कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़मीनी स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हुए सहयोग की मूल विचारधारा का पालन करते थे। उनके पथ–प्रदर्शक कार्यों में देश में डेयरी सहकारी आंदोलन का प्रसार शामिल है जब श्री त्रिभुवनदास पटेल के माध्यम से उन्होंने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) की संस्थापना की और यह कार्य, सामूहिक, प्रयासों के माध्यम से, किसान सहकारी समितियों का गठन, दूध का उत्पादन और विपणन करके संभव हुआ। सरदार पटेल की यह छोटी पहल अब एक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड बन गया है।

सहकारिता का समृद्ध भारतीय इतिहास और इस क्षेत्र की अंतर्निहित सामाजिक–आर्थिक क्षमता के बावजूद पिछले 74 वर्षों की स्वतंत्र शासन प्रणाली के दौरान यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संचालन संरचना सुनिश्चित नहीं कर सकी। इस लिहाज से भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए 6 जुलाई, 2021 हमेशा के लिए

> भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए 6 जुलाई, 2021 हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ निर्णय लिया और समस्त देश में सहकारिता आंदोलन के विकास को सक्षम बनाने और विस्तार प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ निर्णय लिया और समस्त देश में सहकारिता आंदोलन के विकास को सक्षम बनाने और विस्तार प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। हम सहकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को उचित नीतिगत मान्यता देने के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाने की काफी समय से लंबित मांग को पूरा कर सके।

सहकारिता मंत्रालय के सहकारी समितियों को एक सहायक और सक्षम नीतिगत ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। 1904–05 के सहकारिता कानून एक शताब्दी से भी अधिक पुराने हैं। सहकारिता की विचारधारा हमारे लिए नयी नहीं है और भारत की सभ्यता और समाज सहकारिता के सिद्धांतों पर विकसित हुए हैं। हम पाते हैं कि महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के हर भाग में कार्य सहयोग की विचारधारा के इर्द–गिर्द होता है। साथ ही, सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास के लिए एक आर्थिक मॉडल बनाने और गरीब लोगों को रोज़गार प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभायी है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए कुछ स्थानों पर सहकारिता की मदद से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक नया आर्थिक मॉडल तैयार करने का प्रयास किया गया था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, विशेष रूप से सरदार पटेल के प्रयासों, से सहकारिता आंदोलन ने देश के विभिन्न भागों में अपने पंख पसारते हुए अधिक गति प्राप्त की। लेकिन यदि हम कालानुक्रमिक रूप से देखें तो सहकारिता आंदोलन 1960–70 के दशक के आसपास गतिहीन हो गया था। साथ ही, राज्यों में सहकारी क्षेत्र की वृद्धि एक समान नहीं थी जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में सहकारी समितियों की संख्या अधिक हो गई।

एनसीयूआई 2018 के आँकड़ों के अनुसार 739 ज़िलों में 8.54 लाख सहकारी समितियां मौजूद हैं (तालिका–2)। तालिका में प्रस्तुत ज़िलेवार आँकड़ों से 20 प्रमुख राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारिता आंदोलन का अनियमित और असमान प्रसार स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रति ज़िले में औसतन 1,156 सहकारी समितियां हैं। एक तरफ सात राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल में सहकारी समितियों की संख्या सहकारी समितियों के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दूसरी तरफ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सहकारी समितियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। यह इन राज्यों के लिए सामूहिक संगठनों की शक्ति को समझने और विविध गतिविधि–आधारित सहकारी समितियों के पंजीकरण के माध्यम से सामाजिक संघटन की गतिविधियों की गति बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है जिससे समुदाय–स्तर पर सामूहिक सामाजिक–आर्थिक लाभ साकार हों और वे 'सहकार से समृद्धि' के वृहद् लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सक्रिय उत्प्रेरक बनें।

तालिका–2: भारत में चुनिंदा 20 प्रमुख राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारी समितियों की मौजूदगी

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सहकारी समितियों की मौजूदगी** (लाख में)	ज़िलों की संख्या	सहकारी समितियां प्रति ज़िला
1	2	3	4	5
1	महाराष्ट्र	2.059	36	5719
2	गुजरात	0.776	33	2350
3	आंध्र प्रदेश	0.732	26	2816
4	तेलंगाना	0.652	34	1916
5	कर्नाटक	0.409	29	1412
6	पश्चिम बंगाल	0.337	25	1346
7	केरल	0.193	14	1376
8	हरियाणा	0.246	22	1117
9	बिहार	0.392	38	1031
10	मध्य प्रदेश	0.474	52	912
11	राजस्थान	0.285	33	862
12	पंजाब	0.174	22	793
13	तमिलनाडु	0.245	38	644
14	उत्तर प्रदेश	0.482	76	634
15	ओडिशा	0.173	30	578
16	झारखंड	0.139	24	577
17	उत्तराखंड	0.056	13	433
18	छत्तीसगढ़	0.114	27	421
19	असम	0.102	33	310
20	जम्मू और कश्मीर	0.020	20	101
	अखिल भारतीय	8.544	739	1156

स्रोत:$ http://igod.gov.in/sg/district/states और **एनसीयूआई, 2018 से संकलित

एक समान विस्तार और आउटरीच सुनिश्चित करना

'सहकार से समृद्धि' मिशन का उद्देश्य सहकारी समितियों का एक समान और व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। प्रारम्भिक प्रयास कुछ इस प्रकार होने चाहिए कि भारत के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक समिति और एक प्राथमिक सहकारी ऋण समिति हो जो एक नज़दीकी सहकारी बैंक से जुड़ी हो। जहां भी संभव हो, सहकारी समितियों की व्यापक पहुँच होनी चाहिए और जहां भी

संभावना हो, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, गठित और पोषित किया जाना चाहिए। मत्स्य पालन, कृषि प्रसंस्करण, प्राथमिक उत्पादन, आवास और निर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की संभावना है। इसी तरह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बीमा और वस्त्र उद्योग जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। सहकारी व्यवसाय मॉडल खादी एवं ग्रामोद्योगों को बदल सकता है और विकसित तथा विकासशील राज्यों में आय और रोज़गार वृद्धि में समानता ला सकता है।

राज्यों में सहकारी आंदोलन का असमान प्रसार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उसी के अनुसार उन्हें विकसित, विकासशील और कमज़ोर राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मामला विकसित राज्यों का है जहां सहकारी क्षेत्र में उचित प्रगति हुई है लेकिन कुछ अंतर्निहित कमियों को दूर करने के लिए सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो विकासशील श्रेणी में हैं और कुछ हद तक गिरावट को रोकने में कामयाब रहे हैं और उन्हें विकास के लिए अधिक नीतिगत सहायता की दरकार है। अंत में, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बेहद पिछड़ रहे हैं। यहां सहकारी समितियों की उपस्थिति न के बराबर है और अधिकांश संस्थानों की स्थिति शोचनीय है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, असम आदि को सहकारिता के आधार में विस्तार सुनिश्चित करने और विकास के अपने पूर्ववर्ती मॉडल और सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए अपनाई गई गतिविधियों का व्यापक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। समय आ गया है कि राज्य अपनी सहकारी समितियों को सामुदायिक स्तर पर कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय और बहु–आयामी सामुदायिक व्यवसाय इकाइयों में बदल दें।

इस परिप्रेक्ष्य में हमें इस जन आंदोलन को मज़बूत बनाने की दिशा में अपने ठोस प्रयासों पर ध्यान देने के साथ–साथ उन्हें दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अगले दो दशकों में हमारे प्रयासों से सहकारी समितियों को देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होना चाहिए। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि केवल सहकारी समितियां ही मुनाफे को समान रूप से वितरित कर सकती हैं और अपने सभी सदस्यों को लाभ पहुँचा सकती हैं। अन्य व्यावसायिक मॉडलों के विपरीत सहकारी समितियों के अधिशेष से अधिकतम लाभ शेयरधारकों को मिल सकता है और वह भी प्रबंधन लागत पर न्यूनतम व्यय से।

सहयोग और आर्थिक सशक्तीकरण

सहकारी मॉडल हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आर्थिक विकास में सबसे आगे ला सकता है और व्यापक आर्थिक समृद्धि का सृजन कर सकता है। लिज्जत पापड़, अमूल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में दुग्ध सहकारी समितियां और कई अन्य अनेक उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों के लाखों लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है। स्वर्गीय श्री त्रिभुवनदास पटेल द्वारा शुरू की गई एक छोटी डेयरी समिति आज भारत के सबसे बड़े खाद्य और एफएमसीजी (तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं) दिग्गज 'अमूल' में बदल गई है और इसने लाखों महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। यह महिला सशक्तीकरण की एक साक्षात मिसाल है जहां महिला डेयरी किसानों के बैंक खातों में 60,000 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाते हैं।

सहकारिता के माध्यम से नए उद्यमों में कदम

बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रसंस्करण, भंडारण, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों आदि जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों के प्रवेश को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सहकारिता आंदोलन सभी गाँवों तक पहुँचना चाहिए और इसे एक जन–आंदोलन में बदलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से आज़ादी के 75वें वर्ष में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया है। आइए, हम एक लक्ष्य तय करें कि अगले 10 वर्षों में हर गाँव में एक दुग्ध समिति और एक ऋण समिति होगी जो विकास सक्षम और कार्यशील होंगी। आइए, हम भी एक और लक्ष्य निर्धारित करें कि प्रत्येक गाँव में कोई न कोई प्राथमिक समिति हो या समुदाय में ही अन्य व्यापक सहकारी व्यावसायिक गतिविधियां हों। यदि भारत ऐसा कर सकता है तो ये इकाइयां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं और लाखों गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन में सुधार ला सकती हैं जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं।

प्रभावी सहकारिता के लिए चुनौतियों से निपटना

हालांकि सहकारिता सशक्तीकरण के मुद्दों के समाधान का सर्वोत्तम मार्ग है, इन इकाइयों को आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में विकास की राह में आने वाली बाधाओं का हल खोजना होगा और इसके लिए कई नीतिगत और प्रशासनिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। इस संबंध में सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है–पारदर्शिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। इससे छोटे किसानों का सहकारिता में विश्वास बहाल होगा। हमें इस क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए कानून और सहकारी सिद्धांतों के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। यह निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराने की भी मांग करता है। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता है जो सर्वश्रेष्ठ लोगों का सहकारी समितियों में शामिल किया जाना सुनिश्चित करेगा। चुनाव जैसी सहकारी गतिविधियों के संचालन में लोकतांत्रिक तरीकों और साधनों को और अधिक दृढ़तापूर्वक एवं सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

सहकारी क्षेत्र को व्यावसायिकता की ओर बढ़ने की ज़रूरत है और कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों पर खुद को संचालित करना चाहिए। हमारे देश में इफको, अमूल आदि जैसे कई ऐसे मॉडल हैं जिन्होंने सहकारिता की विचारधारा को बरकरार रखते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन मूल्यों की ताकत को आत्मसात किया है। हमें ऐसे मॉडल बनाने होंगे जो सहकारिता के मूल्यों और कॉर्पोरेट प्रशासन के विवेकपूर्ण समावेश के अनुरूप हों। यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही, व्यावसायिकता और सुदृढ़ प्रशासन सुनिश्चित करेगा। साथ ही, सहकारी संस्थानों को बेहतर बुनियादी ढांचे और अपनी ज़रूरतों जैसे संयत्रों और उपकरणों के लिए व्यावसायिक ऋण और कार्यशील पूंजी तक पहुँच की आवश्यकता है।

सहकारी संघवाद–एकमात्र विकल्प

वर्तमान संवैधानिक ढांचे के प्रावधान सर्व–समावेशी तरीके से सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और उनके पोषण की सुविधा प्रदान करते हैं। राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए सहकारिता आंदोलन को विकसित करने की हमारी योजनाओं में इनकी ओर से कभी भी अड़चन नहीं आई है। 'सहयोग' राज्य का विषय है और राज्य सहकारी समितियां राज्य विशिष्ट विधानों द्वारा शासित होती हैं। बहु–राज्य स्तरीय सहकारी समितियों का प्रबंधन केंद्र सरकार का दायित्व है। हम केंद्र और राज्यों के बीच रचनात्मक और निरंतर संवाद के माध्यम से बहुत सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं और अपनी कार्य पद्धतियों में सहयोग के सिद्धांतों को आत्मसात कर सकते हैं। यदि हम अपेक्षा करते हैं कि सहकारी आंदोलन सभी राज्यों में समान रूप से विस्तार करें तो हमें राज्यों के साथ एक साझा मंच पर आने और सहकारी समितियों के लिए सामूहिक रूप से एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है। निरंतर संवाद और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से भारत सभी राज्यों में सहकारी विधानों में अधिक एकरूपता प्राप्त कर सकता है।

यद्यपि 97वां संविधान संशोधन सहकारी क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, केंद्र सरकार देश में सहकारी आंदोलन में परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। केंद्र और राज्यों, दोनों का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए और हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। बहु–राज्य स्तरीय सहकारी समिति केंद्र का विषय हैं और राज्य सहकारी समितियां

राज्यों के अधीन हैं। राज्यों के साथ इस तरह के संवाद, चर्चा और विचार–विमर्श में शामिल होना और सहकारी समितियों के लिए एक सक्षम कानूनी ढाँचा तैयार करना सहकारिता मंत्रालय की ज़िम्मेदारी होगी।

नई सहकारिता नीति की योजना

भारत में 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं जिनमें से 20 प्रतिशत (1.77 लाख इकाइयां) ऋण सहकारी समितियां हैं। शेष 80 प्रतिशत गैर–ऋण सहकारी समितियां हैं जो विविध कार्यकलापों में शामिल हैं जैसे मत्स्य पालन, डेयरी, उत्पादन, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवास क्षेत्र, परिवहन, श्रम क्षेत्र, कृषि, सेवा क्षेत्र, पशुधन, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां आदि। भारत के कुल गाँवों में से 91 प्रतिशत में मौजूद लगभग 96,000 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पीएसी) में से 63,000 (65 प्रतिशत) सुगठित और सक्रिय हैं। सहकारिता में प्रौद्योगिकी का विकास समय की माँग है। पीएसी का कम्प्यूटरीकरण बेहद आवश्यक है।

लगभग 13 करोड़ कृषक परिवार सहकारी समितियों से सीधे जुड़े हुए हैं। यह सहकारिता आंदोलन की ताकत को दर्शाता है। हमारी नीतियां और कार्य सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए इन संस्थाओं के विशाल नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। पुनर्गठन द्वारा इन संस्थाओं की समृद्धि और व्यावसायिक सक्षमता बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें उन्हें विभिन्न योजनाओं, नीतियों द्वारा प्रोत्साहन और प्रौद्योगिकी के प्रावधान के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों का योगदान प्रभावशाली रहा है। कुल वित्त व्यवस्था में सहकारी कृषि वित्त का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत, उर्वरक उत्पादन में 25 प्रतिशत, चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत, दूध खरीद, उत्पादन और विपणन में लगभग 25 प्रतिशत, गेहूं खरीद में 13 प्रतिशत, धान में 20 प्रतिशत, मछली उत्पादन में 21 प्रतिशत है। इस मज़बूत आधार पर एक जीवंत और सशक्त सहकारी क्षेत्र का निर्माण करने की आवश्यकता है। नई सहकारिता नीति और उपयुक्त सरकारी प्रयासों के माध्यम से सभी अवरोधों को दूर करने की आवश्यकता है। सहकारिता से समृद्धि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण नीति मानदंड (4 पी तथा 3 ई) तालिका–3 में दिए गए हैं।

नई सहकारिता नीति के आयाम

सहकारिता नीति की समीक्षा करने का यह सही समय है। मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 20 साल पुरानी है। सहकारिता मंत्रालय ने अगले 8–9 महीनों के भीतर एक नई सहकारिता नीति को अंतिम रूप देने के लिए संवाद और परामर्श आरंभ कर दिया है। यह नीति पीएसी से लेकर शीर्ष सहकारी समितियों तक सभी सहकारी समितियों की आवश्यकताओं पर विचार करेगी। यह एक ऐसा माहौल तैयार करेगी जिससे सहकारी समितियों का विस्तार हो सकेगा और विकास के नए आयामों का उदय होगा। हमें नए क्षेत्रों को तलाशने और सहयोग के तौर–तरीकों से 'टीम' (TEAM) भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है – जहां 'टी' 'ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता') का द्योतक है, 'ई' का अर्थ एम्पॉवरमेंट ('सशक्तीकरण) है, 'ए' का अर्थ 'आत्मनिर्भरता है और 'एम' मॉडर्नाईज़ेशन यानी आधुनिकीकरण' है।

सहकारिता की 'टीम' भावना की व्याख्या

ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता): सहकारी समितियों को अपने प्रशासन के लिए जवाबदेही के साथ और राजनीति से ऊपर उठकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना;

एम्पावरमेंट ('सशक्तीकरण): कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों का सशक्तीकरण;

आत्मनिर्भर: समुदाय और सामूहिक कार्यकलापों के माध्यम से आत्मनिर्भरता;

मॉडर्नाईज़ेशन '(आधुनिकीकरण'): उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी शामिल करना और उसे अविलंब अपनाना।

तालिका–3: सहकारिता से समृद्धिः सात प्रमुख मानदंड

4 पी	3 ई
1. लोगों में परस्पर सहयोग (पीपुल कोऑपरेटिंग पीपुल)	1. व्यवसाय में सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस)
2. लोगों द्वारा उत्पादन (प्रोडक्शन बाय पीपुल)	2 जीवन सुगमता (ईज़ ऑफ लिविंग)
3. लाभ की बजाय लोगों को प्राथमिकता (पीपुल बिफोर प्रॉफिट)	3. सहयोग में सुगमता और अवसरों तक पहुँच (ईज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड एक्सेस टू अपोर्चुनिटीज़)
4. उद्देश्य के साथ लाभ (प्रॉफिट विद पर्पस)	

आज पूरे सहकारी क्षेत्र का कम्प्यूटरीकरण अनिवार्य हो गया है और जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता, हम सहकारी समितियों के कार्य में दक्षता नहीं ला सकते हैं।

नई सहकारिता नीति के संभावित आयाम निम्नलिखित हो सकते हैं:

(i) असुविधा–मुक्त पंजीकरण के लिए प्रक्रिया तैयार करना।
(ii) प्रशासन, भर्ती और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में पारदर्शिता लाना।
(iii) भारत के चुनाव आयोग की तर्ज पर सहकारी समितियों के चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
(iv) विभिन्न सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय के मुद्दों का समाधान करना।
(v) डेयरी, पीएसी, एफपीओ, महिला सहकारी समितियों आदि जैसे सभी ग्रामीण–स्तरीय संगठनों में उपयुक्त लिंकेज स्थापित करना।
(vi) राज्यों के भीतर सहकारिता कानून में एकरूपता और समानता लाना।

निष्कर्ष और आगे की राह

हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के आह्वान 'सहकार से समृद्धि' के लिए त्वरित, समयबद्ध और एक सर्व–समावेशी परामर्शी कार्ययोजना की आवश्यकता है। सहकारी समितियों की प्रगति को सीमित करने वाले विभिन्न मुद्दों को समझने और उपयुक्त रूप से निपटाने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है – (क) सहकारिता आंदोलन में आंचल/राज्य–स्तरीय और क्षेत्रीय असंतुलन (ख) नियामक जटिलताएं (ग) प्रशासन, नेतृत्व और परिचालन मुद्दे (घ) सहकारी इकाइयों में पेशेवर प्रबंधन की कमी (ड़) आज़माए हुए संरचनात्मक सुधार उपायों की आवश्यकता (च) सहकारी समितियों के बीच सहयोग की कमी, आदि।

सहकारिता आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण आयाम जिन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं –

- सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक और राज्य पंजीयकों के बीच एक प्रभावी संवाद और समन्वय व्यवस्था स्थापित करना;
- सहकारिता सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता की प्रक्रियाओं का पालन करना;
- बुनियादी ढांचे को मज़बूती प्रदान करना जिसमें इक्विटी(पूंजी) संरचना, विविधीकरण शामिल हैं;
- उद्यमिता, ब्रांडिंग, विपणन को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, शिक्षा का आदान–प्रदान और सदस्यों के प्रशिक्षण को अपनाना;
- नई सहकारी समितियों का गठन एवं उन्हें प्रोत्साहन देना और
- सामाजिक सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

इस तरह के मुद्दों की समय पर पहचान और समाधान हमें एक प्रौद्योगिकी संचालित एकीकृत सहकारी विकास रणनीति तैयार करने में और समुदाय के स्वामित्व वाली व्यावसायिक इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्य मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित करेगा।

सहकारी समितियों के योगदान का हमारे प्रधानमंत्री के पांच ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने की लक्ष्य प्राप्ति पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें सर्वप्रथम सामुदायिक स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। पीएसी को सक्रिय और सक्षम बनाने के लिए हम सभी को अपने नज़रिये में आम सहमति बनानी होगी। सहकारिता मंत्रालय पीएसी को कम्प्यूटरीकृत करने और सहकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। वही प्रत्येक गाँव में पीएसी की पैठ हमारी सहकारिता नीति का लक्ष्य होना चाहिए। गाँव को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना और सहकारी समितियों के सदस्यों की आय को दोगुना करना भी सहकारिता नीति का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा, नीति में सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और स्थायित्व प्रदान करने के प्रावधान होने चाहिए।

यह कार्य कठिन प्रतीत होता है लेकिन प्राप्य है। यह केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के नेक इरादों और योजनाओं से ही हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें महा उपनिषद् के बहुधा उद्धृत शब्द – **वसुधैव कुटुम्बकम** से प्रेरणा लेनी चाहिए जिसका अर्थ है कि इस धरा पर सभी जीव एक परिवार हैं। इस प्रकार सहकारिता आंदोलन के नेताओं और संघीय प्रमुखों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी; अपने ज़िलों का दौरा करने, सदस्यों से बातचीत करने और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए उनमें आशा जगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। हमारे ये संचयी प्रयास निःसंदेह हम सभी को 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब लाएंगे। ❑

सहकारी उद्यमिता और सामुदायिक विकास

– डॉ इशिता जी त्रिपाठी

इस आलेख में हम सामुदायिक विकास के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारी समितियों और उद्यमिता की परस्पर सहायक आवश्यकताओं तथा आंतरिक रूप से जुड़े उद्देश्यों पर गौर करेंगे। सहकारी समितियों के लिए विचाराधीन राष्ट्रीय नीति में सार्वभौमिक कवरेज और हर सहकारी समिति को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने पर ज़ोर दिया जा सकता है। इस बात पर भी बल दिया जा सकता है कि सहकारी समितियां प्रौद्योगिकी संचालित हों तथा पंजीकरण और सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक ही पोर्टल और पहचान संख्या रहे। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों, पोर्टलों और अन्य प्रयासों के साथ एकीकरण या अभिसरण तथा क्षेत्र आधारित निर्यातोन्मुख बहुराज्यीय और प्रांतीय सहकारी समितियों के संवर्धन और गठन पर भी ज़ोर देने की आवश्यकता है। सहकारिता आंदोलन और इससे संबंधित सामाजिक–आर्थिक विकास के मॉडल के बारे में सर्वव्यापी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए।

सर्व–समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक सामुदायिक रणनीतियों के सुझाव दिए गए हैं। विकास योजनाकारों और नीति निर्माताओं के इन सुझावों पर राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों ने अमल किया है। इनमें से एक प्रभावशाली रणनीति देश में सहकारी समितियों की क्षमता का उपयोग करने और उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने की है ताकि वे असरदार और लाभकारी सामुदायिक व्यवसाय संचालित कर सकें। सहकारिता के सिद्धांतों की बदौलत ये समितियां स्वतंत्र रूप से संसाधन जुटाने और उत्पादन में इनका इस्तेमाल करने में सफल हैं। सहकारी समितियों की विशेषताएं भले ही समरूप हों उनका आर्विभाव विभिन्नतापूर्ण है। वे लोकतंत्र, आर्थिक विकास और सामाजिक संगठन के तिहरे सिद्धांत पर आधारित होती हैं।

सहकारी समितियों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों में राज्य सहकारी बैंक (एससीबी), ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) जैसी संस्थाएं आती हैं। इसी तरह, दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियों में प्राथमिक सहकारी एवं कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) शामिल हैं। वस्तु सहकारी समितियों में डेयरी, तेल, चीनी और कपड़ा जैसे उत्पादों से संबंधित समितियां हैं। सेवा सहकारी समितियों में आवासन, परिवहन, पर्यटन और अस्पताल जैसे उद्यमों से जुड़ी समितियां आती हैं।

सहकारी समिति कानून 1904 को लागू किया जाना भारत में वित्तीय समावेशन की शुरुआती मिसालों में से एक है। तब से अब तक काफी रास्ता तय किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जो सहकारी आंदोलन को दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है। इस आंदोलन के चार निर्देशक सिद्धांत हैं–सहकार से समृद्धि, समावेशी विकास, सामुदायिक उद्यमिता से आत्मनिर्भरता तथा सहकारी समितियों से भी आगे सहयोग।

उद्यमिता का मतलब जोखिम और अनिश्चितता के माहौल में लाभ या विकास के लिए नवोन्मेषी आर्थिक संस्था का गठन होता है (डॉलिंगर, 2004)। इसके अनुरूप सहकारी समितियों को वैसे सामुदायिक उपक्रम माना जा सकता है जिनका प्रबंधन विभिन्न

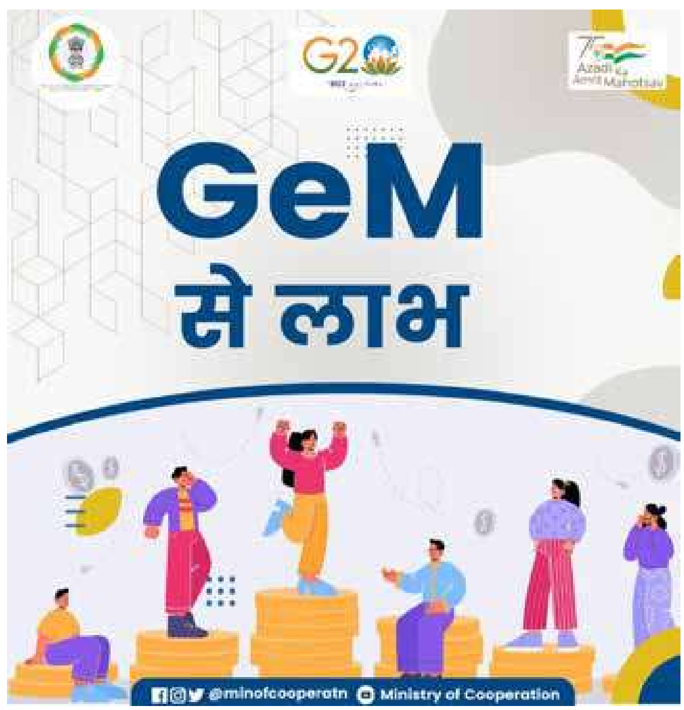

लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन डीसी–एमएसएमई में अतिरिक्त विकास आयुक्त हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ईमेलः igtripathy@gmail.com

सदस्य उद्यमी करते हैं। अनेक शोधों से संकेत मिलते हैं कि विकास की विभिन्न गतिविधियों में स्थानीय भागीदारी का समुदायों की प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे निम्न आय वाले समुदाय का सामाजिक–आर्थिक मुख्यधारा में प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में हम यहां सामुदायिक विकास के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारी समितियों और उद्यमिता की परस्पर सहायक आवश्यकताओं तथा आंतरिक रूप से जुड़े उद्देश्यों पर गौर करेंगे।

फ्रेमवर्क

सहकारी समितियों का संचालन सहकारी समिति कानून 1912, परस्पर सहायक सहकारी थ्रिफ्ट सोसायटी अधिनियम तथा बहुराज्यीय सहकारी समिति कानून 2002 के तहत होता है। एक ही राज्य के सदस्यों वाली सहकारी समितियों का पंजीकरण संबंधित प्रांत के सहकारी समिति कानून के प्रावधानों के तहत किया जाता है। उनका नियमन संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के पंजीयक करते हैं। राज्य सहकारी समिति कानून के अधीन पंजीकृत समितियों का विस्तृत विवरण संबंधित प्रांत के सहकारी समितियों के पंजीयक के पास होता है। दूसरी ओर, जिन सहकारी समितियों में एक से ज़्यादा राज्यों के सदस्य होते हैं, उनका पंजीकरण सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक करते हैं। इन समितियों का पंजीकरण बहुराज्यीय सहकारी समिति (एमएससीएस) कानून के अंतर्गत किया जाता है।

एक अनुमान के अनुसार देश में 8.54 लाख सहकारी समितियां हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या 29 करोड़ है। एमएससीएस कानून के प्रावधानों के तहत देश में 1509 बहुराज्यीय सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। खेती, मछली पालन, कृषि प्रसंस्करण और डेयरी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वे ऋण और कृषि उपकरण मुहैया कराने के साथ ही दूध, मछली, सब्जियों, फलों, फूलों, औषधीय वनस्पतियों, वन उपजों, शहद और रेशम जैसे उत्पादों के विपणन की भी व्यवस्था करती हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रोज़गारों के सृजन में सहकारी समितियों का बड़ा योगदान है।

सहकारी संरचना सुदृढ़ीकरण हेतु उठाए जा रहे कदम

सहकारिता क्षेत्र को मज़बूती देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है –

- कुल 2516 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से देश भर में 63 हज़ार पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण की परियोजना शुरू की गई है। पीएसीएस के डिजिटलीकरण से उनके कामकाज में कुशलता बढ़ेगी और ऋण देने के कार्य में तेज़ी आएगी। कंप्यूटरीकरण से उनके खर्चों में कमी आएगी, ऑडिट का काम तेज़ी से होगा तथा एससीबी और डीसीसीबी के साथ भुगतानों और लेखांकन में असंतुलन घटेगा। साथ ही, उनके कामकाज में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा वे

वित्तीय समावेशन और किसानों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकेंगे।

- पीएसीएस के लिए आदर्श विनियम तैयार किए जा रहे हैं जिनसे उन्हें बहुउद्देश्यीय और बहुआयामी जीवंत आर्थिक संस्थानों में तब्दील किया जा सकेगा।
- सहकारिता से समृद्धि योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्रगति के उत्प्रेरकों की पहचान की जाएगी। साथ ही, आय और प्रगति को बढ़ाने के लिए सहकारी विकास के समन्वित नज़रिये को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण और उन्हें पेशेवर बनाए जाने की योजना से इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में सहकारिता क्षेत्र आवश्यक प्रतिस्पर्धिता हासिल कर सके।
- दो दशक पुरानी नीति की समीक्षा कर नई सहकारिता नीति तैयार की जा रही है। साथ ही, सहकारिता के ज़रिए विकास के नए और संवहनीय तरीकों का पता लगाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के सृजन से उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिनमें सहकारिता आंदोलन का विस्तार किया जा सकता है। साथ ही, सहकारिता आंदोलन के विस्तार के लिए समुचित नीति बनाने में भी सहायता मिलेगी।
- सहकारिता क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए भविष्य के कदम

सहकारी समितियों को मज़बूती देने के लिए उपरोक्त कदमों के अलावा कुछ अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं –

अभिसरण

12,000 से ज़्यादा सहकारी समितियां सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के तौर पर पंजीकृत हैं। कोविड 19 की वैश्विक महामारी की पहली लहर के दौरान 26 जून, 2020 को अपनायी गई एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत 1.23 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में से लगभग 0.1 प्रतिशत सहकारी समितियां हैं।

उद्यम पर पंजीकृत उपक्रमों को संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश तथा कुल कारोबार के दोहरे मानदंड पर आधारित परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में विभाजित किया गया है। उद्यम एमएसएमई के लिए विशिष्ट पहचान संख्या है जिसे पैन और जीएसटीएन डाटाबेस से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ज़रिए प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदान किया जाता है। उपक्रमों का वर्गीकरण करते समय कुल कारोबार से निर्यात के आंकड़ों को घटा दिया जाता है ताकि निर्यातोन्मुख एमएसएमई को बढ़ावा मिल सके। अक्सर उपक्रम एमएसएमई को मिलने वाले लाभों को प्राप्त करना जारी रखने के मकसद से अपने विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। इस रुझान को हतोत्साहित करने के लिए वर्गीकरण में उन्नयन के योग्य उपक्रमों को 18 अक्टूबर, 2022 से तीन साल के लिए एमएसएमई का अपना पिछला दर्जा बरकरार रखने की छूट दी गई है।

प्राथमिक क्षेत्र के ऋण और एमएसएमई मंत्रालय के ज़्यादातर कार्यक्रमों के लाभ लेने के लिए उद्यम पंजीकरण संख्या अनिवार्य है। एमएसएमई मंत्रालय इस क्षेत्र को मिलने वाले लाभों के अभिसरण के लिए कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ मिल कर उद्यम शक्ति पर काम कर रहा है। बड़ी संख्या में सहकारी समितियों ने खुद को पहले से ही एमएसएमई घोषित कर रखा है। उद्यम एक तरह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में सूचनाओं का संग्रह है। ऐसे में अभिसरण और व्यवसाय सुगमता के उद्देश्य से सहकारी समितियों के लिए कार्यक्रमों का लाभ उठाने के वास्ते किसी अन्य दस्तावेज़ के बजाय उद्यम प्रमाणन अनिवार्य किए जाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

जागरूकता और सूचना तक पहुँच

मीडिया के सभी स्वरूपों की सहायता से एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना वक्त की ज़रूरत है। स्कूली बच्चों और नये स्नातकों को यह बताया जाना चाहिए कि खासतौर से सहकारिता के क्षेत्र में उद्यमिता उनके लिए कॅरियर का एक पूर्ण विकल्प है। कुछ विश्वविद्यालयों ने स्नातक स्तर के उद्यमिता कार्यक्रम शुरू भी किए हैं। सहकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) **'युवा सहकार योजना'** को लागू कर रहा है। यह सहकारी उपक्रम के लिए सहायता और नवोन्मेष की योजना है। सहकारिता मंत्रालय वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में 'सूचना तक पहुंच' ज्ञान को मांजने का सबसे महत्वपूर्ण ज़रिया है। इस स्थिति को देखते हुए एक ऐसे साझा परस्पर संवादात्मक पोर्टल की ज़रूरत महसूस की जा रही है जिस पर सहकारी समितियों के लिए सभी सूचनाएं मौजूद हों। इस पोर्टल को सिर्फ सूचनाओं ही नहीं बल्कि ऋण तक पहुँच का भी माध्यम होना चाहिए। इसमें संभावित कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग को भी शामिल किया जाना चाहिए। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देना वक्त की ज़रूरत है।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

प्रशिक्षण वास्तव में कौशल उन्नयन और उद्यमिता का आधार तैयार करने के लिए आवश्यक है। विभिन्न संस्थानों में इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें एनसीडीसी, बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, सहकारी प्रबंधन संस्थान, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ शामिल हैं। क्षमता निर्माण के लिए विशेष योजनाओं को आज़माया जा सकता है। इस संदर्भ में, सहकारी समितियों के मौजूदा और भावी उद्यमी एमएसएमई मंत्रालय के उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।

प्रौद्योगिकीय उन्नयन

तेज़ी से बदलती दुनिया में खुद को प्रौद्योगिकीय विकास से अवगत रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। शंपिटर के सिद्धांत के अनुसार नवोन्मेष के परिणामस्वरूप मौजूदा प्रौद्योगिकियां पुरानी होकर प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। लिहाज़ा, सहकारी समितियों के

लिए ऐसी विशेष योजनाओं की आवश्यकता है जो डिजिटलीकरण पर केंद्रित हों।

वित्त

सहकारी समितियां नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए नवोन्मेषी अवधारणाएं ला सकती हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती समय पर पर्याप्त और किफायती वित्त की उपलब्धता तथा ऐसे संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए सेवाओं की है। रेहन मुक्त किफायती ऋण की समय पर उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के मकसद से सहकारी समितियों के लिए विशेष कोष के बारे में भी विचार किया जा सकता है।

सहकारी बैंकों के प्रदर्शन को तालिका–1 में दिखाया गया है। बकाया ऋण में गैर–निष्पादित संपत्तियों का अनुपात एससीबी, डीसीसीबी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ज़्यादा है।

तालिका–1: सहकारी बैंकों के सकल ऋण बकाया के प्रतिशत के रूप में सकल गैर–निष्पादित संपत्तियां

राज्य सहकारी बैंक		ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक		शहरी सहकारी बैंक	
31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21	31.03.20	31.03.21
6.7	6.7	12.6	11.4	10.6	11.7

स्रोत–लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2642 का 02.08.2022 को दिया गया उत्तर

सहकारिता मंत्रालय की ओर से लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 388 के 19 जुलाई, 2022 को दिए गए उत्तर के अनुसार 1509 बहुराज्यीय सहकारी समितियों में से 81 के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सहकारी संस्थानों को ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से गैर–अनुसूचित यूसीबी, एससीबी और डीसीसीबी को 03 फरवरी, 2022 से प्रभावी परिपत्र के ज़रिए गारंटी कोष न्यास योजना में सदस्य ऋणदाता प्रतिष्ठानों के रूप में अधिसूचित किया गया है। यूसीबी, एससीबी और डीसीसीबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को 08 जून, 2022 से दोगुना कर दिया गया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट आवासीय क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह, यूसीबी को वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही अपने ग्राहकों को उनके घर पर बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी गई है।

खरीद और विपणन

उत्पादों और सेवाओं का विपणन सहकारी समितियों के लिए चुनौती रहा है। सहकारी समितियों को 01 जून, 2022 को गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पर खरीददार के रूप में पंजीकरण की इजाज़त दे दी गई। इस कदम से सहकारी समितियां जीईएम पोर्टल पर 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने में सक्षम होंगी। इससे उनकी खरीद प्रणाली की पारदर्शिता में सुधार होगा और उन्हें कुछ बचत करने में भी मदद मिलेगी। विक्रेता के रूप में सहकारी समितियों के लिए प्राथमिकता की नीति से उन्हें बल मिलेगा। मेलों में रियायती दरों पर भागीदारी से उन्हें अपने उत्पादों के प्रदर्शन और व्यावसायिक समझौते करने में सहायता मिलेगी। प्रशुल्क, गैर–प्रशुल्क और अन्य व्यापारिक अवरोधों से निपटने में सहकारी समितियों की मदद के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने से उन्हें विदेशी बाज़ारों तक पहुँचने और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनने में सहूलियत होगी।

परस्पर सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की परिभाषा के अनुसार सहकारिता के सात सिद्धांतों में सहकारी समितियों के बीच सहयोग भी शामिल है। सहकारी समितियों के बीच प्रभावी सहयोग और तालमेल उनके व्यावसायिक कदमों के लिए परस्पर लाभकारी होगा। इससे सदस्यों द्वारा संचालित सहकारी गतिविधियों के पर्याप्त विस्तार के ज़रिए अधिकतम सामुदायिक विकास संभव होगा। बड़ी सहकारी समितियों को कमज़ोर और छोटी सहकारिता इकाइयों की सहायता करनी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये इकाइयां बाज़ार में अपनी प्रतिस्पर्धिता को बरकरार रख सकें।

वैश्विक महामारी के परिणामों से मुकाबला

सहकारी समितियों को सरकार से नीति और वित्तीय सहायता सेवाओं की दरकार होती है। सहकारिता मंत्रालय उपक्रम और उद्यमिता विकास के माध्यम से सहकारी समितियों के प्रसार के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं बनाने की दिशा में काम कर रहा है। एनसीडीसी सरकारी समितियों पर ऋण का बोझ घटाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता का प्रयास कर रहा है। वह ऋण और सब्सिडी सहायता प्रणाली के ज़रिए सहकारी समितियों का वित्तीय ज़ोखिम घटाने का काम करता है। एनसीडीसी से ऋण

और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता 2018–19 में 28272.51 करोड़ रुपये से घट कर 2019–20 में 27703.43 करोड़ रुपये और 2020–21 में 24733.24 करोड़ रुपये हो गई थी। लेकिन एनसीडीसी ने कोविड 19 की वैश्विक महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए 2021–22 में वित्तीय सहायता में 38 प्रतिशत का इज़ाफा किया और यह 34221.08 करोड़ रुपये तक पहुँच गई (तालिका–2)। इसके अलावा, उसने चीनी सहकारी समितियों के लिए 203.78 करोड़ रुपये और कपड़ा सहकारी समितियों के लिए 369.68 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्विन्यास किया।

तालिका–2: एनसीडीसी से कुल भुगतान

वित्त वर्ष	कुल भुगतान (करोड़ रुपये में)
2017–18	21969.58
2018–19	28272.51
2019–20	27703.43
2020–21	24733.24
2021–22	34221.08

स्रोत–राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1922 का 03.08.2022 को दिया गया उत्तर

वर्ष 2022–23 के बजट में सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को 18.5 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की गई। एक करोड़ रुपये से ज़्यादा और 10 करोड़ रुपये तक कुल आमदनी वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12 प्रतिशत से घटा कर 7 प्रतिशत किया गया। सहकारी चीनी मिलों को राहत देते हुए 25 अक्टूबर, 2021 को स्पष्ट किया गया कि उन्हें किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य या राज्य अनुशंसित मूल्य तक उच्च भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा।

कुछ सिफारिशें

भारत में सहकारिता आंदोलन समूचे देश में एक समान नहीं है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में सहकारी समितियों का प्रसार ज़्यादा है (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, 2018)। सहकारी समितियों के कम प्रसार वाले उत्तरी, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में सहकारिता आंदोलन को मज़बूती देने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। सहकारिता आंदोलन जन–आधारित होता है। इसमें सहकारिता पर आधारित आर्थिक मॉडल को अपनाया जाता है। इसमें सदस्य ज़िम्मेदारी की भावना से आर्थिक गतिविधियां चलाते हैं। बेशक, सहकारिता आंदोलन और उद्यमिता उपयोगी साधन हों मगर लक्ष्य तो सर्व–समावेशी 'सामुदायिक विकास' ही है।

सहकारी उद्यमिता को सामुदायिक विकास में प्रभावी योगदान के योग्य बनाने में मददगार कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं –

- योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करने, व्यवसाय सुगमता बढ़ाने और सहकारी समितियों के संबंध में सहकारिता से भी आगे जाकर सहयोग के लिए प्रयास की ज़रूरत है। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया सहज बनायी जानी चाहिए। छोटी सहकारी समितियों को किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के बजाय एमएसएमई के उद्यम पंजीकरण के आधार पर उनके लिए कार्यक्रमों के लाभ मुहैया कराने के बारे में विचार किया जा सकता है।
- सहकारी समितियों के लिए विचाराधीन राष्ट्रीय नीति में सार्वभौमिक कवरेज और हर सहकारी समिति को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने पर बल देना उपयोगी होगा। इस बात पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए कि सहकारी समितियां प्रौद्योगिकी संचालित हों तथा पंजीकरण और सभी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक ही पोर्टल और पहचान संख्या हो। अन्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों, पोर्टलों और प्रयासों के साथ एकीकरण या अभिसरण तथा क्षेत्र आधारित निर्यातोन्मुख बहुराज्यीय और प्रांतीय सहकारी समितियों के संवर्धन और गठन पर भी बल देने की आवश्यकता है।
- सहकारिता आंदोलन और इससे संबंधित सामाजिक–आर्थिक विकास के मॉडल के बारे में सर्वव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को सहकारी क्षमता निर्माण संस्थानों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।
- सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों के क्षमता निर्माण के मकसद से क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूलित विशेष कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं।
- सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण पर केंद्रित विशेष योजनाएं चलायी जा सकती हैं।
- सहकारी समितियों के लिए एक ऐसे विशेष कोष के गठन की संभावना पर विचार किया जा सकता है जो ऋण के जोखिम के लिए वित्त व्यवस्था करने के साथ ही ब्रांड विकास, प्रौद्योगिकी अभिग्रहण, विपणन, विज्ञापन और मार्केटिंग अनुसंधान में भी सहायक हो।
- विक्रेता के रूप में ज़्यादा सहकारी समितियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से जीईएम पर उन्हें विक्रयकर्ता के रूप में प्राथमिकता देने की नीति के बारे में विचार किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य–स्तरीय मेलों में सहकारी समितियों की रियायती दर पर भागीदारी के बारे में सोचा जा सकता है।
- बड़ी सहकारी समितियां कमज़ोर और छोटी सहकारी संस्थाओं का मार्गदर्शन कर सकती हैं।

स्रोतः

1. डॉलिंगर एमजे (2004), एंट्रोप्रेन्योरशिपः स्ट्रेटेजीज़ एंड रिसोर्सेज़, पीयरसन एजुकेशन।
2. लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 386 का 19.07.2022 को दिया गया उत्तर।
3. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (2018), स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल। ❑

सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी

– डॉ. नीलम पटेल, डॉ. तनु सेठी

विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत पांचवें स्थान पर है। विश्व की शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए भारत को अपनी जनसांख्यिकीय बढ़त का लाभ उठाने की आवश्यकता है। सहकारी आंदोलन एक ऐसा ज़रिया है जो युवाओं और विशेष रूप से अधिक से अधिक महिलाओं को स्थायी आर्थिक विकास में रचनात्मक योगदान देने के लिए मुख्यधारा में ला सकता है। भारत में सहकारिता आर्थिक गतिविधियों के लगभग हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना रही है। क्षमता निर्माण, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को एकीकृत करने वाले समावेशी सहकारी मॉडलों को बढ़ावा देने से वास्तविक सहकारी विकास मॉडलों की स्थापना हो सकती है और संयुक्त राष्ट्र–सतत विकास लक्ष्यों (यूएन–एसडीजी) की प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

भारत की सहकारी समितियां देश के सामाजिक–आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत स्वतंत्रता पूर्व काल में हुई थी। सहकारिता व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन)। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सहकारी समितियां विकसित हुई हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हो गई हैं। सहकारी समितियों, सूक्ष्म उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों आदि के विस्तार के कारण नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार हुआ है। दुनिया भर में 30 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनमें विश्व की 12 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कार्यरत है (सहकारिता मंत्रालय, 2022 c)।

डा. नीलम पटेल नीति आयोग में सीनियर एडवाइज़र (कृषि) और तनु सेठी सीनियर एसोसिएट हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई–मेल : neelam.patel@gov.in, tanusethi@gov.in

भारत में 8.55 लाख सहकारी समितियां हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं जिनमें 13 करोड़ लोग इनसे सीधे जुड़े हुए हैं। भारत में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएं हैं अर्थात् राज्य सहकारी समितियां और बहु–राज्य सहकारी समितियां। दुनिया की 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियों में भारत की तीन समितियां अमूल, इफको और कृभको शामिल हैं।

सहकारिता के विस्तार और विकास को मज़बूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करने और समृद्धि के लिए सहयोग की भावना जागृत करने के उद्देश्य से 6 जुलाई, 2021 को एक नए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' पर आधारित सरकार की परिकल्पना समग्र मानव संसाधन विकास को समन्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षमता निर्माण, कौशल, युवाओं और महिलाओं को शामिल करने वाले समावेशी सहकारी मॉडलों को बढ़ावा देने से वास्तविक सहकारी विकास मॉडलों की स्थापना और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और यूएन–एसडीजी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीतिः 'सहकार से समृद्धि'

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है (आईएमएफ, 2022)। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने और नई सामाजिक पूंजी के सृजन के लिए समर्पित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना एक शानदार पहल है जिसे वर्तमान सरकार ने क्रियान्वित किया है।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति और सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य सहकारी समितियों को एक वास्तविक जन–आधारित आंदोलन के रूप में ज़मीनी स्तर तक पहुँचाना और सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह सहकारिता–आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करने पर बल देता है जो भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है। सहकारिता मंत्रालय में देश में सहकारी आंदोलन (सहकारिता मंत्रालय, 2022 b) के तालमेल के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और नीतिगत ढांचा शामिल है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और हर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र तक प्रतिस्पर्धा, सहकारी विपणन और पहुँच को बढ़ावा दिया जा सकता है। 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता मंत्रालय, 2022 d) के मंत्र यानी सहकारिता के ज़रिए समृद्धि हासिल करने के लिए हर गाँव को सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा।

सहकारी संस्थाएं आय सृजन, महिलाओं के सशक्तीकरण और समाज के वंचित वर्गों के लिए अवसरों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह देश में शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाटने में सहयोग कर सकती हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण आबादी को कौशल, शिक्षा, वित्तीय सहायता आदि प्रदान की जा सकती है।

सहकारी समितियों ने कृषि वित्त के वितरण और उससे जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में कृषि अवसंरचना स्थापित करने में सहकारी समितियों विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के योगदान को बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है। सहकारी समितियों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुद्रा योजना आदि जैसी कई योजनाएं सहकारी समितियों को सरकार के साथ सहयोग करने और अनेक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।

सहकारी समितियों की पैठ

सहकारी समितियों ने मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के विभिन्न भागों में लगभग 8.5 लाख सहकारी संगठन मौजूद हैं। इसमें 1.5 लाख डेयरी और आवास समितियां, 97,000 पीएसीएस, 46,000 शहद सहकारी समितियां, 26,000 उपभोक्ता समितियां, मत्स्य सहकारी समितियां और सहकारी चीनी मिलें शामिल हैं। 51 प्रतिशत गाँव और 94 प्रतिशत किसान किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़े हैं (सहकारिता मंत्रालय, 2022a)। सहकारी समितियां किसानों और सूक्ष्म उद्यमिता उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

सहकारी क्षेत्र में देश के कुल कृषि ऋण का लगभग 20 प्रतिशत, उर्वरक वितरण का 35 प्रतिशत, उर्वरक उत्पादन का 25 प्रतिशत, चीनी उत्पादन का 31 प्रतिशत, दूध उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक होता है और गेहूं की 13 प्रतिशत से अधिक और धान की 20 प्रतिशत से अधिक खरीद होती है। 21 प्रतिशत से अधिक मछुआरों के व्यवसाय सहकारी समितियों (सहकारिता मंत्रालय, 2022 a) द्वारा किए जाते हैं।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को डेयरी, एफपीओ, जल और गैस वितरण, बायोगैस उत्पादन और वितरण आदि सुविधाओं के साथ बहुउद्देशीय मॉडल में बदला जाएगा यानी ये पीएसीएस कई सुविधाएं प्रदान करेंगे। वर्तमान में लगभग 65,000 पीएसीएस को क्रियान्वित किया जा रहा है और सरकार ने पांच वर्ष में 3 लाख नए पीएसीएस के गठन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में सहकारी समितियां हैं जैसे शहरी सहकारी बैंक, आवास, मत्स्य और अन्य प्रकार की सहकारी समितियां जो लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।

महिलाओं और युवाओं की भागीदारीः सहकारिता आंदोलन के उत्प्रेरक

सहकारी समितियों ने कृषि गतिविधियों, ग्रामीण गतिविधियों और ग्रामीण विकास को मज़बूती प्रदान की है। आर्थिक गतिविधियों में युवाओं और महिलाओं की अधिक भागीदारी को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सहकारी समितियां आदर्श संस्थाएं हैं। ग्रामीण भारत में देश की 68.8 प्रतिशत आबादी और इसमें बसने वाले 72.4 प्रतिशत कार्यबल के साथ विशाल मानव पूंजी है (जनगणना, 2011)। 2001 में दर्ज की गई ग्रामीण और शहरी आबादी क्रमशः 74.3 करोड़ और 28.6 करोड़ थी; जबकि 2011 में यह क्रमशः 83.3 करोड़ और 37.7 करोड़ थी (जनगणना, 2011)। साथ ही, शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर काफी अधिक थी। वर्ष 2011–12 में शहरी महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर 14.7 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण महिलाओं की संख्या 24.8 प्रतिशत थी

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और उनके रोज़गार के स्तर में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2020–21 के लिए उपलब्ध नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष और महिला के लिए अनुमानित कामगार–जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 73.5 प्रतिशत और 31.4 प्रतिशत था (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित) (श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2022 a)। महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) 2019–20 के दौरान अनुमानित 28.7 प्रतिशत से बढ़कर 2020–21 में 31.4 प्रतिशत हो गया है (श्रम और रोज़गार मंत्रालय, 2022 b)।

लेकिन भारत में 8,54,300 सहकारी समितियों में से केवल 2.52 प्रतिशत सहकारी समितियों में महिलाएं शामिल हैं (अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत, 2021)। महिलाओं ने आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) और लिज्जत जैसे कई सहकारी आंदोलनों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 45,000 महिलाएं लिज्जत के सहकारी आंदोलन से जुड़ी थीं जबकि अमूल सहकारी समितियों ने 36 लाख किसान परिवारों विशेषकर महिला किसानों को जोड़ा है। इन महिला सहकारी समितियों ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को सफलतापूर्वक बदल दिया है। सफल महिला सहकारी समितियों जैसे महिला औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड, स्वरोज़गार महिला संघ (सेवा) सहकारी समितियां, स्वाश्रयी महिला सेवा बैंक, महिला सेवा लोक स्वास्थ्य कोऑपरेटिव, कृष्णा दायन (मिड वाइफ) कोऑपरेटिव, संगिनी चाइल्ड केयर वर्कर्स कोऑपरेटिव, अबोडाना महिला कापड़ छापकम उत्पादक सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड, महिला सुपर बाज़ार, भ्रमरंबा महिला सहकारी बैंकिंग सोसाइटी, उषा सहकारी बहुउद्देशीय स्टोर लिमिटेड आदि ने समाज में महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण में योगदान दिया है (मुज़ामिल, 2008; दाश एवं अन्य, 2020)।

जैसा कि नए सहकारी आंदोलन में कल्पना की गई है, ग्रामीण–स्तर की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से सशक्तीकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास की दिशा में महिलाओं की भागीदारी को मुख्यधारा में लाया जा सकता है। ग्रामीण महिलाएं मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसलिए सहकारी समितियों को लिंग उत्तरदायी कदम उठाने की आवश्यकता है यानी भुगतान में समानता, ग्रामीण महिला सहकारी समितियों के स्थानीय

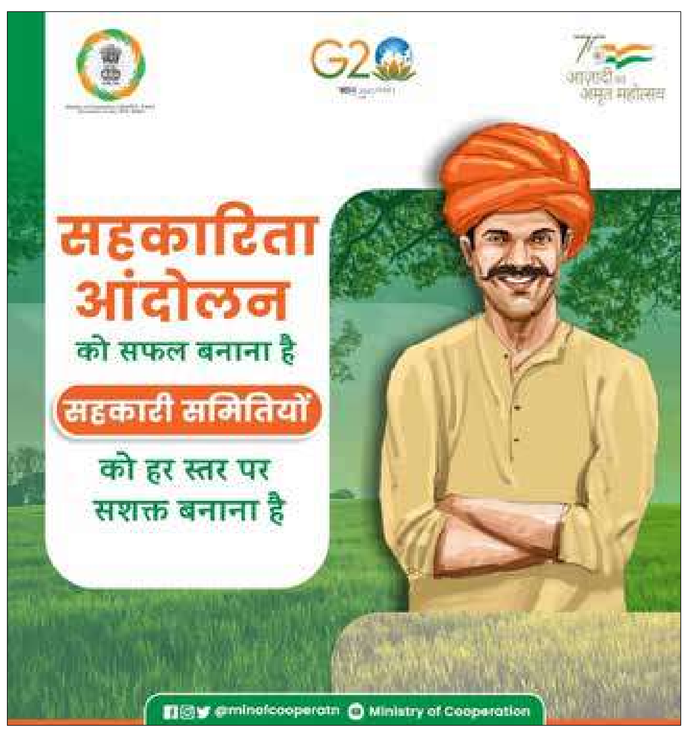

उत्पादों को बढ़ावा देना, सहकारी नेताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और अनुकूल सहकारी कानून सुनिश्चित करना।

साथ ही, प्राइम डेमोग्राफिक विंडो (प्रमुख जनसांख्यिकीय लाभ) यानी सहकारिता आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का अवसर है। भारत में 29 वर्ष की औसत आयु वाला युवा आबादी का सबसे बड़ा समूह है जो अवसरों का लाभ उठाने का जनसांख्यिकीय माध्यम है—एक 'युवा ज्वार' आर्थिक और सामाजिक सुधारों का अग्रदूत बन सकता है। ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान किए जाने पर युवाओं को श्रम बल में शामिल किया जा सकता है जिससे वे सहकारी विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक साधन बन सकते हैं। कई देशों ने युवाओं को परिभाषित करने के लिए आयु सीमा तय की है। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति–2003 के अनुसार, 'युवा' को 13–35 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जबकि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 वर्ष के बीच के किसी भी व्यक्ति को युवा माना गया है। (यूथ इन इंडिया 2022)।

2021 में देश में 15–29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा जनसंख्या का 27.2 प्रतिशत भाग थे (यूथ इन इंडिया, 2022)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक 15–29 आयु वर्ग के युवाओं के घटकर 22.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2017–18 के दौरान श्रम बल में युवाओं की भागीदारी दर 38.2 प्रतिशत के निम्न स्तर पर थी जो 2020–21 के दौरान थोड़ा बढ़कर 41.4 प्रतिशत हो गई।

साथ ही, युवा महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी युवा पुरुषों की तुलना में बहुत कम थी। महिला युवाओं की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ी है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में भी एलएफपीआर में अधिकतम वृद्धि ग्रामीण महिलाओं की थी यानी 2017–18 में 24.6 प्रतिशत से 2020–21 में 36.5 प्रतिशत (सामान्य स्थिति में अनुमानित) (यूथ इन इंडिया, 2022)।

सहकारी क्षेत्र इस 'युवा ज्वार' के एक भाग को आत्मसात करने में सहायता कर सकता है क्योंकि यह युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय संसाधनों, कौशल, ज्ञान को एकजुट करने में सक्षम बनाता है। युवाओं का अक्सर यह कहना है कि सहकारी समितियों के मूल्यों और सिद्धांतों की वजह से वह उनकी ओर आकृष्ट होते हैं जो उन्हें अपने उद्यम स्थापित करने में सुगमता प्रदान करते हैं। साथ ही, सहकारी शिक्षा के लिए आवंटित 55 करोड़ रुपये का सहकारी शिक्षा बजट सहकारी समितियों की भागीदारी को लाभ पहुँचाएगा।

उद्यम का सहकारी मॉडल युवा रोज़गार में भी योगदान देता है और स्वरोज़गार के माध्यम से रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करता है। यह मॉडल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों और सभी शैक्षणिक और कौशल स्तरों के लिए भी सहायक है। जिनमें हालिया स्नातक भी शामिल हैं और जिनके रोज़गार खोजने की सीमित संभावनाएं हैं।

निष्कर्ष

सहकारी संगठन रोज़गार के महत्वपूर्ण स्रोत का सृजन करते हैं और सामूहिकता, लागत लाभ की अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के माध्यम से अनौपचारिक रोज़गार का औपचारीकरण करते हैं। भारत में सबसे कम आयु की युवा आबादी और बड़ी संख्या में महिलाओं का सबसे बड़ा समूह है जिसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है जिससे समग्र रूप से समाज को बदलने में उनके योगदान में वृद्धि होगी। मिशन मोड में ज़मीनी स्तर पर सहकारी समितियों की पैठ नए भारत की ओर देश के विकास की परिकल्पना को साकार करेगी। ❑

कृषि सहकारिता के विविध आयाम

–मंजुला वाधवा

समाज के हर क्षेत्र को सहकारिता आंदोलन का लाभ पहुँचाने के लिए सभी सहकारी संस्थाओं, बैंकों के लिए कड़े विनियमन और परिचालन मानदंड बनाए जाएं। आज भी देश में मौजूद कुल आठ लाख सहकारी संस्थाओं में से महिला सहकारिताएं मात्र 3 प्रतिशत हैं, अतः महिला सहकारिताएं बढ़ाई जाएं तो श्रेयस्कर होगा। पूरे देश में सहकारिताओं के लिए आधुनिक बाज़ार, अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से, एकरूप मानदंड बनाना बेहतर होगा। नया मंत्रालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि सहकारिताओं को सही अर्थों में जनतांत्रिक बनाया जाए जो अपने सदस्यों के वित्तीय हितों के साथ–साथ अपने संगठन की स्वायत्तता भी बरकरार रख सकें।

सहकारिता एक मूलभूत और अंतर्जात गुण है जो हमें साथ–साथ काम करने, साथ में जीने और परस्पर कल्याण तथा सुधार हेतु संकट के समय एक–दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर बनाता है। सहकारिता के माध्यम से लोग सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने और व्यक्तिगत कमज़ोरियों से निजात पाने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। पुरानी कहावत है, 'अगर आप उत्तरोत्तर बेहतर होना चाहते हैं तो 'प्रतिस्पर्धी' बनें और यदि आप गुणोत्तर वृद्धि करना चाहते हैं तो 'सहकार' करें।

भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास 125 वर्षों से भी पुराना है। इसका उद्‌भव उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आए अकाल के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हुए असंतोष तथा किसानों के वित्तपोषण के लिए संस्थागत संस्थाओं के मौजूद न होने के मद्देनज़र हुआ। 1904 में पास हुए सहकारी ऋण समिति अधिनियम में कृषि सहकारी संस्थाओं के गठन की परिकल्पना की गई।

भारत में सहकारी ऋण सरंचना को मोटे तौर पर ग्रामीण व शहरी, दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश के कुल 766 ज़िलों में शहरी सहकारी संरचना में 1600 से अधिक शहरी सहकारी बैंक आते हैं और ग्रामीण सहकारी संरचना में, अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 97,006। अल्पावधि सरंचना के अंतर्गत शीर्ष (राज्य) स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, मध्य(ज़िला) स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और आधार (गाँव) स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ होती

लेखिका नाबार्ड में सहायक महाप्रबंधक हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई–मेल : manjula.jaipur@gmail.com

हैं। दीर्घावधि सहकारी ऋण सरंचना के अंतर्गत राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आते हैं। हमारे नीति निर्माताओं ने भारत की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में सहकारी संरचना की गहरी पैठ को स्वीकार करते हुए इसके विकास और मज़बूती को काफी महत्व दिया है।

आइए, जायज़ा लेते हैं भारत जैसे विकासशील देश के संतुलित व समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए कितनी अहम हैं सहकारिताएं? सहकारिताएं समुदाय आधारित, स्वैच्छिक, लचीली, सदस्यों की भागीदारी के सिद्धांतों पर चलने वाली प्रजातांत्रिक संस्थाएं होती हैं जिनका काम होता है सभी प्रकार के शोषण से अपने सदस्यों को बचाकर उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना, बराबरी और आपसी सहयोग के सिद्धांतों पर चलकर आपसी लाभ की मूल भावना को लेकर काम करना, बड़े पैमाने की बचतें लाकर सदस्यों की भावतौल क्षमता बढ़ाना और हर सदस्य के लाभ के लिए कार्य करना, वर्ग भेद को समाप्त करना और नौकरशाही की बुराइयों से मुक्ति पाकर सभी सदस्यों के विकास के लिए कार्य करना।

बेशक सहकारिता में देश के समग्र विकास की विराट संभावनाएं हैं इसीलिए वर्तमान केंद्र सरकार ने इस सच्चाई को समझा कि सही नीतियाँ बनाकर और पूंजी जुटाकर सहकारी क्षेत्र के प्रशिक्षण और विकास की दिशा में गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। नतीजतन, 2022–23 के केन्द्रीय बजट में सहकारिता मंत्रालय को 900 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसी में से 11 करोड़ रुपये वैकुंठनाथ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (VAMNICOM) में प्रशिक्षण और शोध के लिए दिए गए हैं। एक लाख करोड़ के कृषि अवसरंचना फंड से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), किसान उत्पादक संगठनों(एफपीओ), एग्री–प्रेन्योर्स आदि सभी को फायदा हुआ है। पैक्स ने इस फंड से वित्तीय सहायता लेकर कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए वेयरहाउस बनाए हैं। नाबार्ड से अनुदान लेकर स्वयं को बहु–सेवा केन्द्र बनाया है। पैक्स अपने किसान सदस्यों को खेती की नई तकनीकें सीखने के लिए प्रशिक्षण दे सकें, इसके लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन भी सराहनीय कदम प्रतीत होता है। कृषि स्टार्टअप्स के विकास के लिए पैक्स और बहुराज्यीय सहकारी समितियों से अपेक्षित है कि वे खेती में नई–नई तकनीकों जैसे कृत्रिम मेधा(Artificial Intelligence), ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग आदि का इस्तेमाल करके खेती को उन्नत बनाएं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही हैं और 2022–23 की सहकारिता शिक्षण–प्रशिक्षण नीति में सहकारी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास, सूचना व संचार तकनीकों के इस्तेमाल, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसलों की कटाई के बाद उनके प्रबंधन और मूल्यवर्धन आदि पर बल दिया गया है।

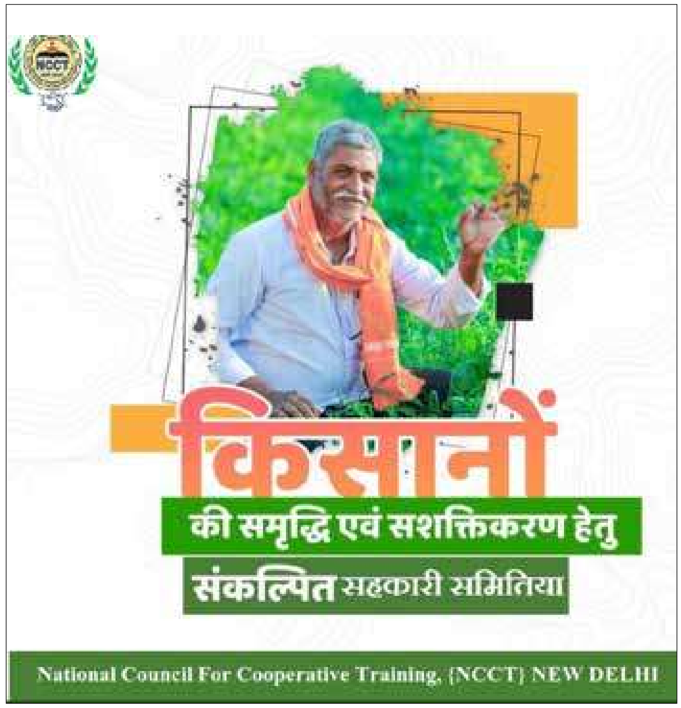

कृषि सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों की बात करें तो पाते हैं–हमारे संविधान में 'सहकारिता' विषय राज्य सूची में आता है। हर राज्य के अपने सहकारी विधान हैं जिनके कारण उनके सुचारू कार्यान्वयन में काफी मुश्किलें आती हैं। सहकारी बैंक हों या संस्थाएं, आज भी व्यावहारिक दृष्टि से उनका नियंत्रण राजनीतिज्ञों के हाथों में है। निदेशक मंडल के सदस्यों की जवाबदेही तय करना भी टेढ़ी खीर है। हालांकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम को भी 2020 में संशोधित करके सहकारिताओं पर लागू नियमों–कानूनों को कड़ा बनाने का प्रयास किया गया है किंतु वास्तव में, पेशेवराना और पारदर्शी अंदाज़ में बोर्ड नियुक्तियाँ आज भी देखने को नहीं मिलती। आम जन में सहकारिता आंदोलन और सहकारी बैंकों के नियमों–विनियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

VAMNICOM द्वारा करवाई गई स्टडी बताती है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कनार्टक जैसे राज्यों में सहकारी बैंक/संस्थाएं काफी अच्छी स्थिति में हैं जिन्हें केन्द्र सरकार से भी इक्विटी या कार्यशील पूँजी के रूप में वित्तीय सहायता मिलती है जिसके कारण अन्य राज्यों में सहकारिता का विकास करने के लिए धन की कमी पड़ जाती है। बेहद ज़रूरी है कि अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं को भी सरकार की ओर से वित्तीय तथा अन्य सहायता मिले ताकि सहकारिता आंदोलन उन राज्यों में भी सफल हो सके। प्रशासनिक विसंगति यह है कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से पहले कृषि मंत्रालय ही इनके काम को देखता था। फलस्वरूप अब कृषि और डेयरी के मुकाबले आवास और श्रम के क्षेत्र की ओर सहकारिता का रुझान अधिक देखने को मिल रहा है।

एक समय था जब 'पैक्स' ही किसानों को कृषि ऋण दिया करती थी, आज वाणिज्यिक बैंकों ने इसमें अपना आधिपत्य जमा

लिया है, नतीजतन 'पैक्स' कुल कृषि ऋण का मात्र 10 फीसदी ही दे रही हैं। इस प्रकार सहकारी संस्थाओं की कम हो रही भूमिका यकीनन गंभीर चिंता का मुद्दा है। सरकार और जनता दोनों की ओर से सहकारिताओं को आर्थिक और वित्तीय संस्था के रूप में मान्यता नहीं मिल रही। अतः सरकार के 'सहकार से समृद्धि' के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन निश्चय ही सराहनीय प्रयास है। इस मंत्रालय के स्पष्ट उद्देश्य हैं—सहकारिता आंदोलन को मज़बूत बनाने के लिए नीतिगत, प्रशासनिक और कानूनी माहौल तैयार करना, सहकारिता को आधार स्तर पर आम जन तक पहुँचने में कामयाब जन आंदोलन का रूप देना, पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करके इनका व्यवसाय बढ़ाने में मदद करना। इसके अलावा, यह मंत्रालय इफको, कृभको जैसे मल्टी सर्विस सेंटर्स के नियंत्रक केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज़ का भी पर्यवेक्षण करेगा।

पिछले कुछ सालों में सहकारी बैंकों में हो रहे घोटाले, गबन और कुप्रबंधन के कारण आम जन को जो झेलना पड़ा है, उसे देखते हुए भारत सरकार ने 2020 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम को संशोधित करके शहरी सहकारी बैंकों को सीधे रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में ला दिया। जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से अब तक सहकारी बैंकों को मिल रही छूटें समाप्त कर दी गईं। हालांकि ये नए व कड़े मानदंड केवल जमाराशि स्वीकार करने वाले सहकारी बैंकों के लिए बनाए गए हैं और सहकारी बैंकों को नए विनियामक मानदंडों का पालन करते हुए वांछित स्तर तक पहुँचने में समय लगेगा। बेहतर होगा कि समाज के हर क्षेत्र को सहकारिता आंदोलन का लाभ पहुँचाने के लिए सभी सहकारी संस्थाओं, बैंकों के लिए कड़े विनियमन और परिचालन मानदंड बनाए जाएं। आज भी देश में मौजूद कुल आठ लाख सहकारी संस्थाओं में से महिला सहकारिताएं मात्र 3 प्रतिशत हैं, अतः महिला सहकारिताएं बढ़ाई जाएं तो श्रेयस्कर होगा। पूरे देश में सहकारिताओं के लिए आधुनिक बाज़ार, अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से, एकरूप मानदंड बनाना बेहतर होगा। नया मंत्रालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि सहकारिताओं को सही अर्थों में जनतांत्रिक बनाया जाए जो अपने सदस्यों के वित्तीय हितों के साथ साथ अपने संगठन की स्वायत्तता भी बरकरार रख सकें।

अब ज़रा आज की वैश्वीकरण की दुनिया में सहकारी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर विचार कर लें— बेशक वैश्वीकरण ने आम जन के लिए महत्वपूर्ण नए क्षेत्रों में अतिरिक्त अवसर उत्पन्न किए हैं किंतु वाणिज्यिक दृष्टि से उन्हें व्यवहार्य नहीं माना जाता है। पूरी दुनिया के वित्तीय क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने वाली महामारी कोविड–19 से वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई है। नतीजतन, भारत जैसे विकासशील देश में समावेशी और समान विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। हमारी सरकार और बैंकों को समझ में आ चुका है कि वित्तीय समावेशन और साक्षरता के बिना वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखना मुश्किल होगा। निःसंदेह स्वयं सहायता और परस्पर सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित सहकारी संस्थाएं वंचित लोगों को भी अपने साथ लेकर मूलभूत बैंकिंग गतिविधियों में उन्हें शामिल करने की महती भूमिका निभाती हैं।

भारत जैसा देश जहाँ भूजोतों का औसत आकार मात्र 1.08 हेक्टेयर हैं और छोटे और सीमांत किसान कुल का 85 प्रतिशत सहकारी संस्थाएं अनेक कारणों जैसे वित्तीय व बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्रबंधकीय व्यावसायिकता की कमी, विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण की कमी, राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप, सामाजिक समानता और जागरूकता के अभाव आदि के कारण छोटे किसानों का जीवन–स्तर बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं कर पाईं। इन कमियों को दूर करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों(FPOs) की अवधारणा लाई गई। एफपीओ वह पंजीकृत संस्था है जो प्राथमिक उत्पादक यानी किसान मिलकर बनाते हैं, अलग–अलग खेती करते हैं और इस संगठन के ज़रिए उनकी पहुँच निवेश, तकनीक, इनपुट्स और बाज़ार आदि तक किफायती तरीके से हो पाती है और उन्हें बड़े पैमाने की बचतों का लाभ मिल पाता है।

एफपीओ के लाभ

- किसानों की आय में सुधार
- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कर्ज़ लेने के लिए बेहतर पहुँच
- सरकार की फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक बेहतर पहुँच
- बड़े पैमाने की बचतें
- बिचौलियों से मुक्ति
- उत्पादन–उन्मुख की बजाय बाज़ार–उन्मुख खेती

मास प्रोडक्शन हमारे देश के अर्थतंत्र के विकास के लिए ज़रूरी है 'साथ ही, 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे विशाल देश में प्रोडक्शन बाई मासेज़' भी बेहद ज़रूरी है और इसका कॉन्सेप्ट सहकारिता के सिवा कहीं से नहीं आता है। इसी नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार द्वारा फ्री रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइज़ेशन, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव, सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करना, संचालन और नेतृत्व में व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाने, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय करने आदि जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही, प्रभावी मानव संसाधन नीति, जिसमें पारदर्शिता से भर्तियां हों, बुनियादी ढांचे का सशक्तीकरण, तकनीक का उपयोग और इसके लिए नीति–नियम और दिशानिर्देश आदि नए ढंग से बनाने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा संस्थागत सुधारों के फलस्वरूप, डेयरी और आवास जैसे क्षेत्रों में कुछ सहकारी संस्थाएं कामयाब रहीं। वर्ष 2004 में वैद्यनाथन समिति ने इन्हें सुधारने के लिए प्रयास किए किंतु विरासत की समस्याओं के कारण इन्हें भी सीमित सफलता मिली और स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों जैसी नयी विशिष्ट संस्थाओं ने आकर सहकारी संस्थाओं को दरकिनार कर दिया। तब इस अंतराल को भरने के लिए किसान उत्पादक संगठन, छोटे और हाशिये पर पर रहने वाले किसानों तक उनकी पहुँच होने के कारण बेहतरीन विकल्प के रूप में सामने आए। भले ही एफपीओज़ के उद्देश्य सहकारी संस्थाओं से मेल खाते हैं किंतु दोनों में बुनियादी अंतर हैं जैसे एफपीओ कंपनी अधिनियम के भाग IX-A के अंतर्गत गठित हो सकते हैं या सहकारी संस्था के रूप में। हालांकि 2013 की एफपीओ पॉलिसी में स्पष्ट प्रावधान है कि इन्हें सहकारी संस्थाओं की भांति राजनीतिज्ञों के इशारों पर चलने वाली संस्था बनने से बचाया जाए। दूसरी बात, कृषि इनपुट्स की खरीद और फसल की बिक्री दोनों ही लिहाज से ये बाज़ार–उन्मुख संस्थाएं हैं जो व्यावहारिक दृष्टि से तभी चल सकती हैं अगर पेशेवराना अंदाज़ में किसानों के हित में काम करें। सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो पहली समस्या है एफपीओ का आकार यानी सदस्य संख्या। किसानों को फायदा तभी मिल सकता है अगर एफपीओ का टर्नओवर अपने गठन के शुरुआती 2–3 सालों में कम से कम 5 करोड़ हो और निवल लाभ 30 से 50 लाख रुपये और यह तभी हो सकता है अगर इनके शेयरहोल्डर सदस्य 2000–3000 तक हों। लिहाज़ा, एफपीओ गठन के लिए निर्धारित न्यूनतम 300 सदस्य(पहाड़ी इलाकों में 100–150) होने के मानदंड में बदलाव की ज़रूरत है। अगली समस्या है इन्हें किफायती दरों पर पूंजी मुहैया हो पाना। कैसी विडम्बना है कि किसानों को बैंक तो आजकल 7–9 फीसदी पर कर्ज़ दे रहे हैं किंतु उनके संगठनों यानी एफपीओ को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं से 18 फीसदी पर ऋण लेना पड़ता है। इन्हें सरकार से 2 करोड़ तक के कर्ज़ पर क्रेडिट गारंटी की सुविधा तो है किंतु इनकी कार्यशील पूँजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज दरें घटाए जाने की ज़रूरत है।

अगली बड़ी ज़रूरत है पेशेवर प्रबंधक जो कार्यकुशलता से एफपीओ चला सकें। आज अगर अमूल सहकारिता में अगुआ है तो इस सफलता के पीछे वर्गीज़ कूरियन और उनकी टीम का बड़ा हाथ रहा। एनडीडीबी, एसएफएसी, एनसीडीसी जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करना होगा। पुराने बाज़ार मॉडलों को छोड़कर यह भी ज़रूरी है कि अब एफपीओ ई–नाम, कमोडिटी एक्सचेंज, फ्यूचर मार्किट, रेटिंग एजेंसी, रेगुलेटिड वेयरहाउस जैसे बिक्री के नए माध्यम अपनाएं। ब्रांड–बिल्डिंग की ओर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है ताकि एफपीओ की पहुँच बड़े और गुणवत्तापरक बाज़ारों तक हो सके। एफपीओ फेडरेशन बनाकर भी इनके काम को तेज़ गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रसिद्ध सहकारिता विशेषज्ञ ए बी गोरवाला के शब्दों को नया रूप देने की ज़रूरत है, ''सहकारिताएं असफल हो चुकी हैं किंतु एफपीओज़ हर हाल में सफल होने चाहिए''।

सहकारिता विकास हेतु पहल

अब नज़र डालते हैं भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए अभिनव कदमों पर– 06 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन इस दिशा में मील स्तम्भ साबित हुआ है। हाल ही में 08 सितम्बर, 2022 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता पर आयोजित 02 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''अब समय आ गया है कि भारत में 125 साल पुराना सहकारिता का विचार और संस्कार आज की ज़रूरतों के अनुरूप अपने आप को मज़बूत करके एक बार फिर सबका विश्वास अर्जित करे। ज़रूरत है सहकारिता में 'टीम' इंडिया का भाव जगाने की ताकि प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना साकार करने में सहकारिता का अहम योगदान हो''।

कृषि के क्षेत्र में सहकारिता का महत्व निर्विवाद है। हमारे देश में डेयरी और हाउसिंग की डेढ़ लाख समितियाँ हैं, 97,000 पैक्स हैं और 46,000 लघु सहकारी समितियाँ हैं। देश के 51 प्रतिशत गाँव और 94 प्रतिशत किसान किसी ना किसी रूप में कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। देश के कुल एग्रीकल्चर क्रेडिट का 20 प्रतिशत कोऑपरेटिव सेक्टर देता है, खाद वितरण का 35 प्रतिशत कोऑपरेटिव सेक्टर करता है, वही खाद का उत्पादन 25 प्रतिशत, चीनी उत्पादन 31 प्रतिशत, दूध उत्पादन 10 प्रतिशत से ज़्यादा कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। गेहूं की खरीद 13 प्रतिशत से ज़्यादा, धान की खरीद 20 प्रतिशत से ज़्यादा और मछुआरों का बिज़नेस 21 प्रतिशत से ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर करता है। ऐसे में क्या ज़रूरी नहीं कि सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में एकरूप

नीतियां अपनाई जाएं? देश के विकसित राज्य जो ज़्यादातर पश्चिम और दक्षिण में हैं, विकासशील राज्य जो मध्य और उत्तर में हैं, अल्पविकसित राज्य जो पूर्व और पूर्वोत्तर में हैं, सभी के सहकारी विभाग एक ही मार्ग और एक ही विषय को लेकर चलें।

कोविड काल में भी केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत के 70 करोड़ लोगों के जीवन–स्तर में सुधार आया है–घर, पेयजल, गैस सिलेंडर, दो साल से मुफ़्त अनाज, बिजली सुविधाओं और पांच लाख रुपये तक की सभी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से। अब इनकी आकांक्षा जागी है और ये करोड़ों लोग देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन इनके पास पूंजी बहुत कम है तो इसका हल सिर्फ़ 'सहकारिता' ही हो सकता है। सहकारिता एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी होने पर भी बहुत सारे लोग एक साथ आकर बड़ा योगदान दे सकते हैं, गुजरात में अमूल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार के सर्वांगीण विकास पर विचार करने के लिए सहकारी नीति तैयार करने के लिए हाल ही में एक समिति बनाई गई है जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है।

'मास प्रोडक्शन' हमारे देश के अर्थतंत्र के विकास के लिए ज़रूरी है। साथ ही, 130 करोड़ की आबादी वाले हमारे विशाल देश में 'प्रोडक्शन बाई मासेज़' भी बेहद ज़रूरी है और इसका कॉन्सेप्ट सहकारिता के सिवा कहीं से नहीं आता है। इसी नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार द्वारा फ्री रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइज़ेशन, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव, सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करना, संचालन और नेतृत्व में, व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाने, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय करने आदि जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही, प्रभावी मानव संसाधन नीति, जिसमें पारदर्शिता से भर्तियां हों, बुनियादी ढांचे का सशक्तीकरण, तकनीक का उपयोग और इसके लिए नीति–नियम और दिशानिर्देश आदि नए ढंग से बनाने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है।

अगली आवश्यकता है, 'पैक्स' को मल्टीपर्पज़ बनाना–अभी लगभग 65,000 पैक्स सक्रिय हैं और सरकार की योजना अगले 5 साल में तीन लाख नए पैक्स बनाने की है। ये पैक्स डेयरी के क्षेत्र में होंगे, एफपीओ भी होंगे, जल, गैस का वितरण करेंगे, गोबर गैस बनाएंगे, भंडारण का काम भी करेंगे। जिन पंचायतों में पैक्स नहीं हैं, उनकी भी पहचान की गई है। अगर पैक्स को इतना बहूद्देश्यीय बनाना है तो इसके अकाउंटिंग सिस्टम को हमें नए सिरे से देखना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पैक्स से एपैक्स तक, सुचारू रूप से सीमलैस ट्रांज़ेक्शन के लिए, पैक्स के कंप्यूटराइज़ेशन का निर्णय किया है। प्रथम चरण में 65,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भारत सरकार का सहकारिता विभाग बना रहा है। इसके बाद पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड, चारों एक ही सॉफ्टवेयर और एकरूप अकाउंटिंग सिस्टम से चलेंगे जिससे ऑनलाइन ऑडिट की भी सुविधा हो जाएगी। पैक्स के उपनियम स्वीकार करने, उनके कंप्यूटरीकरण और नए सॉफ्टवेयर को अपनाने से बहुत सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। यह सॉफ्टवेयर देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा जिससे हर राज्य अपने पैक्स का कारोबार अपने राज्य की भाषा में कर सकेगा।

इसके अलावा, निष्क्रिय पैक्स को लिक्विडेट करके नए पैक्स बनाने, पैक्स को अल्पावधि के अलावा दीर्घावधि ऋण देने में सक्षम बनाने, सहकारिता विश्वविद्यालय खोलने, एक मल्टी–स्टेट बीज उत्पादन कोऑपरेटिव बनाने, अमूल, इफको, नेफेड, एनसीडीसी और कृभको आदि को मिलाकर एक मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट हाउस बनाने आदि जैसे अहम फैसले भी लिए गए है, जो खादी के उत्पादों, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर उत्पादों को विश्व भर के बाज़ार में एक्सपोर्ट करने का काम करेगा। पैक्स का कंप्यूटरीकृत करने के अलावा मल्टी स्टेट को–आपॅरेटिव कानून को संशोधित करने और मॉडल बायलॉज़ बनाने के काम भी किए जाने हैं। सहकारिता मंत्रालय ने कोऑपरेटिव को मज़बूत करने के लिए पिछले एक साल में बहुत सारे काम किए हैं।

उपलब्धियां

- चीनी मिलों पर अतिरिक्त आयकर लगता था जो अन्यायपूर्ण था। सहकारिता मंत्रालय बनने के एक महीने के अंदर ही इसे समाप्त कर कोऑपरेटिव को समानता का स्टेटस देने का काम किया गया है।
- सहकारी समिति पर अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। देश भर की कोऑपरेटिव को इसका फायदा हुआ।
- एमएटी दर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत पर लाकर कॉरपोरेट के लेवल पर लाने का काम किया गया है।
- GeM से खरीद करने और बेचने के लिए कोऑपरेटिव्स़ को मान्यता दी गई है।
- ग्रामीण और शहरी सहकारी वाणिज्य बैंकों का व्यवसाय बढ़ाने के प्रयोजन से आरबीआई से बदलाव कराने में भी सफलता मिली है और
- शहरी सहकारी बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के आरबीआई के साथ सभी लंबित सवालों की भी लिस्टिंग हो चुकी है।

संक्षेप में, सहकारिता राज्यों का क्षेत्र है और जब तक राज्य की इकाइयां इन बदलावों के लिए खुद को तैयार नहीं करती, यह आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। इन सभी बदलावों को राज्य भी अपनाएं और इस रोडमैप में सभी स्टेकहोल्डरों का योगदान हो तभी 'सहकारिता' को ताकत मिल सकती है। इसमें दो राय नहीं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र को अगले 100 साल में अर्थ तंत्र का एक मज़बूत स्तंभ बनाकर ही देश के करोड़ों गरीबों के कल्याण का लक्ष्य साधा जा सकेगा। ❑

मिलेट्स: स्मार्ट सुपर फूड

–डा. वीरेन्द्र कुमार

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जो हमारे लिए गर्व का विषय है। इस दौरान मोटे अनाजों के गुणों व खेती के प्रचार–प्रसार पर विश्व भर में काम होगा। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मिलेट्स पैदा करने वाला देश है। प्राचीनकाल से ही मोटे अनाज हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। बदलते परिवेश में ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, रागी और मंडवा जैसे मोटे अनाज यानी मिलेट्स आज के दौर के सुपरफूड हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जो हमारे लिए गर्व का विषय है। यूएनओ में भारत के इस प्रस्ताव का विश्व के 70 से ज़्यादा देशों ने समर्थन किया। इस दौरान मोटे अनाजों के गुणों व खेती के प्रचार–प्रसार पर विश्व भर में काम होगा। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मिलेट्स पैदा करने वाला देश है। सम्पूर्ण विश्व में कुल मिलेट्स उत्पादन का लगभग 41 प्रतिशत भारत में पैदा होता है। प्राचीनकाल से ही मोटे अनाज हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। हमारे देश में इन अनाजों को खाए जाने का हज़ारों साल पुराना इतिहास है। बदलते परिवेश में ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, रागी और मंडवा जैसे मोटे अनाज यानी मिलेट्स आज के दौर के सुपरफूड हैं। गत कई वर्षो से इन अनाजों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर इनकी खेती बहुतायत में की जाती है। मोटे अनाज पारम्परिक एनर्जी बार हैं।

भारत का सबसे लोकप्रिय मिलेट बाजरा है। यह विशेष तौर पर राजस्थान और उत्तर–पश्चिम भारत में उगाया जाता है। यह आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रॉयलसीमा इलाके में रागी प्रमुख रूप से उगायी जाती है। बुंदेलखंड, छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश के गरीब इलाकों में कोदों आज भी आम आदमी का भोजन है।

आज देश के पांच सितारा होटलों में टॉप शेफ मोटे अनाजों का प्रयोग बड़े पैमाने पर सब्जियों और सलाद में कर रहे है। आज भी देश के आदिवासी, सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में इनकी खेती बहुतायत में की जाती है। गरीबों के लिए तो पेट भरने वाले ये अनाज सस्ते और पोषण से भरपूर हैं। लेकिन अब इसने उच्च

लेखक जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं। लेख में व्यक्त बिचार निजी हैं।
ई–मेल : v.kumardhama@gmail.com

शर्करा स्तर, मोटापे और पाचन से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोगों की थालियों में जगह बना ली है। जिन क्षेत्रों में चावल और गेहूं की खेती नही हो सकती, वहां किसान और आदिवासी समुदाय मिलेट्स पर निर्भर हैं। यहां तक कि समृद्ध इलाकों में भी यह खानपान की संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण शरीर में होने वाली कमज़ोरियों को इनसे दूर किया जा सकता है।

मोटा अनाज गेहूं और चावल की तुलना में पूरा खाया जाता है क्योंकि इनकी बाहरी परत नही हटायी जाती है। इससे मोटे अनाज का सेहत को पूरा लाभ मिलता है। इसमें वसा, विटामिन और कैल्शियम का अच्छा घनत्व है। यह दुनिया के सबसे पुराने अनाज हैं। ज़्यादा सुविधाजनक अनाज बाज़ार में आया तो इनकी मांग घट गई। अब बेकरी में रागी जैसे मोटे अनाज का प्रयोग हो रहा है। गत कई वर्षों में देखा गया है कि पारम्परिक खाद्य ज्ञान जिस तीव्रता से लुप्त हो रहा है और जिस गति से खाद्य असुरक्षा व कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, वह निरंतर दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण है।

मिलेट्स से तात्पर्य

भारतीय मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर व सूखा सहिष्णु फसलों का एक समूह है जो ज़्यादातर भारत के शुष्क व अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में उगाये जाते हैं। यह ग्रेमिनी या पोएसी कुल के एक वर्षीय पौधे हैं जो उत्तर भारत में खरीफ के मौसम में जबकि दक्षिण भारत में खरीफ व रबी दोनों मौसम में उगाये जाते हैं। भारतीय मिलेट्स पौष्टिकता के मामले में गेहूं व चावल से बेहतर व पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं। यह ग्लूटेन मुक्त भी होते है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो इन्हें सीलिएक रोग या मधुमेह रोगियों के लिए आदर्श बनाता है।

वितरण एवं खपत

मोटे अनाजों की खेती दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों तक की जा सकती है। ये न केवल विषम परिस्थितियों में अच्छी पैदावार देते है, बल्कि पूरी पारिस्थितिकी को स्थायित्व भी प्रदान करते हैं। मोटे अनाजों की खपत क्षेत्रवार भिन्न–भिन्न होती है। भारत में दक्षिणी कर्नाटक के 100 प्रतिशत ग्रामीण व 94 प्रतिशत शहरी लोग रागी को परंपरागत खाद्य मोटा दलिया के रूप में उपयोग करते है। जबकि हिमालय की तलहटी के लोग मिलेट्स का उपयोग खाद्यान्न और सूप के रूप में तथा चपाती बनाने में करते हैं। भारत में सिक्किम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में रागी के शुष्क बीजों से शराब तैयार की जाती है। भारत के ही लद्दाख क्षेत्र में रागी से छांग नामक शराब तैयार की जाती है। कुमायूं की पहाड़ियों तथा उत्तर भारत के लोग तरल खाद्य लेते हैं, जिसमें माल्टिड सावां का आटा मिलाया जाता है।

सरकारी प्रयास और योजनाएं

हाल ही में मोटे अनाजों के मूल्य सवंर्धित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा मिलेट्स पर 5 दिसम्बर, 2022 को नई दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर बी2बी बैठकें संभावित अंतरराष्ट्रीय खरीदारों/आयातकों के साथ की गईं। इसके अलावा, मूल्य संवर्धित मिलेट्स उत्पादों की प्रदर्शनी में सैंकड़ों भारतीय निर्यातकों ने भागीदारी की।

भारत विश्वभर में मिलेट्स के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। देश के लोगों में खाने की आदतों, पोषण और मिलेट्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रश्नोत्तरी और स्वस्थ खानपान जैसे विषयों से जुड़े कार्यक्रमों की मदद से सरकार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है।

कोदो–कुटकी, सावां एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता के बीज व सीड बैंक की स्थापना में मदद के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद की मदद ली जा रही है। सरकारी स्तर पर मोटे अनाजों की खरीद व आदान सहायता देने के साथ प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की पहल, मिलेट्स के प्रसंस्करण और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। इससे किसानों, महिला समूहों और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा चुका है। केंद्रीय बजट 2022–23 में मोटे अनाजों की खेती को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

हाल ही में सहकारी क्षेत्र की उर्वरक बनाने वाली संस्था इफको ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ मिलेट्स की जैव संवर्धित किस्मों को विकसित करने के लिए करार किया है जिससे देश में भुखमरी व कुपोषण की समस्या दूर की जा सके। हाल ही में 'मन की बात' कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने कृषि के सतत् विकास, बेहतर स्वास्थ्य तथा संसाधन संरक्षण हेतु मोटे

अनाजों के अच्छे बीजों को अपनाये जाने और इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया है।

सारणी:1 मोटे अनाजों का पोषण मूल्य (100 ग्राम खाद्य भाग में)

अनाज	प्रोटीन (ग्राम)	वसा ग्रा.	कार्बोहाइड्रेट (ग्राम)	ऊर्जा (किलो कैलोरी)	कैल्शियम (मि. ग्राम)	आयरन (मि. ग्राम)
ज्वार	10.4	3.1	70.7	349	25	5.4
बाजरा	11.8	4.8	67.0	361	42	11.0
रागी	7.7	1.5	72.6	328	350	3.9
कोदों	9.8	1.6	66.6	353	35	1.7
कुटकी	8.7	5.3	75.7	340	0.02	2.8
सावां	6.93	2.0	80.6	333	23.2	6.9
कांगनी	10.3	3.1	69.9	349	30.1	3.7

बेहतर स्वास्थ्य व संसाधन संरक्षण हेतु मोटे अनाजों की खेती

मोटे अनाज स्वास्थ्यवर्धक ही नही, बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाये रखने में मदद करते हैं। हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदों और सावां जैसे कई मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ये मोटे अनाज आयरन, ज़िंक, कॉपर व प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। साथ ही, धान व गेहूं जैसी फसलों की तरह ग्रीनहाउस गैसों के बनने का कारण भी नही बनते हैं। गेहूं व धान जैसी फसलों को उगाने में यूरिया का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है जबकि मोटे अनाजों की खेती के लिए यूरिया की कोई खास ज़रूरत नही होती है। यह कम पानी वाली ज़मीन में भी आसानी से उगायी जा सकती है। इस कारण ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा बेहतर होती है।

पिछले कई दशकों से मोटे अनाजों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1966 में देश में करीब 4.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती होती थी जो आज घट कर 3.5 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। इसका प्रमुख कारण किसानों द्वारा धान व गेहूं की खेती पर ज़ोर देना है।

मोटे अनाजों की नवीनतम व जैव फोर्टिफाइड किस्में

हाल ही में मोटे अनाजों की अनेक जैव फोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया गया है। ये किस्में परंपरागत किस्मों की अपेक्षा 1.5 से 3.0 गुना ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इससे न केवल कुपोषण मुक्त भारत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ने के साथ–साथ कृषि व्यवसाय के नए आयाम भी खुलेंगे। मोटे अनाजों की प्रमुख व नवीनतम प्रजातियों में फोक्सटेल मिलेट (कांगनी) की एसआईए–3156, फिंगर मिलेट (मंडुवा या रागी) की जीपीयू–67, वीआर–847, वीएल मंडुवा 380 व वीएल मादिरा 208 प्रजातियां शामिल हैं। मोटे अनाजों में फिंगर मिलेट की सीएफएमवी 1 और 2 प्रजातियां कैल्शियम, आयरन और ज़िंक की पर्याप्त मात्रा रखती है जबकि बाजरा की एचएचबी 299 व एएचबी 1200 प्रजातियां आयरन व ज़िंक की उच्च मात्रा से भरपूर हैं। इसी प्रकार कुटकी की सीएलएमवी–1 ज़िंक व आयरन से भरपूर है।

मोटे अनाजों की खेती का महत्व

खाद्य सुरक्षा कानून में मोटे अनाजों के वितरण से न केवल खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि इससे विविधतापूर्ण खेती को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होगी। साथ ही, विषैले कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी आएगी। इसकी ज़रूरत लम्बे अरसे से महसूस की जा रही थी क्योंकि हरितक्रांति में खाद–बीज से लेकर उपज की बिक्री तक में चुनिंदा फसलों को प्राथमिकता दी गई। परिणामस्वरूप गेहूं, धान, गन्ना व कपास के क्षेत्रफल में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई परन्तु मोटे अनाजों के अंतर्गत क्षेत्रफल सिकुड़ता गया। परिणाम यह हुआ कि ज्वार, बाजरा, सावां, रागी, कोदो, जैसे पौष्टिक व रेशेदार अनाज भोजन की थाली से गायब हो गए। इसके अलावा, भूजल स्तर में गिरावट, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी व उर्वरकों की बहुतायत जैसे समस्याएं पैदा हो गई। मोटे अनाजों की खेती से न केवल भूजल व ऊर्जा की खपत में कमी आएगी, बल्कि धान–गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज में आ रही गिरावट या स्थिरता को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वर्ष भर गेहूं की रोटी व चावल खाने का ही परिणाम है कि मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के कारण भारत में इनकी खपत घटती जा रही है।

मोटे अनाजों का प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन

मिलेट्स ग्लूटेन मुक्त होते हैं। देश में परंपरागत रूप से मोटे अनाजों की खेती की जाती रही है। परन्तु इनके उत्पादन और प्रसंस्करण हेतु कोई नीति नही होने के कारण किसानों को इसका लाभ नही मिल रहा था। हाल ही में देश के सबसे बड़े मिलेट्स प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर ज़िले में किया गया जिसमें कोदो, कुटकी, रागी से चावल तथा इनका दलिया, सूजी, आटा सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज, लडड् इत्यादि बनाया जाएगा। इस इकाई की स्थापना के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद उच्च गुणवत्ता के बीज और प्रशिक्षण में सहयोग करेगा। इससे देश के किसान मोटे अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे।

मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती समय की मांग है जिसमें लागत कम आती है और उपज की कीमत भी अधिक मिलती है। आज ज़रूरत सशक्त प्राकृतिक संसाधन और सशक्त भारत की है। इसके लिए प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना ज़रूरी है। मोटे अनाज प्राकृतिक खेती के अनुरूप हैं। इनकी खेती बिना रासायनिक उर्वरकों या अन्य महंगे कृषि आदानों से भी की जा सकती है। एक तरह से मिलेट्स

सारणीः 2 मोटे अनाजों की जैव फोर्टिफाइड प्रजातियां

क्रमांक	फसल का नाम	प्रजातियां	टिप्पणी
1.	रागी	सीएफएमवी–1	कैल्शियम–428 मि.ग्रा / 100ग्राम, आयरन–58.0 पीपीएम, जिंक–44 पीपीएम, उपज–31.1 क्विं / हेक्टेयर
		सीएफएमवी–2	कैल्सियम–654 मि.ग्रा / 100ग्राम, आयरन–39.0 पीपीएम, जिंक–25 पीपीएम, उपज–29.5 क्विं / हेक्टेयर
2.	कुटकी	सीएलएमवी–1	आयरन–59.0 पीपीएम, जिंक–35 पीपीएम, प्रोटीन–14.4 प्रतिशत, उपज–15.8 क्विं / हेक्टेयर
3.	ज्वार	आईसीएसआर 14001	परंपरागत प्रजातियों की अपेक्षा जिंक व आयरन से भरपूर
4.	बाजरा	एचएचबी 299	संकर, उत्तर–पश्चिम क्षेत्रों के लिए, आयरन व ज़िंक की उच्च मात्रा, उपज 32.7 कुंतल / हेक्टेयर
		एएचबी 1200	संकर, उत्तर–पश्चिम क्षेत्रों के लिए, आयरन व ज़िंक की उच्च मात्रा,उपज 32 कुंतल / हेक्टेयर
		एएचबी 1269 एफई	संकर, उत्तर–पश्चिम व दक्षिण भारत के लिए, आयरन व ज़िंक की उच्च मात्रा, उपज 31.7 कुंतल / हेक्टेयर
		एचएचबी 331	उत्तर–पश्चिम भारत, आयरन 83 पीपीएम, उपज 31.7 कुंतल / हेक्टेयर
		आरएचबी 234	उत्तर–पश्चिम भारत, ज़िंक 41 पीपीएम, आयरन 84 पीपीएम, उपज 31.7 कुंतल / हेक्टेयर

कम पानी, कम लागत और कम संसाधनों से अधिक उपज देने वाली फसलें हैं। प्राकृतिक खेती में संकर बीजों की जगह परंपरागत बीज बोये जाते हैं। इससे किसान को बीज पर ज़्यादा खर्च नही करना पड़ता है। पिछली फसल के बीज नई फसल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों के स्थान पर नीम आदि से बने जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह किसान को कई मदों में बचत होती है।

मोटे अनाजों की प्रमुख विशेषताएं

गत 75 वर्षों में मोटे अनाजों के क्षेत्रफल में 45 प्रतिशत की कमी आंकी गई। जबकि इसी अवधि में गेहूं का क्षेत्रफल दोगुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। मोटे अनाजों की विशेषता है कि वे कम पानी में पैदा होते हैं। जबकि खाद्य व पोषण सुरक्षा देने के साथ–साथ पशुओं के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराते हैं। जैसाकि हम जानते हैं कि एक कि.ग्रा. धान पैदा करने में 5000 लीटर पानी की खपत होती है। इसी प्रकार एक कि.ग्रा. आलू पैदा करने के लिए 500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि मोटे अनाजों का एक कि.ग्रा शुष्क भार पैदा करने के लिए मात्र 100 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही, ये फसलें मौसमी उतार–चढ़ाव को भी आसानी से सहन कर लेती हैं। पानी की कमी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण खाद्यान्न उत्पादन पर मंडराते संकट के दौर में मोटे अनाजों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। क्योंकि इनकी खेती अधिकांशतः असिंचित क्षेत्रों में बिना उर्वरकों व कीटनाशकों के होती है।

पोषक तत्वों की दृष्टि से इन्हें 'गुणों की खान' कह सकते हैं। प्रोटीन व रेशे की भरपूर उपस्थिति के कारण मोटे अनाज डायबिटीज़, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप का खतरा कम करते हैं। इनमें खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जिससे कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। गर्भावस्था के दौरन मां एवं शिशु में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मोटे अनाजों की बड़ी भूमिका रही है। मोटे अनाजों से बने खाद्य पदार्थों में चावल से निर्मित खाद्य पदार्थों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। बाजरे में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है जबकि ज्वार की रोटी व चने का साग प्रोटीन के मामले में अग्रणी भोजन हैं। अनेक लाभों के बावजूद इनकी सरकारी खरीद, भंडारण व वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए किसान इन फसलों की खेती मजबूरी में करते हैं।

जलवायु और मोटे अनाज

मोटे अनाजों की खेती जलवायु अनुरूप है। मोटे अनाजों की खेती में पानी और उर्वरक कम देना पड़ता है। बदलते परिवेश में खेती को जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों को खिलाने के लिए जितने अनाज की ज़रूरत होती है, उसे यह आसानी से पूरा करते है, क्योंकि ये खराब और प्रतिकूल मौसम में भी उगने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि बारानी क्षेत्रों के अंतर्गत मोटे अनाजों का लगभग 86 प्रतिशत

बाजरा एवं ज्वार का 92 प्रतिशत आता है। उसके विपरीत शेष अनाजों को ज़्यादा देखभाल और कीटनाशकों की ज़रूरत होती है। देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश मोटे अनाजों की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं। कुछ प्रमुख मोटे अनाजों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

बाजरा (पर्ल मिलेट)– आयरन का सबसे सस्ता स्रोत

धान, गेहूं व मक्का के बाद बाजरा चौथी महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है। देश में बाजरे की औसत उपज 1665 कि.ग्रा./हेक्टेयर है जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। बाजरा नियमित रूप से खाने से हीमोग्लोबिन और सीरम केरिटिन के स्तर में सुधार आता है। खून की कमी के दौरान आयरन की कमी नहीं होती है। एक औसत व्यक्ति के लिए बाजरे में सम्पूर्ण लौह तत्व मौजूद होते हैं। इनके नियमित सेवन से शरीर को आयरन मिलता है और खून में भरपूर हीमोग्लोबिन बनता है। आज देश के आहार विशेषज्ञ दैनिक प्रयोग में मोटे अनाजों को शामिल करने पर ज़ोर दे रहे हैं।

भारत में आमतौर पर हम गेहूं की रोटी खाते हैं या दाल के साथ चावल और सब्जियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारी आधी थाली में गेहूं व चावल होता हैं। बेहतर स्वास्थ्य हेतु इसमें विविधता लाने की ज़रूरत है। बाजरा भारत के बारानी क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मोटे अनाज वाली फसलों में बाजरे का महत्वपूर्ण स्थान है। बाजरे के पौधे अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा अधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखते हैं। बाजरा शुष्क क्षेत्रों में कम लागत में उगायी जाने वाली एक लोकप्रिय फसल है। बाजरे की खेती, दाने और चारे, दोनों के लिए की जाती है। यह गरीबों का मुख्य भोजन है। बाजरे से निर्मित खाद्य व खाद्य पदार्थ गर्म प्रकृति के होते हैं। अतः इसका प्रयोग जाड़ों के दिनों में किया जाता है।

बाजरे के दाने में 12.4 प्रतिशत पानी, 11.6 प्रतिशत प्रोटीन, 5.0 प्रतिशत वसा, 67.5 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 0.5 प्रतिशत कैल्शियम, 0.35 प्रतिशत फास्फोरस व 0.8 प्रतिशत लोहा पाया जाता है। इसके दानों का प्रयोग आटा व भूनकर खाने में किया जाता है।

देश के उत्तर–पश्चिम भागों में जाड़ों के दिनों में बाजरे की रोटी काफी लोकप्रिय है। बाजरे के दानों को उबाल कर चावल की तरह भी खाया जाता है। इसकी बालियों को मक्का के भुट्टे की तरह भूनकर भी खाया जाता है। बाजरे का दलिया दुधारू पशुओं का स्वादिष्ट भोजन है। इसके दानों का प्रयोग मुर्गियों को खिलाने में भी किया जाता है। बाजरे का हरा चारा पशुओं के लिए पौष्टिक, उत्तम व स्वास्थ्यवर्धक है।

आजकल बाज़ार में बहु–अनाजों से बने खाद्य पदार्थों की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। भारत में लगभग एक करोड़ पंद्रह लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की खेती की जाती है जिसका 97 प्रतिशत क्षेत्र बारानी है। बाजरे की खेती के कुल क्षेत्र का 87 प्रतिशत भाग राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में है। जिससे कुल उत्पादन का 73 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।

ज्वार (सोरघम बाईकलर)

ज्वार बारानी क्षेत्रों में उगायी जाने वाली एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह ग्रेमिनी या पोएसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। ज्वार को अंग्रेज़ी में सोरघम, तेलुगू में जोनाल, कन्नड़ में जोला, मराठी में शालू, मलयालम में चोलम व उड़िया में जोबा नाम से जाना जाता है। पारंपरिक रूप से ज्वार खाद्य व चारे के लिए उगाया जाता है। कुछ देशों में इसकी खेती जैव ऊर्जा फसल के रूप में भी की जाती है। खाद्यान्न फसलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ज्वार का तीसरा स्थान है। उत्तर भारत में ज्वार की खेती खरीफ के मौसम में जबकि दक्षिण भारत में खरीफ व रबी दोनों मौसम में की जाती है।

ज़्वार ग्लूटन मुक्त होता है। इसमें कई तरह के गुण होते हैं। ज़्वार में रेशा और उच्च्य गुणवत्ता युक्त प्रोटीन होता है। बेहतर स्वास्थ्य हेतु गेहूं की जगह ज़्वार की रोटी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। ज्वार में आयरन व कॉपर भी पाए जाते हैं। ये शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। इनसे ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है। एनीमिया के शिकार लोगों को अपने खानपान में ज्वार को अवश्य शामिल करना चाहिए। आजकल ब्रेड, बिस्कुट व केक बनाने में भी ज्वार का प्रयोग किया जा रहा है। ब्रेड बनाने के लिए ज्वार व गेहूं की मात्रा क्रमशः 60 व 40 प्रतिशत रखी जाती है। ज्वार के आटे से मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा स्नैक तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा, ज्वार की विशेष किस्मों से स्टार्च भी तैयार किया

जाता है। अल्कोहल उपलब्ध कराने का भी ज्वार एक उत्कृष्ट साधन है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में ज्वार की मांग बढ़ने से किसानों की आय भी बढ़ायी जा सकती है।

मंडुवा या रागी (फिंगर मिलेट)

इसका वैज्ञानिक नाम Eleusine coracana L.k है। मंडुवा धान एवं गेहूं दोनों से भी ज़्यादा पौष्टिक है। मंडुवा में प्रोटीन, लोहा एवं वसा सब धान एवं गेहूं की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। मंडुवा में कैल्शियम की मात्रा धान एवं गेहूं की अपेक्षा क्रमशः 35 तथा 8 गुनी होती है। मंडुवा में प्रोटीन 7.6ग्रा./100ग्रा. मात्रा में पाया जाता है। इसमें मेथियोनिन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। मंडुवा पशुओं के लिए एक उत्तम चारा भी माना जाता है। रागी कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, रेशा आदि विभिन्न पोषक तत्वों का उत्कृष्ट स्रोत है जिससे इसका औषधीय उपयोग भी है। रागी में आयरन की मात्रा 3.9 मि.ग्रा प्रति 100 ग्राम है जो बाजरे को छोड़ अन्य अनाजों से अधिक है। रागी में कैल्शियम की कुल मात्रा 344 मि.ग्रा. प्रति 100 ग्राम है जो अन्य अनाजों की तुलना में सबसे अधिक है। रागी मधुमेह पीड़ितों के लिए उपयोगी होती है।

कोदों (कोदों मिलेट)

इसे 'प्राचीन अन्न' भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम Paspalum scrobiculatum L. है। यह गरीबों की फसल मानी जाती है क्योंकि इसकी खेती कम उपजाऊ भूमि में बिना खाद–पानी के की जाती है। इसकी पत्तियां और दाने लाल रंग लिए होते हैं। कोदो के दाने में 1.4 प्रतिशत वसा, 8.3 प्रतिशत प्रोटीन, 65.9 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट तथा 2.9 प्रतिशत राख होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण मधुमेह के रोगियों को चावल के स्थान पर उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसकी खेती मुख्यतः छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में होती है। कोदो मिलेट मध्य भारत में जनजातीय समुदाय के बड़े भाग के लिए महत्वपूर्ण खाद्य फसल है।

सावां (बार्नयार्ड मिलेट)

इसे बार्नयार्ड मिलेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम Echnochloa esculenta है। यह ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। भारत, चीन, जापान और कोरिया में इसकी खेती की जाती है। सावां को चावल की तरह पानी में उबालकर प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसका प्रयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। इसके आटे की रोटियां भी बनायी जाती हैं। सावां के चावल से उपमा, लड्डू तथा स्वादिष्ट खीर आदि तैयार किए जाते हैं। सावां का दाना सफेद रंग का होता है। सावां के दानों में लगभग 9.8 प्रतिशत प्रोटीन तथा 4.4 प्रतिशत खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा, सावां के दानों में आवश्यक अमीनो अम्ल जैसे लाइसीन, सिस्टीन तथा आइसोल्यूसाइन चावल की तुलना में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चारे में भी प्रोटीन और रेशा अच्छी मात्रा में पाए जाते है।

कुटकी (लिटिल मिलेट)

वर्षा ऋतु की समस्त फसलों में सबसे पहले तैयार होने वाली धान्य फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम Panicum sumatrense है। यह ग्रेमिनी या पोएसी कुल का सदस्य है। इसकी खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। इसलिए इसे पिछडे और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक पसंद किया जाता है। इसे 'गरीबों की फसल' भी कहा जाता है। कुटकी जल्दी पकने वाली, सूखा सहन करने वाली और जल भराव जैसी विषम परिस्थितियों में भी आसानी से उगने की क्षमता रखती है। यह एक अत्यधिक पौष्टिक लघु धान्य है। इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के अलावा खनिज लवण जैसे कैल्शियम एवं फॉस्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।

फोक्सटेल मिलेट (इटेलियन मिलेट)

इसका वैज्ञानिक नाम Setaria italica L. है। यह पोएसी या ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। यह भारत, पूर्वी एशिया और चीन में अधिक उगायी जाने वाली फसल है। इसकी खेती शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। भारत में यह प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में उगायी जाती है। कांगनी की फसल 80 से 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। दक्षिण भारत में इसकी खेती पूरे वर्ष की जा सकती है। इसका हरा चारा जानवरों को खिलाया जाता है। कांगनी की खेती दूसरी फसलों के साथ मिश्रित रूप से भी की जा सकती है। इसके दानों से छिलके को उतार कर इसको चावल की तरह उबाल कर खाया जाता है। इसकी रोटी, खीर, भात, इडली, दलिया व मिठाई बनायी जाती है।

सारांश

चार–पांच दशक पहले भारत में मोटे अनाजों की काफी खेती होती थी। परन्तु एक ऐसी अवधि आयी जिसमें गेहूं एवं धान की फसलों के कारण मोटे अनाज कुछ पीछे हो गए। लेकिन वर्तमान समय में एक बार फिर लोग मोटे अनाजों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मोटे अनाजों की खेती के प्रोत्साहन से लघु और सीमांत किसानों को फायदा होगा। साथ ही, देश के बारानी, पहाड़ी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, जिन किसानों के पास खेती की ज़मीन बहुत कम है या जिन किसानों के पास कम उर्वर ज़मीन और सिंचाई के साधन नहीं है, वे मोटे अनाजों की खेती करके खाद्य व पोषण सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा, विकासशील देशों में ज़िंक, आयरन व प्रोटीन की कमी बड़ों व बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। साथ ही, बदलते जलवायु परिदृश्य में टिकाऊ कृषि, बेहतर स्वास्थ्य और संसाधन संरक्षण के लिए मोटे अनाजों की खेती पर भी अब गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ती भुखमरी और कुपोषण जैसी विश्व व्यापी गम्भीर समस्याओं से मुक्ति पायी जा सके। ❑

सूचना प्रौद्योगिकी: सहकारिता का नया दौर

– अरविंद कुमार मिश्रा

सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के डिजिटाइजेशन को गति मिली है। इस दिशा में नाबार्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के ज़रिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पैक्स के डिजिटलीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपये जारी किए गए। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से लगभग 13 करोड़ किसानों (जिनमें अधिकांश छोटे व सीमांत किसान हैं) को लाभ होगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की योजना के मुताबिक 63 हज़ार कार्यात्मक पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। देश में सहकारिता आंदोलन की पहुँच और विस्तार को बढ़ाने के लिए और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

दुनिया भर की 300 सहकारी समितियों में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (अमूल) क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर यह रैंकिंग वर्ल्ड को–ऑपरेटिव मॉनीटर के 2022 संस्करण में जारी की गई है। यह उपलब्धि भारतीय सहकारिताओं की क्षमता का सिर्फ एक उदाहरण है। 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय के गठन ने सहकारिता क्षेत्र में सुधारों की बयार तेज़ की है। देश में सहकारिताओं ने हर उस वर्ग और क्षेत्र तक विकास के उजाले को पहुँचाया है, जहां

शासन–प्रशासन की पहुँच चुनौतीपूर्ण थी। दूध, खाद, चीनी, बैंकिंग सेवाओं से लेकर दैनिक ज़रूरत की हर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 2019–2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सहकारी डेयरी ने 1.7 करोड़ सदस्यों से प्रतिदिन 4.80 करोड़ लीटर दूध खरीदा।

चीनी उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी मिलों की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक देश में 8 लाख 54 हज़ार 355 सहकारी समितियां थीं। इनमें सदस्यों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियां किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने से लेकर कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मुहैया कराने का कार्य करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 1895 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का 12 फीसदी 30 लाख सहकारी समितियों में प्रत्यक्ष सहकार की भूमिका में है। ये सहकारिताएं विश्व में सृजित कुल रोज़गार में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती हैं। भारत में सहकारिता ने कृषि, बैंकिंग, ऋण, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, डेयरी, मत्स्य और आवास व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाई है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोज़गार सृजन में भारतीय सहकारिता ने सफलता की सर्वोत्तम कहानियां गढ़ी हैं।

सहकारिता में डिजिटल फुटप्रिंट

देश के अर्थतंत्र में सहकारिताओं की प्रभावी उपस्थिति के बाद भी नीतिगत सुधारों के अभाव से 'सहकार से समृद्धि' की जो यात्रा सालों पहले शुरू हो जानी चाहिए, उसे 21वीं सदी के दूसरे दशक का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब सहकारिताएं क्षमता संवर्धन के

लेखक ऊर्जा एवं लोकनीति विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई–मेल : arvindmbj@gmail.com

नए दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। 'सहकार से समृद्धि' की यह यात्रा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी से उत्प्रेरित है। आईसीटी आधारित सेवाओं से सहकारिताओं के क्षमता संवर्धन को नया आयाम दिया जा रहा है। कृषि चक्र, मौसम के पूर्वानुमान, मांग और आपूर्ति की ऑनलाइन जानकारी समेत सहकारी गतिविधियों के दैनिक क्रियाकलाप तकनीक और नवाचार से प्रभावी शक्ल ले रहे हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के यह अनुप्रयोग सिर्फ रेडियो, सेटेलाइट, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट तक सीमित नहीं हैं, अब कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित सेवाओं को भी सहकारिताएं अपना रही हैं। सहकारिता क्षेत्र में स्मार्ट और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की बात अब भावी परियोजना का हिस्सा नहीं रही। देश में अनेक सहकारी समितियों ने आधुनिक तकनीक को अपनाकर सहकारिता का आधुनिक मॉडल विश्व के सामने पेश किया है। दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था 'इफको' का नैनो तकनीक के साथ कदमताल करने से लेकर अमूल के वितरण तंत्र में कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) की भूमिका इसका बेहतरीन उदाहरण है।

दुग्ध सहकारी समितियां : एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग की राह पर

डेयरी सहकारी समितियों की क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने नवीन प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रक्रियाओं को अपनाया है। यह हितधारकों की ज़रूरत पर आधारित एप्लिकेशन को विकसित एवं क्रियान्वित करके तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अमूल के ज़रिए देश में आई दुग्ध क्रांति की वाहक आधुनिक तकनीक और आईसीटी आधारित सेवाएं हैं। अमूल जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) जैसी तकनीक को अपनाकर कारोबारी विस्तार के साथ ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया करा रही है। कंपनी द्वारा दूध की टेस्टिंग, मापन और वितरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का बेहतरीन उपयोग किया गया है। यह सब आईटी नेटवर्क की स्थापना से हुआ है। इसके अंतर्गत उत्पादन केंद्रों, वेंडर और ग्राहकों को वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीसैट), मोबाइल और ई–मेल आधारित सेवाओं के ज़रिए एक मंच पर लाया गया है। सहकारिता क्षेत्र में अमूल के अनुभव का लाभ अब केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में ले रही है। अमूल को जैविक उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने और कृषि उत्पादों के वैश्विक विपणन हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

अमूल को संचालित करने वाली कंपनी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) ने 2009 में आईबीएम के साथ समझौता किया। कंपनी ने अमूल के लिए डाटा सेंटर और डिसास्टर रिकवरी सिस्टम के साथ निजी क्लाउड विकसित किया है।

आईटी सेवाओं को अपना कर अमूल ने अपने कारोबार में दस गुना वृद्धि की है। अमूल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़रिए आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी रूप दे रहा है। दुग्ध उत्पादन के वास्तविक स्रोत का पता लगाने से लेकर वितरण से जुड़े रीयल टाइम डाटा की जानकारी एआई के अनुप्रयोग से मिलती है। एसएपी के साथ मिलकर अमूल इंडिया 21वीं सदी के अनुकूल बच्चों और महिलाओं तक डिजिटिल शिक्षा और कौशल पहुंचाने का कार्य कर रही है। 'कोड उन्नति' नामक इस कार्यक्रम में 60 स्कूल और 250 शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा, कोडिंग स्किल और अंग्रेज़ी भाषा के लिए एक लाख बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की ज़मीन तैयार करता है। इसके अंतर्गत 20 हज़ार महिलाओं को सामुदायिक विकास के लिए आवश्यक डिजिटल, वित्तीय एवं उद्यमिता के अवसर दिए जा रहे हैं।

इफको : तकनीक से गढ़े सफलता के आयाम

इफको, एयरटेल और सोलर ग्लोबल रिसोर्स लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय निकाय के रूप में इफको किसान सुविधा लिमिटेड (आईकेएसएल) का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को सिम कार्ड मुहैया कराने के लिए 'ग्रीन कार्ड' अभियान चलाया गया। मोबाइल आधारित सेवाओं से इफको ने किसानों तक अद्यतन सूचनाओं और सेवाओं की पहुँच बढ़ाई है। कृषि चक्र से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी, स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, उत्पादकता बढ़ाने के टिप्स, बीमारियों से जुड़े अलर्ट और सरकारी योजनाओं की जानकारी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज से मुहैया कराई जाती है। यहां तक कि कृषि विशेषज्ञों से किसानों का संवाद भी स्थापित किया जाता है।

इफको ने उर्वरक क्षेत्र में हाल ही में नैनो तकनीक को जिस तरह अपनाया है, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ उर्वरक में होने वाला खर्च कम हुआ है। इफको नैनो यूरिया (तरल) की एक बोतल एक बोरी यूरिया के बराबर है। नैनो तकनीक से विकसित यह उत्पाद खाद के परिवहन एवं भण्डार लागत को कम करता है। यह जहां उपयोग में आसान है वहीं कृषि उत्पादकता में प्रत्यक्ष वृद्धि में सहायक है। पर्यावरण के लिहाज से भी यह सुरक्षित व समावेशी है। इसी तरह लाल और भूरे समुद्री शैवाल से बना इफको सागरिका फसल का उचित विकास कर उत्पादन में वृद्धि करता है।

'जेम' (GeM) पोर्टल : सहकारिताओं को मिला बाज़ार

सहकारिता मंत्रालय के गठन के साल भर के भीतर 100 करोड़ टर्नओवर वाली 289 सहकारी समितियों को ई–गवर्नमेंट मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) से जोड़ा जा चुका है। अगले चरण में 50 करोड़ और तीसरे चरण में उससे कम टर्नओवर वाली सहकारी समितियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। ज़ाहिर है कि इन सहकारी समितियों से जुड़े लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने उत्पाद की खरीद–बिक्री बड़े दायरे में कर सकेंगे। 97 हज़ार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। ई–विपणन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ज़रिए सभी ज़िलों में प्लेटफॉर्म, वेयर हाउस, साइलोज, पैक हाउस, ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसका सीधा लाभ स्थानीय सहकारी समितियों को मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों की सहकारी समितियों के पंजीयकों के माध्यम से सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर बतौर विक्रेता ऑनबोर्ड करने का परामर्श जारी किया गया है।

दूरस्थ इलाकों में सक्रिय सहकारी समितियों के जेम पोर्टल पर आने से इसका लाभ उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाली सहकारी गतिविधियों को मिलेगा। यह वह लोग हैं जो एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) आधारित उत्पाद और सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।

> एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक अपने कुल राजस्व का 9 प्रतिशत सालाना आईटी सेवाओं पर खर्च करता है। भारत में सार्वजनिक बैंक एक प्रतिशत से भी कम राशि आईटी सेवाओं पर खर्च करते हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक अपने मुनाफे का 4 से 5 प्रतिशत आईटी सेवाओं को अपनाने में खर्च करते हैं। शहरी सहकारी बैंक अभी निजी क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले आईटी सेवाओं पर कम राशि खर्च करते हैं। यह अनुपात 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच है हालांकि शहरी सहकारी बैंक तेज़ी से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ी तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की सेवाएं काफी मददगार साबित हुई हैं।

सहकारी बैंक : डिजिटल सेवाओं से विस्तार

आधुनिक समय में बैंकिंग सेवाएं जीवन का सबसे अभिन्न हिस्सा हैं। पिछले एक दशक में बैंकिंग सेवाओं का स्वरूप तेज़ी से बदला है। अब बैंकिंग सेवाओं से जुड़े छोटे–मोटे काम के लिए बैंकों के चक्कर काटने की मजबूरी नहीं रही। अब बैंकिंग सेवाएं हमारी हथेली या कहें मोबाइल पर क्लिक की दूरी पर होती हैं। देश में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में सहकारिता क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। विशेष रूप से समाज के उस तबके तक सहकारी बैंकों ने बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित की है, जिन तक हज़ारों करोड़ों टर्नओवर वाले बैंक नहीं पहुँच पाए। 1543 को–ऑपरेटिव बैंक का डिजिटाइजेशन किया जाना है। इनमें 850 बैंक–छोटे बैंक हैं। यह बैंक 100 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं। आरबीआई की पहल पर इनका एक अंब्रेला ऑर्गनाइज़ेशन नेशनल अर्बन को–ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया जा रहा है। यह संगठन छोटे बैंकों को लागत सक्षम तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। आधुनिक तकनीक को अपना कर ही सहकारी बैंक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, नेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान कर सकेंगे। इस संदर्भ में आरबीआई के निर्देश पर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइज़ेशन (एसआरओ) बनाया जाना है। देश भर के 331 ज़िला सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ (नैस्कॉम) 2002 रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का आईटी आधारित सेवाओं पर खर्च 500 मिलियन डॉलर था। यह 25 फीसदी की दर से हर साल बढ़ रहा है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार बैंक अगले दस साल में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और संबंधित सेवाओं में 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक अपने कुल राजस्व का 9 प्रतिशत सालाना आईटी सेवाओं पर खर्च करता है। भारत में सार्वजनिक बैंक एक प्रतिशत से भी कम राशि आईटी सेवाओं पर खर्च करते हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक अपने मुनाफे का 4 से 5 प्रतिशत आईटी सेवाओं को अपनाने में खर्च करते हैं। शहरी सहकारी बैंक अभी निजी क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले आईटी सेवाओं पर कम राशि खर्च करते हैं। यह अनुपात 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच है हालांकि शहरी सहकारी बैंक तेज़ी से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ी तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की सेवाएं काफी मददगार साबित हुई हैं।

सहकारी बैंकों से जुड़ी को–ऑपरेटिव कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीसीबीएस) से जुड़ी सेवाएं (हार्डवेयर और मानव संसाधन को छोड़कर) राष्ट्रीय सूचना केद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। बिहार में राज्य सहकारी बैंक के लिए एनआईसी ने 2004 में संपूर्ण ऑटोमेशन की व्यवस्था विकसित की थी। 2016 के आंकड़ों के

मुताबिक मेघालय और छत्तीसगढ़ में लगभग 100 बैंक सीसीबीएस सेवाओं को पूरी तरह क्रियान्वित कर चुके हैं। यहां राज्य सहकारी बैंकों, ज़िला सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स), भूमि विकास बैंक और प्राथमिक कृषि विकास बैंक (पीएडीबी) में यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू की जा चुकी है।

कंप्यूटरीकरण : पैक्स के कामकाज में पारदर्शिता

सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के डिजिटाइजेशन को गति मिली है। नाबार्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के ज़रिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पैक्स के डिजिटलीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपये जारी किए गए। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से लगभग 13 करोड़ किसानों (जिनमें अधिकांश छोटे व सीमांत किसान हैं) को लाभ होगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की योजना के मुताबिक 63 हज़ार कार्यात्मक पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा।

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत साइबर सुरक्षा और डेटा संग्रहण के साथ क्लाउड–आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास होगा। इससे पैक्स को हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण हासिल करने में सहायता मिलेगी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में अब तक रिकॉर्ड के रखरखाव का अभाव देखने को मिलता था। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल माध्यम से संग्रहित किया जा सकेगा। यह कदम प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता लाएगा। इससे पैक्स को पंचायत स्तर पर नोडल सेवा वितरण बिंदु बनने में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात पैक्स, डिस्ट्रिक्ट को–ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड के ज़रिए एक मंच पर जुड़ जाएंगे।

देश में सहकारिता आंदोलन की पहुँच और विस्तार को बढ़ाने के लिए और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। सहकारिताओं में डिजिटल अवसरंचना की उपस्थिति की सर्वोत्तम प्रथाओं को राजस्थान में लागू किया गया है। राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन पंजीकरण कोई भी व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। पंजीकरण के प्रत्येक चरण की जानकारी ई–मेल एवं एसएमएस के द्वारा प्राप्त होती है। पंजीकरण पर आवेदक को दस्तावेज़ डिजिटल रूप में ई–साईन और क्यूआर कोड के साथ मिलता है।

कृभको : तकनीक से अक्षय ऊर्जा उत्पादन

आज धरती जिस तरह पर्यावरणीय संकट से गुज़र रही है, ऐसे में कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में सहकारिताओं की क्षमता को भूनाना होगा। तकनीक और नवाचार से सहकारी समितियां ऊर्जा एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़े नए क्षेत्रों में कदम रख रही हैं। 14 सितंबर, 2022 को कृषक भारती को–ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) द्वारा 'बायो–इथेनॉल प्रोजेक्ट' की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा कदम है। कृभको की इस परियोजना से हज़ीरा में 2 लाख 50 हज़ार लीटर दैनिक क्षमता वाला बायो ईंधन सयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से 8.25 करोड़ लीटर जैविक ईंधन (बायोडीजल) के उत्पादन का लक्ष्य है। प्लांट में ढाई लाख मीट्रिक टन मक्का की खपत होगी। इतनी बड़ी मात्रा में मक्का की खपत का सीधा लाभ गुजरात के किसानों को मिल रहा है। यह परियोजना खाद्य श्रृंखला में मोटे अनाज की उपस्थिति बढ़ाने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। इस संयंत्र में मूंगफली के छिलके, कपास और अरहर के डंठल से भी इथेनॉल तैयार किया जा रहा है।

खास बात यह है कि इथेनॉल बनाने से जो अपशिष्ट बचेगा, उसे पशु चारे में तब्दील किया जाएगा। यानी एक ओर, अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा तो दूसरी ओर, पशुओं को प्रोटीन युक्त चारा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे चारे के संकट से जो लोग पशुपालन से दूर जा रहे हैं, वह इसे आजीविका का ज़रिया बनाएंगे। अकेले गुजरात हर साल 60 हज़ार करोड़ रुपये मूल्य का दुग्ध उत्पादन करता है। कृभको गुजरात के साथ ही आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में भी इथेनॉल संयंत्र स्थापित कर रहा है।

फॉस्फेटिक उर्वरकों के दूसरे सबसे बड़े आयातक कृभको ने सहकारिता के क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय उपलब्धियां तकनीक और नवाचार के ज़रिए ही हासिल की हैं। कृभको किसानों को एकीकृत पोषक प्रबंधन कार्यक्रम के ज़रिए फसल चक्र, जैविक खाद, सिंथेटिक उर्वरक, फसल अवशेष और जैव उर्वरक के लिए प्रेरित कर रहा है। बीज प्रसंस्करण इकाईयों (एसपीयू) में आधुनिक तकनीक के ज़रिए कृषकों के लिए प्रमाणित बीज उत्पादित किए जाते हैं।

उर्वरक, बीज, मृदा परीक्षण, आपदा प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों के उद्देश्यों को पूरा करने में किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (वन नेशन वन फर्टिलाइज़र) सहायक होगी। इस दिशा में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. के साथ ही इफको और कृभको जैसी सहकारी संस्थाएं अग्रणी भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को फसल संबंधी परामर्श, कॉमन सर्विस सेंटर, मृदा एवं कीटनाशक परीक्षण, बीज नमूना संग्रह, स्प्रेयर,डस्टर और ड्रोन के लिए ज़रुरी उपकरणों की उपलब्धता तय करने में मददगार हैं।

नवाचार और शोध : सहकारिता का समावेशी आधार

सहकारी गतिविधियों को प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने में शोध और नवाचार की निर्णायक भूमिका है। देश में सहकारिता शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) मिलकर जल्द ही एक सहकारी विश्वविद्यालय का गठन करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण

समावेशी विकास के लक्ष्य और सहकारिता

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 में समावेशी विकास पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहकारिताओं को समावेशी विकास का वाहक करार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) के मुताबिक सहकारिताएं गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, जेंडर समानता, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, साफ पानी एवं स्वच्छता, टिकाऊ ऊर्जा, सम्मानजनक रोज़गार व आजीविका, शांति, न्यायपूर्ण समाज व मज़बूत संस्थान की स्थापना जैसे समावेशी विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने में सहायक हैं।

गरीबी उन्मूलन (एसडीजी–1)

सहकारिताएं आर्थिक उद्यमिता की ओर आगे बढ़ते हुए गरीबी उन्मूलन में जुटी हैं। व्यवसाय या आजीविका के साधन विकसित करने में व्यक्तिगत स्तर पर कई तरह के जोखिम की आशंका रहती है। इसे 'सहकार' की भावना से कम किया जा सकता है। बचत एवं ऋण सहकारिताएं (एसएसीसी) अपने सदस्यों तक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करती हैं। कृषि सहकारिताएं किसानों को कच्चे माल की उपलब्धता तय करती हैं। इसी तरह उपभोक्ता सहकारिताएं रोज़मर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति लागत सक्षम दर पर मुहैया कराती हैं। तंजानिया में सहकारिताओं ने कृषि उत्पादों दूध और कॉफी का विपणन कर आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके की शैक्षणिक ज़रूरत को पूरा किया है। मिस्र में 40 लाख किसानों के कृषि जनित उत्पादों का विपणन सहकारिताओं के माध्यम हो रहा है। इथोपिया जैसे गरीब देश में 9 लाख लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा ज़रिया सहकारिताएं हैं।

हर वर्ग तक शिक्षा की पहुँच (एसडीजी–4)

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहकारिताओं ने शैक्षणिक गतिविधियों के ज़रिए अहम भूमिका निभाई है। 1917 में पंजाब में छात्रों, शिक्षक और गैर–शैक्षणिक स्टॉफ ने मिलकर पहली कैंपस को–ऑपरेटिव का गठन किया। आज देशभर में दस हज़ार सहकारिताएं शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न हैं। पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी की आपूर्ति के साथ ही परिवहन और कैंटीन सेवाओं में शैक्षणिक सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न सहकारिताओं के समक्ष चुनौतियां भी हैं। इनमें शैक्षणिक स्टॉफ पर अत्यधिक निर्भरता, क्षेत्रीय असंतुलन, वैधानिक मान्यता के संकट को दूर करना होगा। एनसीयूआई सहकारिता के ज़रिए शिक्षा के प्रसार की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन, कर्नाटक स्टेट को–ऑपरेटिव फेडरेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मंगलौर के साथ मिलकर 2011 में सार्क देशों का क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित कर चुकी है। इससे सहकारिताओं की शैक्षणिक भूमिका को बढ़ाने में ज्ञान आधारित साझेदारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

जेंडर समानता के प्रयास (एसडीजी–5)

सहकारिताओं में महिलाओं की उपस्थिति से लैंगिक समानता से जुड़ी चुनौतियां कम हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 21,493 महिला सहकारी समितियां हैं। भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने वूमन डेरी को–ऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम (डब्ल्यूडीसीएलपी) शुरू किया है। इससे ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण में सहकारिताओं की भूमिका का सहज ही आकलन किया जा सकता है।

जापान में सहकारी समितियों में 95 प्रतिशत सदस्यता महिलाओं की है। स्पेन जैसे विकसित देश में स्पेनिश कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्कर को–ऑपरेटिव में 49 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं। यहां सहकारिताओं में 39 प्रतिशत निदेशकीय पदों पर महिलाएं पदस्थ हैं। भारत में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए उन्हें नीतिगत प्रक्रिया से जोड़ना होगा।

साफ पानी एवं स्वच्छता (एसडीजी 6)

केरल के कोझिकोड ज़िले में स्थित ओलावन्ना में 2012 में पेयजल आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों की स्थापना की गई। यह 14 हज़ार घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं। भारत में जल जीवन मिशन के तहत वॉटर फिल्टरिंग प्लांट लगाने से लेकर वॉटर एटीएम लगाने में सहकारी समितियों को वरीयता दी गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में दो सहकारी समितियों ने अलग–अलग स्थानों पर वॉटर एटीएम स्थापित किए हैं। इसकी सफलता से अन्य सहकारी समितियां भी जल सहकारिता को लेकर प्रेरित होंगी। बोलिविया में सागुपैक को–ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा 1 लाख 83 हज़ार नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी शहरी जल सहकारी समिति है।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन (एसडीजी 7)

यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी) के मुताबिक दुनिया भर में 57 करोड़ लोगों को अब तक बिजली नहीं मिल पाई है। 2 अरब 70 करोड़ लोगों के पास भोजन पकाने के लिए पर्याप्त स्वच्छ ईंधन नहीं है। इस दिशा में सहकारी समितियों के पास अनेक अवसर हैं। अर्जेन्टीना में कुल ऊर्जा उत्पादन का 10 प्रतिशत सहकारी समितियां करती हैं। ब्राज़ील में 126 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां 30 लाख ग्राहकों तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही हैं। कनाडा में 2011 में ही 71 सहकारी समितियां

ऊर्जा के क्षेत्र में क्रियाशील हैं। डेनमार्क में 2004 से ही 23 प्रतिशत पवन ऊर्जा का उत्पादन सहकारी समितियों के स्वामित्व में हो रहा है। यहां 80 फीसदी बायोगैस का उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। फिलिपींस से लेकर अमेरिका में सहकारी समितियां ऊर्जा उत्पादन और वितरण का कार्य सफलतापूर्वक कर रही हैं। भारत में सहकारी समितियों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में पहला कार्य 1950 में शुरू हुआ। बिहार के सौ गाँवों का 2007 में जर्मनी की सहकारी ऊर्जा संस्था फेयर प्लैटेन को–ऑपरेटिव द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के ज़रिए विद्युतीकरण किया गया।

सम्मानजनक रोज़गार व आजीविका (एसडीजी 8)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के मुताबिक 2014 तक अकेले भारत में दुग्ध सहकारी समितियों में 12 लाख महिलाओं को रोज़गार मिला। अमेरिका में 20 लाख, फ्रांस में 10 लाख, इटली में 11 लाख लोगों को रोज़गार के अवसर सहकारी समितियों में मिले हैं। सहकारिता की भावना सामूहिक निर्णय पर आधारित है, ऐसे में सम्मानजनक रोज़गार व आजीविका के लक्ष्य हासिल करने का यह सबसे सशक्त माध्यम है।

जलवायु परिवर्तन (एसडीजी 13)

2015 के पेरिस समझौते के मुताबिक 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी (2010 को आधार वर्ष मानते हुए) करनी होगी। सहकारिता के इतने व्यापक क्षेत्र के बिना यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। जलवायु न्याय के क्षेत्र में सहकारी समितियों का बहुआयामी योगदान है। गुजरात के खेड़ा ज़िले में स्थित ढुंडी सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी मंडली विश्व की पहली सौर सिंचाई सहकारी समिति है। इसी तरह भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी निगम द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बंजर भूमि के विकास का कार्यक्रम संचालित है। वर्ल्ड को–ऑपरेटिव मॉनीटर–2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 300 बड़ी सहकारी संस्थाएं समावेशी विकास के लक्ष्यों पर काम कर रही हैं। अफ्रीका में वनों की कटौती पर रोक लगाने में कमेटी फॉर दि प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ को–ऑपरेटिव ने बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। सहकारी संस्थाएं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव को भी अपना रही हैं। हालांकि अभी 300 बड़ी सहकारिताओं में सिर्फ 40 ने ही जीआरआई गाइडलाइंस का पालन किया है। जीआरआई के तहत व्यावसायिक संगठनों को अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है।

परिषद (एनसीसीटी) द्वारा सहकारिता क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ये प्रयास सहकारिताओं के लिए दक्ष मानव संसाधन तैयार करने पर केंद्रित हैं। परिषद द्वारा सहकारिताओं के क्षमता संवर्धन हेतु शोध को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट (वैम्निकॉम), पुणे की स्थापना की गई है। वहीं चंडीगढ़, बैंगलुरु, कल्याणी, गांधीनगर, पटना में पांच क्षेत्रीय संस्थान तथा सहकारी प्रबंधन की दिशा में कार्य करने वाले 14 संस्थान देश के अलग–अलग हिस्सों में कार्यरत हैं। वैम्निकॉम द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (एग्रीकल्चर) संचालित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का प्रारंभिक उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन के लिए ज़रुरी ज्ञान और प्रशिक्षण से युवाओं को दक्ष बनाना है। वर्ष 2004–05 में इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट, आणंद (आईआरएमए) के साथ मिलकर पीजीडीएम पाठ्यक्रम में सहकारिता और उद्योग क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की दृष्टि से अहम बदलाव किए गए। वैम्निकॉम सहकारिताओं के लिए नियमित अंतराल पर डाटा एनालसिस एंड मशीन लर्निंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ऐसे कार्यक्रमों के ज़रिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों की विशेषज्ञता का सहकारिताओं में उपयोग बढ़ा है। इसी क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट (आईसीएम) इम्फाल के सहयोग से क्षमता संवर्धन तथा स्टार्टअप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ऐसे ही अनेक कार्यक्रम सहकारी समितियों के सदस्यों के बीच संचालित करने होंगे। सहकारिताओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर सूचना और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का लाभ उठाना आसान होगा। युवा और महिलाएं आईसीटी सेवाओं को अपनाने में कहीं अधिक अनुकूल होते हैं। आईसीएम, चेन्नई द्वारा सहकारी समितियों में कार्यरत महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इंडियन को–ऑपरेटिव नेटवर्क फॉर वूमन (आईसीएनडब्ल्यू) और वर्किंग वूमन फोरम जैसी संस्थाएं इस दिशा में आगे आ रही हैं। सहकारिता के मंत्र पर संचालित महिला केंद्रित स्वयं सहायता समूह सेवा ने सूचना एवं संचार 'प्रौद्योगिकी से सहकारिता' के मंत्र को साकार किया है। अहमदाबाद की इस संस्था ने कम्युनिटी लर्निंग सेंटर की स्थापना की है। इसके अंतर्गत 10 से 15 गाँव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के एक केंद्र के रूप में काम करते हैं। आईसीटी प्रशिक्षण, दक्षता संवर्धन, आपदा रोधी गतिविधियों से जुड़ा ग्रामीण डाटाबेस आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण में सहायक है।

लिज्जत पापड़ : स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बना ग्लोबल ब्रांड

मुंबई के गिरगांव के एक छोटे से घर से सहकारिता की भावना के साथ शुरू लिज्जत पापड़ आज एक वैश्विक ब्रांड बन

चुका है। 2021 में श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ ने 21 हज़ार महिलाओं को रोज़गार दिया। यह सहकारी संस्था हर दिन 48 लाख पापड़ तैयार करती है। कारोबार को विस्तार देने के साथ ग्राहकों को स्वाद के साथ उत्पाद की सुगम उपलब्धता के लिए संस्था ने उत्पादन व वितरण से जुड़ी सभी स्मार्ट तकनीकों को अपनाया है। अमेज़न वेब सर्विस का उपयोग कर लिज्जत पापड़ महिला उद्योग ने हॉर्डवेयर लागत में 60 प्रतिशत की कमी की है। अमेज़न ईसी–2 (इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड) वेब सर्विस के सुखद परिणामों से प्रोत्साहित संगठन ने डाटा अनुप्रयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट आधारित एमएसएसक्यूएल डाटाबेस का उपयोग किया है। इसी तरह वेब सर्वर के लिए इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस की सेवाएं ली जा रही हैं।

सामुदायिक रेडियो : संवाद से सहकारिता

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में नाइजर में संचालित दिमित्रा प्रोजेक्ट का उल्लेख किया गया है। कम्युनिटी रेडियो पर आधारित इस परियोजना के ज़रिए आदिवासी समुदाय की 9 हज़ार महिलाओं को सहकारी गतिविधियों से जोड़ा गया। इसके लिए 9 सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई। यह सहभागिता आधारित संचार प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके ज़रिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है जिससे वह आजीविका संवर्धन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें। इसके अंतर्गत सामुदायिक श्रोता समूह बनाए गए हैं। हर गाँव में चार श्रोता समूहों का गठन किया गया है। इनमें दो महिलाओं के लिए तथा पुरुष और युवाओं के लिए एक–एक समूह के ज़रिए जागरूकता सामग्री परोसी जाती है। इस रेडियो श्रोता समूह के ज़रिए महिलाएं और पुरुष एक मंच पर हैं। यहां सामुदायिक विकास से जुड़े निर्णय और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को देखा जाता है। यह संगठित और गैर–संगठित उत्पादक संगठनों को मज़बूती देता है और समुदायों के बीच सामूहिक रूप से बेहतर जीवनशैली को प्रोत्साहित करता है।

बाज़ार तक सेवा और वस्तुओं की पहुँच सुनिश्चित करने में भी सामुदायिक रेडियो के श्रोता समूह मददगार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा नाइजर की इस परियोजना को सहकारिता में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का बेहतरीन अनुप्रयोग करार दिया गया है। गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से संचालित इस परियोजना के ज़रिए समाज के निचले तबके के बीच शिक्षा के महत्व, विवाह की वैधानिक उम्र आदि के बारे में जागरूक किया जाता है। खास बात यह है कि यह रेडियो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं।

नैफेड : सहकारिताओं में गुणवत्ता संवर्धन को प्रोत्साहन

2 अक्टूबर, 1958 में स्थापित नेशनल एग्रीकल्चर को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नैफेड) सहकारी संस्थाओं के उत्पादों और सेवाओं के विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण के साथ ही उनके लिए कच्चे माल की उपलब्धता का शीर्ष निकाय है। नैफेड भारत सरकार के अधिकृत निकाय के रूप में विदेशों से तकनीक और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़े समझौते करता है। इसी क्रम में सहकारी समितियों की तकनीक क्षमता बढ़ाकर उनके उत्पादों का गुणवत्ता आकलन व संवर्धन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नैफेड ने एग्रीटेक फर्म एग्रीनेक्स्ट के साथ साझेदारी की है। इसके अंतर्गत 'एग्रीनेक्स्ट' महाराष्ट्र के कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए दालों की गुणवत्ता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उत्पादित कीवी के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए इसी तरह की साझेदारी की गई है। दरअसल गुणवत्ता मूल्यांकन की परंपरागत विधियां जहां व्यक्तिनिष्ठ और हस्तचालित (मैनुअल) रही हैं, वहीं अब तकनीक आधारित सर्वोत्तम प्रथाओं से गुणवत्ता संवर्धन के प्रयास सहकारिताओं के उत्पाद व सेवाओं को बाज़ार में टिकाऊ बनाते हैं।

अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि पर भारत जी–20 देशों की अध्यक्षता हासिल कर वैश्विक भूमिका भी सुनिश्चित कर रहा है। सौ वर्ष से अधिक की अपनी यात्रा में सहकारिताओं ने देश के विकास में जिस प्रकार बहुआयामी छाप छोड़ी है, उससे पूरी दुनिया में संवहनीय विकास के नये प्रतिमान गढ़े जा सकते हैं। भारतीय सहकारिताएं संपूर्ण विश्व के समावेशी विकास की इस यात्रा का केंद्र बनने को उत्सुक हैं। ❑

भारत में डेयरी सहकारिता

– डॉ. जगदीप सक्सेना

हाल में भारत सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से डेयरी सहकारिता को बल और गति प्राप्त हुई है। साथ ही, डेयरी सहकारिता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी तथा सतत् बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। डेयरी के प्रचालन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और आईटी तकनीकों के उपयोग की शुरुआत की गई है। सहकारी समिति/संघ अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्यों से बेहतर संपर्क व संवाद स्थापित कर सुविधाओं को वास्तविक समय में उन तक पहुँचा रहे हैं। इससे सहकारी समितियों की कार्यकुशलता बढ़ी है। डेयरी में पानी के कुशल उपयोग और पुर्नउपयोग की विधियां लागू की जा रही हैं। अक्षय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए गोबर गैस प्लांट के साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

दूध उत्पादन में भारत विश्व का सिरमौर है। लगभग 210 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ विश्व के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 23 प्रतिशत है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अकेले डेयरी सेक्टर का योगदान पांच प्रतिशत आंका गया है। देश के लगभग आठ करोड़ परिवारों की आजीविका के स्रोत के रूप में डेयरी देश की अग्रणी आर्थिक गतिविधियों में से एक है। विश्व में दूध उत्पादन में वृद्धि की दर मात्र दो प्रतिशत है, जबकि भारत में यह छह प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर है। आज विश्व में भारतीय डेयरी उद्योग का परचम शान से लहरा रहा है और इसे भविष्य की 'वैश्विक डेयरी' के रूप में भी देखा जा रहा है। इन उपलब्धियों तक पहुँचने में भारतीय डेयरी ने एक लंबा और संघर्ष भरा रास्ता तय किया है।

आज़ादी के समय और उसके बाद लगभग दो दशकों तक दूध उत्पादन 17 से 20 मिलियन टन के बीच बना रहा। वर्ष 1950 के दशक में दूध उत्पादन में वृद्धि की दर 1.64 प्रतिशत थी, जो 1960 के दशक में घटकर मात्र 1.15 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1950–51 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता या खपत 124 ग्राम थी, जो 1970 में घटकर मात्र 107 ग्राम रह गई। दूध उत्पादन और खपत के संदर्भ में भारत की गिनती सबसे पिछड़े देशों में की जाती थी। दूध की कमी को पूरा करने के लिए दूध का आयात किया जाता था। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, क्योंकि भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक थी। आज भारत इस स्थिति से उबरकर डेयरी का विश्व गुरू बनने की राह पर है। वर्ष 2020–21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 427 ग्राम हो गई है, जो वैश्विक औसत से अधिक है।

इस क्रांतिकारी बदलाव के पीछे एक दूरदर्शी सोच, कारगर रणनीति, नीतिगत प्रोत्साहन और सभी संबंधितों का अथक परिश्रम रहा है। परंतु यदि सबसे बड़े और प्रभावी हस्तक्षेप को पहचानने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से डेयरी सहकारिता का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में डेयरी सहकारिता का विकास सामाजिक–आर्थिक नज़रिये से एक मील का पत्थर है, जिसने डेयरी उद्योग की पुरानी परिपाटी को बदलकर एक नई और उज्ज्वल राह दिखाई है। भारत की विश्व प्रसिद्ध 'श्वेतक्रांति' को साकार करने में भी डेयरी सहकारिता ने एक अहम् और प्रभावी भूमिका निभायी है।

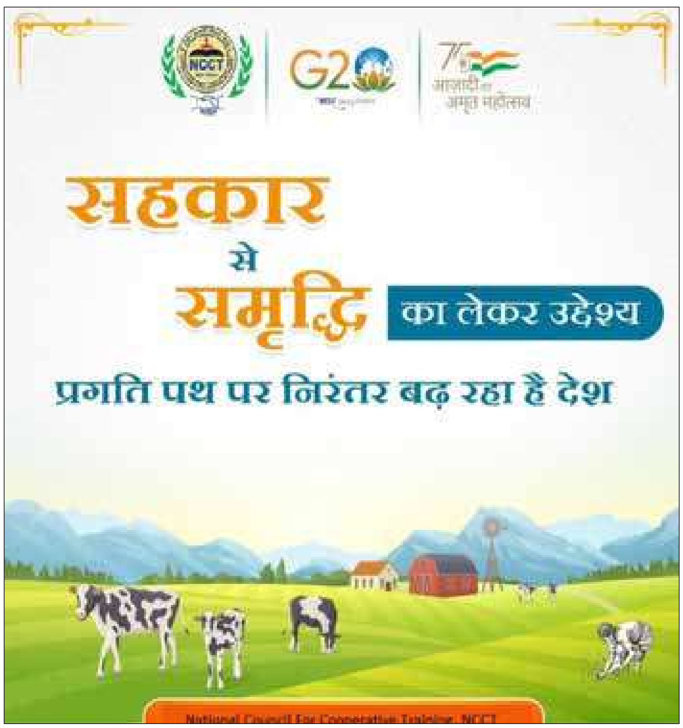

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक रह चुके हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

- *भारत में डेयरी सहकारिता संपूर्ण विश्व में सबसे अनूठी है और गरीब देशों के लिए यह एक उत्तम व्यावसायिक मॉडल है।*
- *डेयरी सहकारी संगठन देश के दो लाख से अधिक गाँवों में लगभग दो करोड़ किसानों से प्रतिदिन दो बार दूध संग्रह करते हैं।*
- *उपभोक्ताओं से प्राप्त मूल्य का लगभग 70 प्रतिशत डेयरी किसानों को प्राप्त होता है।*
- *डेयरी सहकारिता में महिला सदस्यों की संख्या एक तिहाई से अधिक है।*

– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
(स्रोतः इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भाषण, 12 सितंबर, 2022)

उदय और अवधारणा

आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने भारत के दूध उत्पादन व्यवसाय को केवल व्यावसायियों के हित के नज़रिये से देखा और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां बनाईं। सरकारी नीतियों में बिचौलियों को भी प्रश्रय दिया गया। इसका लाभ उठाकर पेस्टन जी एडुल जी ने 1915 में मुंबई में 'पोलसन' ब्रांड के डेयरी उत्पादों की श्रृंखला शुरू की और 1930 में इसके लिए आणंद (तत्कालीन खैरा) में एक विशाल डेयरी की स्थापना भी की। इसके माध्यम से स्थानीय डेयरी किसानों के आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया, क्योंकि किसानों के पास पोलसन डेयरी को दूध बेचने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। इससे किसानों के बीच असंतोष के स्वर उभरने लगे।

सरकार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खैरा के डेयरी किसानों ने संगठित होकर वर्ष 1946 में अपने सहकारी संगठन की शुरुआत करने का निर्णय लिया। सहकारिता के नेता और प्रणेता त्रिभुवन दास पटेल ने 'अमूल' (आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड) की नींव रखी। राष्ट्र के स्तर पर यह एक छोटा कदम था, परंतु इसने देश भर में सहकारिता की अवधारणा के प्रसार का काम किया। 'अमूल' का प्रदर्शन संतोषजनक था, परंतु इसके संचालन में व्यावसायिक या कहें पेशेवर अंदाज़ की कमी थी। इसलिए डेयरी किसानों को उतना लाभ नहीं मिल रहा था, जितना अपेक्षित था।

वर्ष 1949 में 'अमूल' में डॉ. वर्गीज़ कुरियन नाम के तकनीकी रूप से दक्ष एक नौजवान को लाया गया। उद्देश्य था 'अमूल' को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, इसे एक ब्रांड के रूप में विकसित करना और इससे जुड़े दूध उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आज हम देखते हैं कि डॉ. कुरियन ने न केवल इन उद्देश्यों को शानदार ढंग से पूरा किया बल्कि देश में डेयरी सहकारिता की मज़बूत नींव भी रखी, इसका प्रसार किया और 'ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनाया। इसीलिए डॉ. कुरियन को 'श्वेत क्रांति' के जनक के रूप में याद किया जाता है।

सहकारिता का मूलमंत्र है– सभी सदस्यों यानी डेयरी किसानों का आपसी सहयोग, समन्वय और संचालन में छोटे–बड़े के भेदभाव के बिना समान भागीदारी। डॉ. कुरियन ने इन मूलमंत्रों के साथ व्यावसायिकता का समावेश करके डेयरी सहकारिता का एक अत्यंत सफल मॉडल लागू किया, जो आणंद पैटर्न या आणंद मॉडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में देशभर में इसी मॉडल को अपनाया जा रहा है। यह एक समेकित सहकारी संरचना है, जो दूध का संग्रह, प्रसंस्करण और उत्पादों की बिक्री स्वयं करती है। कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञों की सलाह से डेयरी उत्पादक अपनी व्यावसायिक नीतियां स्वयं बनाते हैं और उत्पादन व मार्केटिंग के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। उन्हें वे सभी सेवाएं और सुविधाएं सहजता से उपलब्ध होती हैं, जिनका खर्च वे व्यक्तिगत रूप से वहन नहीं कर सकते।

इस प्रक्रिया के दौरान निर्मित सभी बुनियादी संरचनाओं पर डेयरी किसानों का अधिकार होता है। यह एक त्रि–स्तरीय संरचना या प्रणाली है। बुनियादी स्तर पर गाँव में एक डेयरी सहकारी समिति यानी डीसीएस गठित की जाती है। इसका सदस्य बनने के लिए डेयरी उत्पादक को समिति का एक शेयर खरीदना पड़ता है और गारंटी देनी पड़ती है कि वह दूध की बिक्री केवल समिति को ही करेगा। समिति द्वारा गाँव में एक संग्रह केंद्र स्थापित किया जाता है, जहां सभी उत्पादक एक निश्चित समय पर आकर केंद्र संचालक को दूध सौंप देते हैं। दूध की जांच कर उसमें उपस्थित वसा और एसएनएफ के आधार पर पूर्व निर्धारित मूल्य के अनुसार उत्पादक को भुगतान कर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष के अंत में डीसीएस द्वारा अर्जित कुल लाभ को सदस्यों के बीच बोनस के रूप में आनुपातिक आधार (दूध की कुल बिक्री मात्रा) पर बाँट दिया जाता है। संग्रह केंद्र पर बड़े दूध शीतलन पात्र (चिलर्स) लगाए जाते हैं, ताकि संग्रहित दूध खराब ना हो। दूसरे स्तर पर, ज़िलों में ज़िला सहकारी दूध उत्पादक संघ गठित किए जाते हैं, जिनमें गाँव स्तर की समितियां सदस्य होती हैं। संघ द्वारा समितियों का समस्त दूध खरीद लिया जाता है और

फिर इसे समय (मौसम) और स्थान की मांग के अनुसार या तो दूध के रूप में या इसके प्रसंस्करित उत्पाद बनाकर बेचा जाता है। अधिकांश संघों द्वारा गाँव की समितियों को गुणवत्तापूर्ण आदान (इनपुट्स) और सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे आहार या चारा, पशु के स्वास्थ्य की देखभाल, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवा। इसका उद्देश्य दूध के उत्पादन और गुणवत्ता को सतत् बनाए रखना है। संघ के कुशल कर्मियों द्वारा समितियों के कर्मियों को संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तीसरे स्तर पर ज़िले में सभी संघ संगठित होकर राज्य–स्तरीय महासंघ का गठन करते हैं। ज़िलों से प्राप्त दूध और दूध उत्पादों की बिक्री की ज़िम्मेदारी इसी महासंघ की होती है। कुछ राज्य महासंघ विशिष्ट डेयरी आदानों जैसे पशु आहार व पशु शेड के सामानों आदि का उत्पादन करके उचित कीमत पर ज़िला संघों को उपलब्ध कराते हैं। कुछ राज्य महासंघों और ज़िला संघों द्वारा डेयरी किसानों के कल्याण की योजनाएं भी चलायी जाती हैं।

बढ़ते कदम

डेयरी सहकारिता का 'आणंद पैटर्न' अपनी आश्चर्यजनक सफलता के कारण जल्दी ही देश भर में प्रसिद्ध और चर्चित हो गया। वर्ष 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 'अमूल' का भ्रमण करने आये और इसकी कार्यप्रणाली व व्यापक उपलब्धियों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने डॉ. कुरियन से देश भर में 'आणंद पैटर्न' पर सहकारी डेयरी संगठन गठित करने का अनुरोध किया ताकि देश दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर और अग्रणी बन सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अगले वर्ष 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की और इसका पहला अध्यक्ष डॉ. कुरियन को बनाया गया।

उन्होंने 'ऑपरेशन फ्लड' के नाम से एक कार्ययोजना तैयार की, जिसके केन्द्र में डेयरी सहकारी समितियां थीं। भारत सरकार के अन्य विभागों, संगठनों, संस्थानों आदि के सहयोग और समर्थन से इस कार्ययोजना को 1970 में लागू किया गया। विशेषज्ञों की सलाह व निर्देश तथा डेयरी किसानों के सहयोग से गाँवों में सहकारी डेयरी समितियों के गठन और संचालन का कार्य ज़ोर–शोर से चल निकला। ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण (1981–85) के दौरान 43,000 गाँवों में डेयरी सहकारी समितियों का गठन हुआ। तीसरे चरण (1985–86) के दौरान डेयरी सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने का कार्य किया गया और डेयरी सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 73,000 तक पहुँच गई। ऑपरेशन फ्लड से पूर्व 1968–69 में दूध उत्पादन 21.2 मिलियन टन था, जो 1989–90 में बढ़कर 51.4 मिलियन टन हो गया। भारत न केवल दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि कुछ देशों को दूध निर्यात भी करने लगा। देश की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को 'श्वेत क्रांति' का नाम दिया गया।

'ऑपरेशन फ्लड' के अंतर्गत एक 'नेशनल मिल्क ग्रिड' बनाकर दूध की अन्तरराज्यीय आपूर्ति की जाने लगी, जिससे देश भर में उचित कीमत पर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। दूध के व्यापार में बिचौलियों का अंत हो गया। इससे दूध की कीमत के मौसमी उतार–चढ़ाव पर भी नियंत्रण पाया गया, जो कई बार कृत्रिम होता था। इस तरह सामान्य उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बेहतर क्वालिटी का दूध और दूध उत्पादन मिलने लगे। दूध की खपत और माँग तेज़ी से बढ़ने लगी, जिससे देश पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर हुआ। डेयरी सहकारी समितियों की व्यावसायिक सफलता से यह निश्चित हो गया कि डेयरी किसान, दूध उत्पाद से लेकर संग्रह और वितरण व बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया को स्वयं संचालित करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इससे डेयरी/पशुपालन एक पूर्णकालिक स्वरोज़गार के रूप में स्थापित हुआ, विशेषकर ग्रामीण युवाओं में दूध व्यवसाय के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी।

सहकारिता में भागीदारी के समान अवसर मिलने के कारण केवल 2–3 पशुओं वाले छोटे एवं सीमांत किसान भी सहकारी समितियों के सदस्य बन गए। 'बूंद–बूंद से घट भरे' की कहावत को चरितार्थ करते हुए आज देश के कुल दूध उत्पादन में छोटे किसानों के योगदान को सराहा जा रहा है। भारतीय डेयरी उद्योग की पहचान चुनिंदा स्थानों पर विशाल उत्पादन से नही, बल्कि छोटी–छोटी मात्रा में पशुपालकों के विशाल समूह द्वारा उत्पादन से है। इसे भारतीय डेयरी उद्योग की विशिष्टता माना जाता है और इससे सतत् उत्पादन को एक मजबूत आधार भी मिलता है। भूमिहीन मज़दूर भी एक–दो पशु के साथ दूध उत्पादन कर रहे हैं। डेयरी सहकारिता में महिलाएं अहम् और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं। भारतीय डेयरी के कार्यबल में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं और डेयरी सहकारी समितियों में एक–तिहाई से अधिक महिलाएं हैं। इसलिए डेयरी सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण और महिला सशक्तीकरण का एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। हाल के वर्षों में महिला सहकारी डेयरी समितियां भी अस्तित्व में आईं हैं।

सहकारिता का मूलमंत्र

सहकारिता का मूलमंत्र है सभी सदस्यों यानी डेयरी किसानों का आपसी सहयोग, समन्वय और संचालन में छोटे–बड़े के भेदभाव के बिना समान भागीदारी। डॉ. कुरियन ने इन मूलमंत्रों के साथ व्यावसायिकता का समावेश करके डेयरी सहकारिता का एक अत्यंत सफल मॉडल लागू किया, जो आनंद पैटर्न या आणंद मॉडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में देशभर में इसी मॉडल को अपनाया जा रहा है। यह एक समेकित सहकारी संरचना है, जो दूध का संग्रह, प्रसंस्करण और उत्पादों की बिक्री स्वयं करती है।

डेयरी सहकारिता ने डेयरी किसानों और पशुपालकों को एक मंच पर संगठित करके उन्हें मोल–भाव करने की बेहतर शक्ति प्रदान की है। चारा/पशु आहार की खरीद हो या डेयरी उपकरणों की या फिर चिकित्सा सेवाएं, डेयरी सहकारी समितियों को ये सभी प्रतियोगी कीमतों पर प्राप्त हो रहीं हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ रहा है। भारत सरकार ने डेयरी सहकारिताओं के हित में एआई और टीकाकरण सुविधाएं सदस्यों के घरों तक पहुँचाईं हैं। गोपशुओं के आनुवांशिक सुधार द्वारा भी पशु उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। डेयरी सहकारिताओं को बुनियादी सुविधाओं के विकास और निर्माण के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में 16.3 मिलियन डेयरी किसान (कुल डेयरी किसानों के लगभग 20 प्रतिशत), जिसमें 48 प्रतिशत महिलाएं थीं, देश की लगभग 1,88,000 डेयरी सहकारी समितियों से संबद्ध थे। ये समितियां हर रोज़ औसतन 42.8 मिलियन लीटर दूध संग्रह करती थीं और 33.1 मिलियन लीटर दूध बेच देती थीं। इनकी दूध प्रसंस्करण की कुल क्षमता 66 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी। उल्लेखनीय है कि दूध के अलावा अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन और बिक्री भी डेयरी सहकारिता की व्यावसायिक सफलता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसलिए राज्य स्तर पर डेयरी सहकारी संगठन बड़े पैमाने पर घी, पनीर, चीज़, दही, मलाई, श्रीखंड आदि का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। कुछ डेयरी सहकारिताओं ने नवीन उत्पाद जैसे हल्दी दूध, अदरक दूध, फ्लेवर्ड दूध, भांति–भांति के योगर्ट, आर्गेनिक घी आदि का उत्पादन व बिक्री भी शुरू की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से मज़बूत हुई है।

डेयरी सहकारिताओं द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों के निर्यात की पहल भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल दूध उत्पादन का लगभग 52 प्रतिशत भाग बाज़ार में बेचा जाता है, जबकि शेष का उपयोग घरेलू स्तर पर कर लिया जाता है। बाज़ार योग्य दूध का लगभग आधा भाग डेयरी सहकारी समितियों और निजी कंपनियों द्वारा बिक्री के लिए संग्रह किया जाता है, जबकि आधा भाग असंगठित क्षेत्र द्वारा बाज़ार में पहुँचता है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2018–19)। इसलिए जहां एक ओर डेयरी सहकारी समितियों के कार्यकलापों में प्रसार की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर, अधिक से अधिक डेयरी किसानों को डेयरी सहकारी समितियों से जोड़ना भी आवश्यक है।

प्रोत्साहन और प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी सहकारिता द्वारा सामाजिक–आर्थिक उत्थान की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा डेयरी सहकारिता के प्रसार और सशक्तीकरण के लिए ऑपरेशन फ्लड के समय से ही योजनाएं व कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। बहुत पीछे ना जाएं तो राष्ट्रीय डेयरी योजना (मार्च, 2012 से नवंबर, 2019, प्रथम चरण) के अंतर्गत 18 प्रमुख डेयरी राज्यों में डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण दूध उत्पादकों को सीधे बाज़ार से जोड़ने का प्रयास किया गया, और इसके लिए गाँव के स्तर पर दूध की खरीद/संग्रह की सुविधाएं विकसित की गईं। लगभग 16.8 लाख अतिरिक्त दूध उत्पादकों को पंजीकृत किया गया, जिसमें 7.65 लाख महिलाएं थीं। लगभग 97,000 गाँवों में 59 लाख लाभार्थियों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया।

गुजरात के विशेष संदर्भ में देखा गया कि इस योजना के अंतर्गत जनजाति वर्ग के दूध उत्पादकों को डेयरी से संबंद्ध विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित भी किया गया। विश्व बैंक की सहायता से इस योजना का दूसरा चरण अप्रैल, 2023 से लागू किया जाना संभावित है। इस चरण में उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अभी भी डेयरी सहकारिता के विकास की संभावनाएं मौजूद हैं, जैसे उत्तर–पूर्व राज्य, उड़ीसा, झारखंड आदि। प्रथम चरण के 2,242 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले इसका कुल बजट लगभग 15,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

डेयरी की संभावना वाले कुल 3,20,000 गाँवों में से लगभग दो लाख गाँव प्रथम चरण में लाभान्वित हो चुके हैं। इस बार 1.20 लाख गाँवों में डेयरी सहकारिता के गठन और प्रसार का लक्ष्य है। दूसरे चरण में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और प्रसार का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए अलग से डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया हैं। इसके अंतर्गत 'नाबार्ड' द्वारा बाज़ार से ऋण लिया जाता है, जिसे योग्य डेयरी सहकारिताओं को 2.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ वितरित किया जाता है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य देश भर की डेयरी सहकारिताओं को प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और आधुनिक बनाना है। राज्य–स्तरीय डेयरी सहकारिताओं और डेयरी में संलग्न किसान उत्पादक संगठनों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से कोविड–19 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए की गई थी, परंतु अब इसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी लागू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बी–घटक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़े, परंतु डेयरी की बेहतर संभावना वाले ज़िलों में 'डेयरी सहकारिता–सतत् आजीविका का स्रोत' नामक एक नई योजना लागू की गई है। इसे 2021–22 से 2025–26 तक के लिए लागू किया गया है, और इसका 2027–28 तक विस्तार भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत डेयरी की सहकारी संस्थाओं को बाज़ार से जोड़ने, बुनियादी सुविधाओं के विकास और डेयरी उत्पादकों की क्षमता विकास का कार्य किया जा रहा है। इसके मुख्य घटक इस प्रकार हैं– दूध संग्रह की बुनियादी सुविधाओं का सशक्तीकरण; दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और दूध

उत्पादों के निर्माण व पशु आहार के निर्माण की सुविधाओं का विकास; बाज़ार संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास; आईसीटी सुविधाओं का सशक्तीकरण; उत्पादकता में वृद्धि; और प्रशिक्षण व क्षमता विकास। इन विभिन्न घटकों के लिए ऋण और अनुदान की समेकित व्यवस्था है।

वर्ष 2021 में भारत सरकार ने 'डेयरी सहकार योजना' नाम से एक अन्य कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य डेयरी सहकारिताओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से विभिन्न सहकारी पहलुओं में सशक्त करना है। इसके अंतर्गत योग्य डेयरी सहकारी समितियों को इन घटकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी—गौवंश का विकास; दूध का संग्रह, प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण; दूध और दूध उत्पादों का भंडारण व परिवहन; मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, ब्रैंडिंग और मार्केटिंग; तथा दूध उत्पादों का निर्यात।

भारत सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत भी डेयरी सहकारिताओं को पूंजीगत आर्थिक अनुदान और सस्ता ऋण देने की व्यवस्था की गई है। वस्तुतः डेयरी सेक्टर के विकास की सभी योजनाओं व कार्यक्रमों में डेयरी सहकारिता को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि इसे किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लक्ष्य में भी सहायक माना गया है। हाल में भारत सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से भी डेयरी सहकारिता को बल और गति प्राप्त हुई है। साथ ही डेयरी सहकारिता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी तथा सतत् बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। डेयरी के प्रचालन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और आईटी तकनीकों के उपयोग की शुरुआत की गई है। सहकारी समिति/संघ अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्यों से बेहतर संपर्क व संवाद स्थापित कर सुविधाओं को वास्तविक समय में उन तक पहुँचा रहे हैं। इससे सहकारी समितियों की कार्यकुशलता बढ़ी है। डेयरी में पानी के कुशल उपयोग और पुर्नउपयोग की विधियां भी लागू की जा रही हैं। अक्षय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए गोबर गैस प्लांट के साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता के मानकों को लागू करके स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन की तकनीकों को अपनाया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को दूध की उत्तम गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त किया जा सके। लक्ष्य यह है कि डेयरी सहकारी संगठनों के डेयरी उत्पाद बाज़ार में निजी क्षेत्र की डेयरी कंपनियों को उत्पादों को गुणवत्ता व कीमतों के स्तर पर कड़ी चुनौती दे सकें।

इन उपायों से देश के आम उपभोक्ता भी लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कीमतों के मौसमी उतार—चढ़ाव के बिना गुणवत्तापूर्ण दूध और अन्य डेयरी उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं।

भविष्य की ओर

भारत में डेयरी सेक्टर और डेयरी सहकारिता एक—दूसरे के समानांतर और पूरक रूप से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। हमारे देश में सहकारिता और निजी क्षेत्र एक—दूसरे के समन्वय और समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। वर्तमान में भारतीय डेयरी उद्योग/व्यवसाय का मूल्य 13 ट्रिलियन रुपये आंका गया है, जिसका अगले पांच वर्ष में दुगुना होने की संभावना बतायी गई है। वर्ष 2027 तक यह 30 ट्रिलियन रुपये हो सकती है। डेयरी सेक्टर में विकास की औसत दर 15 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि इसके कुछ विशिष्ट उत्पादों, जैसे आर्गेनिक दूध, चीज़, फ्लेवर्ड दूध, लस्सी, योगर्ट आदि में 20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। आशा है निकट भविष्य में ये उत्पाद डेयरी के विकास में अहम् भूमिका निभाएंगे।

जहां तक दूध उत्पादन का संदर्भ है, भारत द्वारा अगले 25 वर्ष में दूध उत्पादन का आंकड़ा 628 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगा और तब वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 45 प्रतिशत तक पहुँच जाने का अनुमान है जिससे अगले 25 वर्ष में भारत में दूध उत्पादन का कुल मूल्य 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो अभी 110 बिलियन डॉलर के आस—पास है। उत्पादन की इस ऊंचाई तक पहुँचने पर भारत के पास 110 मिलियन मीट्रिक टन दूध निर्यात के लिए उपलब्ध होगा, जिससे प्राप्त होने वाली संभावित विदेशी मुद्रा भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी। साथ ही, देश के डेयरी किसानों/दूध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में भी अहम् सुधार अपेक्षित है।

वर्ष 2024 तक देश के गाँवों में दो लाख नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन की भी संभावना है। भारत सरकार द्वारा पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हमारी दूध उत्पादन प्रणाली कुशल बन सके और हम प्रति इकाई संसाधनों से अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकें। पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक 100 प्रतिशत गोपशुओं को खुरपका—मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रयास यह है कि इस दशक के अंत तक हमारा देश इन रोगों के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त हो जाए।

हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने घातक लम्पी स्किन डिसीज़ के विरुद्ध बेहद कम समय में स्वदेशी टीका तैयर करने का कीर्तिमान बनाया है। कृत्रिम गर्भाधान के प्रसार, पशुओं के आनुवांशिक सुधार और देशी नस्लों के प्रोत्साहन द्वारा भी डेयरी उत्पादन को नई गति और ऊर्जा दी जा रही है। साथ ही, भारतीय डेयरी उद्योग अब खाद्य सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति भी पहले से अधिक सचेत और सतर्क है। स्वच्छता के सभी मानकों के कड़ाई से पालन के प्रयास किए जा रहे हैं। दूध और डेयरी उत्पादों की स्थानीय बाज़ार तथा अंतराष्ट्रीय बाज़ारों में बढ़ती मांग के कारण भारत में डेयरी सहकारीता एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है। डेयरी किसानों का सामाजिक—आर्थिक उद्धार इसी में निहित है। ❑

सहकारिता से ग्रामीण समृद्धि

– गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

सहकारिता हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापक और बहुमुखी भूमिका निभा रहा है। देश के 98 प्रतिशत गाँव सहकारी समितियों के नेटवर्क से आच्छादित हैं और भारत में वितरित कुल कृषि ऋण में 13.4 प्रतिशत हिस्सा सहकारी क्षेत्र का है। सहकारी क्षेत्र के पास करीब 23 मिलियन मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता है, जो देश की कुल भंडारण क्षमता का 14.8 प्रतिशत है लेकिन देश के ग्रामीण स्तर पर भंडारण सुविधा का 55.5 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कब्ज़े में है। सहकारिता 'उत्पादन से उपभोग तक' उद्यमिता का पूरा पारितंत्र उपलब्ध कराती है। यदि सहकारी संस्थाओं के समावेशी स्वरूप को संरक्षित कर उन्हें उद्यम व कारोबारी गतिविधियों से जोड़ने में उनकी मदद की जाए, तो यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी कायाकल्प कर सकती है।

सहकारिता न केवल विश्व का सबसे बड़ा उद्यमिता आंदोलन है, बल्कि सहकारी अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है, जो हर साल वैश्विक जीडीपी को 5 प्रतिशत सकल राजस्व उपलब्ध कराती है। कई देशों की जीडीपी में सहकारिता का व्यापक योगदान है। जीडीपी के अनुपात में सर्वाधिक वार्षिक आय अर्जित करने वाले दुनिया के शीर्ष देशों में न्यूज़ीलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, लक्ज़मबर्ग, जर्मनी, आयरलैंड आदि शामिल हैं।

सहकारिता, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भांति व्यवसाय का तीसरा क्षेत्र है, जो न तो प्राइवेट लिमिटेड है और न ही पब्लिक लिमिटेड है, बल्कि यह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आपसी सहयोग के लिए संगठित व्यक्तियों द्वारा स्थापित, संचालित और प्रबंधित उद्यम क्षेत्र है, जो संगठन के सदस्यों द्वारा लिमिटेड होता है। दुनिया के कई देशों में सहकारी अर्थव्यवस्था विकास का रोल मॉडल है, तो कई विकसित देशों में भी सहकारिता निर्णायक भूमिका निर्वहन कर रही है, जैसे जर्मनी के वैश्विक कारोबार में सहकारिता 15.9 प्रतिशत, जापान में 11 और यूएसए में 10.1 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। हमने देश में सहकारिता के प्राणक्षेत्र को बचाकर रखा है, जिसके चलते अमूल, इफ़्को, कृभको जैसे सहकारी संगठन अपने लाभांश सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचा कर भारत सरकार के 'सहकार से समृद्धि' का सपना साकार कर रहे हैं। देश के 91 प्रतिशत गाँव ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सहकारी समिति है।

सहकारिता 'सभी एक के लिए और एक सभी के लिए' सिद्धांत पर कार्य करता है। यह पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ की भावना पर आधारित है। यह सरकारी संस्थाओं, कंपनियों और फर्मों से भिन्न व्यक्तियों का एक स्वशासी संगठन है। सहकारिता समावेशी और संपोषणीय विकास का पर्याय है। शायद इसीलिए एसडीजी 8 को 2030 तक हासिल करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के विकास और विस्तार पर बल दे रहा है। एसडीजी 8 सभी के लिए बेहतर काम, पूर्ण व उत्पादक रोज़गार के साथ समावेशी और सतत आर्थिक विकास को समर्पित है। एसडीजी 8 के 12 उपलक्ष्य हैं और ये सभी सहकारिता से गहनता से संबद्ध हैं।

वैसे तो भारत में सहकारिता आंदोलन सौ साल से अधिक पुराना है, लेकिन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके तहत एक तो, 19(1)(सी) को संशोधित कर संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा, संविधान के भाग–4 के अनुच्छेद 43 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर लघु व कुटीर उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा। तीसरा, सहकारी समिति के नाम से संविधान में एक नया भाग IX–B जोड़ा गया है। इसके अलावा, संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची की प्रविष्टि 43 और 44 जबकि राज्य सूची की प्रविष्टि 32 में सहकारी समितियों का प्रावधान है।

वैसे तो संवैधानिक रूप से सहकारिता राज्य सूची का विषय है, लेकिन देश में सहकारी क्षेत्र के लिए विधिक ढ़ांचा केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उपलब्ध है। केंद्र स्तर पर बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 है, जो कई राज्यों में विस्तारित सहकारी समितियों पर लागू होता है। इसके तहत मार्च, 2022 तक 1481 समितियां पंजीकृत थीं। जबकि प्रदेश स्तर पर राज्य सरकारों के

लेखक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्रकूट में सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई मेलः gajendra10.1.88@gmail.com

अधिनियम लागू हैं, जैसे तमिलनाडु सहकारी समिति अधिनियम, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, बिहार सहकारी समिति अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम आदि विभिन्न राज्य सहकारी अधिनियमों के तहत 8 लाख से अधिक समितियां पंजीकृत हैं। उदाहरण के लिए 'नंदिनी दूध' कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम 1959, 'अमूल डेयरी' गुजरात सहकारी समिति अधिनियम 1961, 'बुंदेलखंड कृषि विपणन सहकारी समिति' उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत पंजीकृत हैं। हालांकि हर सहकारी समिति के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। प्रायः गांव के स्तर पर बने स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण नहीं होता है, क्योंकि एक तो, सहकारिता सामूहिक स्वामित्व के प्रबंधन पर आधारित है। दूसरा, सहकारी समितियों का गठन एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। पंजीकरण या कानूनी ढांचे की आवश्यकता तब पड़ती है, जब सरकार से कोई सहायता प्राप्त करनी हो या आयकर विभाग से कोई छूट लेनी हो।

22 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसमें सहकारिता का सर्वाधिक योगदान रहा है। यद्यपि सहकारी समितियां कुल उत्पादन का 9.5 प्रतिशत दूध खरीदती हैं लेकिन इनके द्वारा विपणन योग्य अधिशेष का 17.5 प्रतिशत दूध खरीदा जाता है और ये अपने उपार्जित कुल दूध में से 84.2 प्रतिशत तरल दूध का विक्रय करती हैं। देश का हर पांचवां मछुआरा सहकारी क्षेत्र से है, अर्थात् देश के कुल सक्रिय मछुआरों में से 20 प्रतिशत सहकारी समितियों से हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक व उपभोक्ता है और देश के कुल चीनी कारखानों की संख्या व चीनी उत्पादन में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 38.6 व 30.6 प्रतिशत है। वहीं देश के कुल उर्वरक उत्पादन और वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी क्रमशः 28.8 और 35 प्रतिशत है। यह देश की बाज़ार प्रणाली में भी अपनी प्रभावी भूमिका रखता है। देश के धान और गेहूं की खरीद में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 20.4 और 13.3 प्रतिशत है। जबकि उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध कराने वाली दुकानों में सहकारिता की हिस्सेदारी 20.3 प्रतिशत है।

सहकारिता और स्वयं सहायता समूहः– वैसे तो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह, किसान उत्पादक संगठन, प्राथमिक उत्पादक समूह, स्वैच्छिक सेवा समूह, कृषि उत्पाद समिति, परस्पर सहायता समिति, किसान उत्पादक कंपनी आदि सहकारिता के ही विविध रूप हैं। लेकिन कार्य संस्कृति और अवसंरचना की दृष्टि से सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों के बीच कई अंतर हैं। जैसे सहकारी समितियां पेशेवर लोगों का एक समूह है, जो सामान्यतः एक ही पेशे से संबंधित हैं। जबकि एसएचजी कमज़ोर आय वर्ग के लोगों द्वारा गठित समूह हैं, जो छोटी उद्यमिता के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हैं। सहकारी

समितियां औपचारिक प्रणाली का हिस्सा हैं जबकि एसएचजी क्षेत्र और आजीविका उद्यमिता केंद्रित होते हैं। सहकारी समितियां प्रायः सरकार के साथ पंजीकृत होती हैं, जबकि एसएचजी को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। सहकारी समितियों में एकत्रित संसाधन उच्च मूल्य के होते हैं जबकि एसएचजी में संग्रहित संसाधन आजीविका पर केंद्रित होते हैं।

सहकारिता एक ऐसा स्वशासी संगठन है जिसमें व्यक्ति अपने समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संयुक्त स्वामित्व व प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित संस्था के माध्यम से पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं। यह जाति या वर्ग के बंधनों से मुक्त एक सदस्य एक मत वाली लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रबंधन पर आधारित है। सहकारिता व्यक्तियों के सम्मान पर आधारित उद्यमिता है, इसलिए इसमें किसी देश की सामाजिक–आर्थिक दशाओं को सुधारने की अदम्य क्षमता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों को प्रजातांत्रिक तरीके से संचालित किया जाता है, जिससे अकर्मण्यता की बजाय कार्यकुशलता को बल मिलता है। यह प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग पर बल देती है। सहकारिता ईमानदारी, खुलापन, सामाजिक ज़िम्मेदारी, दूसरों का ध्यान रखना जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित है।

सहकारिता आर्थिक प्रणाली का तीसरा स्तम्भ है। जो किसी अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन की सामर्थ्य रखती हैं। इसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान किया है और इसमें एक छोटा उद्यम बहुराष्ट्रीय निगम तक बन सकता है, जैसे जापान की निप्पॉन, भारत की अमूल आदि। सहकारिता नियमों और सिद्धांतों की एक व्यवस्थित प्रणाली है, जो निर्णय निर्माण की लोकतांत्रिक

प्रणाली, एक स्थापित कार्य संस्कृति, व्यावसायिक नैतिकता और स्थापित मान्यताओं व मूल्यों के साथ उद्यमशीलता को आगे बढ़ाती है जबकि एसएचजी में नियमों और सिद्धांतों जैसा कोई सीमा बंधन नहीं है।

सहकारी समितियों में संसाधनों का उपयोग बड़े औद्योगिक उद्देश्य जैसे दाल मिल, चीनी मिल आदि की स्थापना में किया जाता है या संसाधनों को बड़े ऋणों हेतु संपार्श्विक के रूप में बैंकों में जमा किया जाता है। इसके अलावा, सहकारिता विभिन्न व्यवसायों का वित्तपोषण भी करती है। अतः सहकारी समितियां ऋणग्राही और ऋणदाता दोनों कार्य करती हैं, जबकि एसएचजी प्रायः स्वयं की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ऋणग्राही होते हैं और ऋण लेकर स्वरोज़गार के अवसर पैदा करते हैं। सहकारी समितियों का गठन इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपने संसाधनों को जमा कर सकें, लाभ कमा सकें और अर्जित लाभांश को आपस में साझा कर सकें अथवा अपनी आय में वृद्धि कर सकें, जबकि एसएचजी उन जगहों पर बनते हैं, जहां बैंक आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा उन लोगों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें बैंक प्रायः व्यक्तिगत ऋण नहीं देते हैं।

सहकारिता में सदस्यों के समूह को प्रायः समिति कहते हैं, जिसमें सभी एक ही पेशे से संबंधित होते हैं, और उत्पादन से उपभोग तक एक पूरी मूल्य श्रृंखला कायम करते हैं। जैसे शहरी सहकारी समितियां या ग्रामीण सहकारी समितियां या फिर इनके उद्यमिता आधारित स्वरूप जैसे श्रमिक सहकारी समितियां, उपभोक्ता सहकारी समितियां, बुनकर सहकारी समितियां, दुग्ध सहकारी समितियां, साख सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी समितियां आदि जिन्हें बिना किसी हड़बड़ी के आसानी से लोन मिल सकता है या ये म्युचुअल फंड की व्यवस्था कर सकती हैं। जबकि एसएचजी के मामले में यह सब लागू नहीं होता है, ये प्रायः विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित होते हैं और कम ब्याज दर पर ऋण के लिए रियायत पर निर्भर होते हैं। एसएचजी वित्त के लिए वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर होते हैं। जबकि सहकारी समितियां वित्त प्रणाली का हिस्सा भी हैं और वित्तीयन का स्रोत भी हैं। आज सहकारी बैंक और साख समितियां देश के लाखों एसएचजी का वित्त पोषण कर रहे हैं। एसएचजी 10–15 लोगों का समूह होता है, जबकि सहकारी समितियों में 10–15 से लेकर सैकड़ों–हज़ारों सदस्य हो सकते हैं।

सहकारिता और ग्रामीण औद्योगीकरणः– सहकारिता ग्रामीण औद्योगीकरण का स्वप्न साकार कर सकती है क्योंकि यह उद्यम, संस्कृति और टिकाऊ आजीविका पर बल देती है। सहकारिता से छोटे उद्यमों की संपर्क शक्ति बढ़ेगी। उन्हें विभिन्न नज़दीकी बाज़ार मिल सकेंगे, वित्त सुविधा मिलेगी और वे वृहद् स्तर पर काम कर सकेंगे। इससे वे अधिक रोज़गार दे सकेंगे। सहकारिता से बाज़ारों में आपसी साझेदारी बढ़ जाती है। नए उद्यमों और संसाधनों के बारे में ज्ञान के लिए सहकारी संपर्क अत्यंत आवश्यक हैं। छोटे उद्यम अगर बड़ी मशीनों का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें सहकारी संपर्क से तत्काल समाधान मिल सकता है। सहकारी प्रगति से लैंगिक भेदभाव भी खत्म हो गया है। एक नए या क्रांतिकारी विचार रखने वाला कोई भी पुरुष या महिला आसानी से उद्यम शुरू कर सकता है। सहकारिता से छोटे व मझोले उद्यमों में महिलाओं के लिए कई सुअवसर निश्चित किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। कृषि उत्पादन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहकारिता आधारित मॉडल सर्वाधिक अनुकूल एवं व्यवहार्य मॉडल हैं। सहकारिता ग्रामीण भारत को उद्यमोन्मुखी बनाकर न केवल समग्र विकास कर सकती है, बल्कि शहरों पर आबादी के अनावश्यक दबाव को कम कर शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुज़र रही है और बड़ी संख्या में मानव श्रम का स्थान मशीनें ले रही हैं। इस मशीनीकरण और ऑटोमेशन से हमारी बड़ी आबादी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जबकि सहकारिता ऐसी समस्याओं से निपटने में सक्षम है।

सहकारिता ने देश में उद्यमिता और औद्योगीकरण की कई मिसालें कायम की हैं। 1983 में स्थापित डेक्कन विकास समिति तेलंगाना के मेडक ज़िले में न केवल स्थानीय किसानों की मदद करने वाले विभिन्न फसल सुधार कार्यक्रमों और गतिविधियों पर कार्य कर रही है बल्कि खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिक कृषि व वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्रों में जनोन्मुख सहभागी विकास के लिए कार्यशील मॉडल पेश कर रही है। इसने भूमि से संबंधित गतिविधियों जैसे पर्माकल्चर, कम्युनिटी ग्रेन बैंक, कम्युनिटी जीन फंड, कम्युनिटी ग्रीन फंड और सामूहिक खेती के माध्यम से लोगों की श्रृंखलाबद्ध आजीविका प्रणाली कायम की है। इसने दलित गरीब महिलाओं और आदिवासी महिलाओं के संगम बनाकर न केवल उद्यमिता को आगे बढ़ाया बल्कि उनके सामुदायिक पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका को भी सुरक्षित किया है। इसने 2,700 से अधिक महिलाओं को अपने खेतों के साथ उद्यमी बनाया है, जबकि 30 गाँवों में महिलाएं सामूहिक खेती कर रही हैं और 5,000 से अधिक महिलाओं ने बाजरा आधारित एग्रोबायोडायवर्स खेती के दृष्टिकोण और रणनीतियों को अपनाया है। यह फिलहाल 75 से अधिक गाँवों में महिलाओं के बीच काम कर रहा है। इसी तरह, महाराष्ट्र में 2008 में स्थापित किसान उत्पादक कंपनी 'वसुंधरा' ने पहले ही वर्ष आम और काजू उत्पाद बेचकर करीब 340 लाख रुपये का व्यापार किया था। यह गरीब परिवारों, सीमांत किसानों और भूमिहीन लोगों को व्यापार साझीदार बनाकर आज 14 हज़ार सदस्य संख्या के साथ 258 गाँवों में विस्तारित है और इसके द्वारा करीब 5 हज़ार

हेक्टेयर में सामूहिक खेती की जा रही है। गुजरात के खेड़ा ज़िले में सीमांत किसानों को लंबे समय से अपनी ज़मीन से फायदा नहीं हो रहा था और इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए 'गंभीरा' संयुक्त खेती समिति का गठन किया गया। आज यहाँ के किसान 30 से अधिक समूहों में 235 एकड़ भूमि में संयुक्त खेती कर रहे हैं और समिति का हर किसान साल में मात्र 160–170 दिन काम करके 1 लाख रुपये कमा लेता है। यहां तक कि समिति ने अपने कारोबार को संभालने के लिए प्रबंधक, सुपरवाइज़र, ट्यूबवैल आपरेटर, ट्रैक्टर ड्राइवर, क्लर्क और चपरासी भी नियुक्त कर रखा है। धारानी सहकारी समिति, जो तेलंगाना में 'टिमबकटू कलेक्टिव' का हिस्सा है, ने उद्यमिता का विशाल नेटवर्क कायम किया है जिसमें महिलाओं द्वारा संचालित बैंक, शिक्षा कार्यक्रम, बुनकर समूह, जैविक खेती उत्पादक आदि शामिल हैं। केरल में 1995 में सरकारी बचत एवं साख समिति के रूप में गरीब महिलाओं के लिए 'कुटुंब श्री' बचत बैंक की स्थापना की गई, जिसने छोटी–छोटी बचतों को मिलाकर एक करोड़ रुपये की विशाल राशि एकत्र कर ली है। इसे अब सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है। इसमें 16 हज़ार से अधिक भूमिहीन महिलाएं 40 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त खेती कर रही हैं।

आज सहकारिता ने अपनी उद्यम संस्कृति से देश में हर तरफ आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की हैं, चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो या फिर उपभोग क्षेत्र हो, बैंकिंग, खुदरा, विपणन, आवास, कृषि, खरीद, निर्माण, आजीविका सहित उद्यमिता के हर क्षेत्र में सहकारिता का हस्तक्षेप है। भारत में सहकारिता श्वेत क्रांति की सफलता का आधार रही हैं और इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भी बनाया है। एक समय देश दूध की कमी से जूझा करता था, तब सहकारिता ने हर दिन 1 लीटर दूध बेचने वाले उत्पादकों को जोड़कर गरीब ग्रामीण किसानों पर केंद्रित एक बेहतरीन सहकारी मॉडल प्रस्तुत किया था। ऑपरेशन फ्लड के उस दौर से अब तक सहकारिता ने न केवल डेयरी में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उम्दा मिसालें कायम की हैं। सहकारिता में ग्रामीण औद्योगीकरण की असीम क्षमता है, क्योंकि इसने न केवल विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिताएं सृजित की हैं, बल्कि विशाल उद्यम भी खड़े किए हैं। सहकारिता ने अमूल को भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद विपणन संगठन बनाया है। आज यह 18,600 दुग्ध सहकारी समितियों का संघ है, जो 3.64 मिलियन दुग्ध उत्पादक सदस्यों से हर दिन करीब 25 मिलियन लीटर दूध खरीदता है।

वर्ष 2004 में चार आदिवासी किसानों ने मिलकर सिट्टिलिंगी आर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन (सोफा) बनाया था, जिसमें 2008 में किसानों की संख्या बढ़कर 57 हो गई और इसी वर्ष सोफा ने स्वयं को एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया, जिसका उद्देश्य जैविक खेती में आदिवासी किसानों को प्रशिक्षित और उन्हें अपनी फसलों के विपणन में मदद करना था। आज इसमें करीब 15,000 लोग हैं जिनमें से 4,000 किसान हैं, जो सिट्टिलिंगी और उसके आसपास की 1,200 एकड़ जमीन पर जैविक उत्पाद उगा रहे हैं। वर्ष 2008 में सोफा की आय एक लाख रुपये थी, जो 2018 में बढ़कर एक करोड़ रुपये हो गई।

सहकारिता और वोकल फॉर लोकलः– वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देकर उनकी विशिष्टता को देश–विदेश तक पहुँचाने का अभियान है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाना हैं। इससे एक तो विदेशी निर्भरता कम होगी और दूसरा, देश में आय, उत्पादन व रोज़गार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे। सहकारिता इसको सार्थक दिशा दे सकती है, क्योंकि 'वोकल फॉर लोकल', अर्थव्यवस्था के लिए तभी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, जब देश के लोगों में देशी उत्पादों के प्रति अपनापन हो, जैसा कि जापान के नागरिकों में है, और यह अपनापन सहकारिता से पैदा होता है, क्योंकि सहकारी उद्यमों में जो उत्पादक होते हैं, वही मालिक, विक्रेता और उपभोक्ता होते हैं। इसलिए उनमें उत्पादों के प्रति अपनापन होता है और वह उत्पादों की ब्रांडिंग भी करते हैं। इसके अलावा, सहकारी उत्पादों की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट होती है।

सहकारिता में आत्मनिर्भरता आह्वान नहीं बल्कि एक आदत है, और यह आदत ही स्थानीयता को ब्रांड में बदलती है। सहकारिता ने देश के दुग्ध क्षेत्र में 'वोकल फॉर लोकल' को चरितार्थ करके दिखाया है। सहकारिता के चलते आज देश के हर राज्य में दूध का अपना ब्रांड है। जैसे जम्मू–कश्मीर में स्नोकप, पंजाब में वर्का, हरियाणा में वीटा, हिमाचल में हिम, दिल्ली में मदर डेयरी, उत्तराखंड में आंचल, उत्तर प्रदेश में पराग, मध्य प्रदेश में सांची, राजस्थान में सरस, गुजरात में अमूल, महाराष्ट्र में गोकुल, नंदन, किसान, छत्तीसगढ़ में देवभोग, झारखंड में मेधा, बिहार में सुधा, असम में पूरबी, नगालैंड में केवी, त्रिपुरा में गोमती, मिज़ोरम में मुल्को, ओडिशा में ओमफेड, आंध्र में विजया, कर्नाटक में नंदिनी, केरल में मिल्मा, तमिलनाडु में आविन आदि सहकारिता के स्थापित ब्रांड हैं। इसी तरह, कई क्षेत्रों में सहकारिता ने लोकल उत्पादों की राज्य और राष्ट्र स्तर पर ब्रांडिंग की है। हर ब्रांड पहले लोकल ही होता है, बाद में ग्लोबल ब्रांड बनता है, और हमारी सहकारिता ने कई लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाया है। पहले खादी भी लोकल थी, लेकिन अब यह ब्रांड है। चूंकि आज देश में सहकारिता हर क्षेत्र में अपनी पहुँच कायम किए हुए है, इसलिए यदि वोकल फॉर लोकल के लिए सहकारिता को आवश्यक समर्थन दिया जाए तो यह इसे आंदोलन में बदलने की सामर्थ्य रखती है और यह स्थानीयता के प्रति लोगों में जापान के नागरिकों जैसा अपनापन या देशभक्ति भी पैदा कर सकती है।

सहकारिता और ग्रामीण समृद्धिः– मौजूदा निष्ठुर पूंजीवाद ने हमारी जीवनशैली और जीविका दोनों को न केवल बाज़ारू बनाया है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने–बाने को भी नष्ट कर रहा है। सहकारिता इसे पुनर्स्थापित कर सकती है क्योंकि सहकारिता का आधार हर क्षेत्र में सहयोग है। इसमें विद्वेष, हिंसा और गलाकाट प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है। यह सहयोगमूलक व्यवस्था पर आधारित उद्यमिता का समर्थन करती है। जैसे 63 साल पहले 15 मार्च, 1959 को 7 गरीब महिलाओं ने महज 80 रुपये में पापड़ बनाने का कार्य आरंभ किया था। अब यह 'लिज्जत पापड़' के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका टर्नओवर 1600 करोड़ रुपये से अधिक है। आज 'लिज्जत पापड़' ब्रांड देश भर की 45 हज़ार से अधिक महिलाओं को रोज़गार दे रहा है और 25 देशों में व्यवसाय कर रहा है। सहकारिता की इससे उम्दा मिसाल और क्या हो सकती है!

पूंजीवादी प्रथाओं ने हमारी कृषि और किसान दोनों को समस्याग्रस्त बना दिया है, जबकि सहयोगमूलक उत्पादन व उपयोग ही कृषि समस्या का एकमात्र व्यावहारिक उपाय है। आज गाँव और किसान दोनों की आशा सहयोग पर टिकी है। हमारे किसानों की विपन्नता का कारण ग्रामीण उद्योग–धंधों व कुटीर उद्योगों का अभाव रहा है। जबकि सहकारिता को प्रोत्साहित करके न केवल कृषि और किसान दोनों की समस्याओं का एक साथ समाधान किया जा सकता है, बल्कि गाँव और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। ग्रामीण संकुलों में लघु व मध्यम स्तरीय कृषि, फलोत्पादन, औषधि उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दस्तकारी (कुम्हारी कला, चर्म कला, खाद्य तेल उत्पादन, हथकरघा, सूत कताई, गुड़ उत्पादन) आदि आधारित सहकारी उद्यमों को स्थापित कर समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चूंकि सहकारिता में व्यक्ति उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। इसलिए इसमें गुणवत्ता की गारंटी भी होती है और सहयोग की भावना भी, जो इसे पूंजीवादी प्रथाओं से अलग करती है। ऐसी व्यवस्था में गाँव के सभी परिवारों के वयस्क उत्पादन प्रक्रिया, उप–उत्पाद, प्रसंस्करण, भंडारण, विक्रय, मानव–वित्त सामग्री प्रबंधन आदि पर निर्णय लेते व कार्यान्वयन करते हैं, जिसमें बड़े उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है।

अभी गाँवों में या कृषि क्षेत्र से जो उत्पादन होता है, या जो प्रसंस्कृत माल बाज़ार में बिकता है, उसका 90 प्रतिशत मूल्य बड़े औद्योगिक व कॉरपोरेट घराने ले लेते हैं। कच्चा माल उत्पादक किसान या ग्रामीण उस समग्र मूल्य का 10 प्रतिशत ही पाता है और उत्पादक होने के बावजूद गरीब बना रहता है जबकि उसी उत्पादन के दम पर बड़े औद्योगिक घराने धनकुबेर बन रहे हैं। यदि उत्पाद, उप–उत्पाद व प्रसंस्करण हेतु सहकारी उद्यम स्थापित कर उनके प्रबंधन, भंडारण, विक्रय आदि कार्य ग्रामीण और किसान स्वयं करें, तो वे न केवल अतुलनीय संपदा के स्वामी होंगे बल्कि बेरोज़गारी, आत्महत्या, कृषि से पलायन जैसी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। सहकारिता से लघु व मध्यम–स्तरीय उद्यमों में समृद्धि व रोज़गार देने की असीम क्षमता है। बेरोज़गारी की समस्या विभिन्न अपराधों व हिंसक आंदोलनों की ओर ले जा रही है जबकि सहकारिता शांति व सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। इससे जो सहयोग का मंच ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होगा, वह जातीय–सांप्रदायिक विद्वेष को भी समाप्त करेगा।

सहकारिता में हमारी सभी समस्याओं के समाधान मौजूद हैं, क्योंकि इसके आधारभूत मूल्य स्वयं सहायता, स्व–उत्तरदायित्व, प्रजातंत्र, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, समानता, साम्यता और एकता हैं। सहकारिता हमें आपस में मिल–जुलकर काम करना सिखाती है। चाहे गाँव के मुकदमों का निपटारा हो, गाँव की शिक्षा का प्रबंधन हो, आवश्यक वस्तुओं की खरीद व बिक्री आदि सबको उद्यमी व ग्रामीण अपनी पंचायत और सहयोग समितियों द्वारा कर सकते हैं। सहकारिता से हम आत्मनिर्भर बनकर 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार कर सकते हैं। इससे समाज और विकास दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि सहकारिता से केवल आर्थिक लाभ ही नहीं मिलता है, बल्कि नवीन सामाजिक संबंधों का एक संस्थान भी तैयार होता है जो प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर आधारित है और यह जनता में भ्रातृत्व उत्पन्न करता है। आज़ादी से अब तक हम 'आत्मनिर्भर' नहीं हो पाए, क्योंकि एक तो संपत्ति का केवल कुछ हाथों में केंद्रित होना, गरीबी, अभावग्रस्तता, आत्महत्या, पलायन, जाति–संप्रदाय–धर्म आधारित द्वेष व हिंसा, अपराधीकरण, असुरक्षा की आदि समस्याएं भयंकर रूप ले रही हैं; दूसरा, हम आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं वाली विकास पद्धति के भ्रमजाल में फंस गए और लघु, कुटीर व मध्यम स्तरीय उद्यमों की स्थापना व उनके विकास का कार्य हाथ में नहीं लिया, जिससे समस्याओं की गर्दिश में उलझ गए हैं। जबकि हमारे पास सर्व समाधान वाला सहकारिता का विकास मॉडल पहले से मौजूद था जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, स्वायत्तता, जनशिक्षा व सर्वजन का विकास निहित रहा है।

सहकारिता और आत्मनिर्भर भारत– आत्मनिर्भर भारत का आशय न तो आत्म–केंद्रित होने से और न वैश्वीकरण के बहिष्करण से है, बल्कि यह स्वदेशी के समर्थन से आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास है। आत्मनिर्भर का मतलब आय, उत्पादन और आजीविका के स्तर पर सक्षम और सशक्त होना है, जो सहकारिता के माध्यम से सुगमता से हासिल हो सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ– आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचा, तंत्र, जीवंत प्रजातंत्र और मांग हैं। इन सभी स्तंभों को समग्रता से समर्थित करके सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकती है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की सफलता स्थानीय उद्यमों और उत्पादों की सफलता पर टिकी है।

भारत तभी आत्मनिर्भर हो सकता है, जब उसके गाँव आत्मनिर्भर होंगे और गाँवों का आत्मनिर्भर होना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, विस्तार व सामर्थ्य पर निर्भर है। इसलिए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पेशेवर बनाना होगा। यह काम तीन तरीके से संभव है– सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व मध्यम उद्यमों का विकास कर सकती है, जोकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मात्र सरकारी प्रयासों से हम 'आत्मनिर्भर' नहीं हो सकते। दूसरा, निजी क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की ज़िम्मेदारी सुपुर्द करनी है, लेकिन गाँवों के विकास में निजी क्षेत्र की कोई रुचि नहीं है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से पेशेवर उद्यमिता का पारितंत्र कायम किया जा सकता है। चूंकि भारत में जलवायु विविधता के साथ संसाधन सुलभता और कलात्मक विविधता भी है, जो गाँव और क्षेत्र के अनुसार परिलक्षित होती है। इसलिए ग्रामीण विकास का कोई भी एकीकृत या देशव्यापी मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ सभी जगह समान रूप से तारतम्यता कायम नहीं कर पाता है। लेकिन यदि विकास के एकीकृत मॉडल को *टॉप डाउन* की बजाय *बॉटम अप* के रूप में प्रोत्साहित किया जाए, तो गाँवों को आसानी से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और यह सहकारिता के माध्यम से संभव है, क्योंकि यह गाँवों में ही विकास के लिए पारितंत्र उपलब्ध करा सकती है। जैसे गाँव आधारित पौष्टिक खाद्य संस्कृतियों का पेशेवर विकास, हस्तकला, शिल्प, चिकनकारी, हथकरघा आदि अनेक ऐसे उत्पाद हैं, जो अपनी पहचान खो रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हैं, जिन्हें सहकारिता के माध्यम से पेशेवर उद्यमिता उपलब्ध कराकर पुनर्जीवित किया जा सकता है। आगे सहकारिता समर्थित ग्रामीण उद्यमिता या व्यावसायिक गतिविधियों को सरकार समर्थित ज़िला स्तरीय योजनाओं से संबद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इन्हें 'एक ज़िला एक उत्पाद' योजना से जोड़ा जा सकता है, जोकि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक योजना है। यह देश के 35 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 713 ज़िलों में संचालित है।

सहकारिता और बैंकिंग सुगमता– सहकारिता केवल उद्यमिता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी संस्थाएँ देश भर में बैंकिंग, वित्तीयन, पुनर्वित्त क्षेत्रों में क्रेडिट सोसाइटियों के रूप में फैली हुई हैं। जैसे ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) हैं, जो किसी विशेष गाँव की ऋण माँग का अनुमान लगाती हैं और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) से ऋण प्राप्त करती हैं। साख समितियों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विपणन समितियाँ भी हैं। देश में सहकारी बैंकिंग की बहुस्तरीय संरचना है, जिसमें ग्रामीण सहकारी बैंकों की भूमिका निर्णायक रही है। यद्यपि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं अपने परिचालन हेतु उधार पर अधिक निर्भर हैं लेकिन किसानों को फसली ऋण, ग्रामीण शिल्पियों को कार्यशील उधार, छोटे उद्यमियों को पूंजीगत ऋण, ग्रामीण विकास, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, लघु सिंचाई, ग्रामोद्योग आदि के लिए वित्त पोषण व प्रवाह का प्रभावी माध्यम हैं। मार्च, 2021 तक ग्रामीण वित्त प्रणाली में 95,509 पैक्स, 351 डीसीसीबी और 33 राज्य सहकारी बैंक सहित कुल 96,508 सहकारी बैंक कार्यशील थे।

वित्त वर्ष 2021–22 में सहकारी बैंकों ने जमीनी–स्तर पर 1.18 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण निर्गत किया था, जिसमें से ऋण लेने वाले 1 करोड़ 96 लाख लघु व सीमांत किसान थे। सहकारी संस्थाओं की पहुँच को पैक्स प्रणाली से समझ सकते हैं, जिनमें मार्च, 2020 तक 13 करोड़ 82 लाख सदस्य थे, जिसमें 10 करोड़ 49 लाख लघु व सीमांत किसान थे, जबकि 5 करोड़ 26 लाख उधारकर्ता थे। इस तरह, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं से वंचितों, कृषकों, गरीब ग्रामीणों, श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों, भूमिहीन कृषकों को वित्त व बैंकिंग की परिधि में लाने का उम्दा प्रयास किया है। समाज के कमज़ोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने व वित्तीय मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विकास व वित्तीय समावेशन में इनकी विशिष्ट भूमिका रही है, और आज भी है।

सहकारिता के प्रोत्साहन हेतु सरकारी प्रयास– वैसे तो आज़ादी के बाद सहकारिता को समर्थ आंदोलन बनाने के प्रयास 2 अक्तूबर, 1952 को शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम से शुरू हो गए थे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता में सहकारिता का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन सहकारिता कभी भी हमारी नियोजित विकास प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रही है और नीतिगत योजनाओं में भी कभी विशेष महत्व नहीं दिया गया है, जिसके चलते इसकी संभाव्य क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया है। लेकिन मोदी सरकार के विकास मॉडल में सहकारिता को 'सहकार से समृद्धि' का आधार माना गया है, जिसके चलते हाल के वर्षों में सहकारिता के विकास पर अधिक समग्रता से प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया है, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मंत्रालय सहकारिता को असली जनांदोलन के रूप में समाज की जड़ों तक ले जाने में सहायक होगा। यह मंत्रालय सही मायनों में सहकारी संघवाद की भावना स्थापित करने के लिहाज से सहकारिता का एक अग्रदूत साबित होगा।

भारत सरकार ने तृणमूल स्तर पर सहकारिता को मज़बूत करने के लिए अगले 3 वर्षों में 63 हज़ार प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण हेतु 2516 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और परंपरागत भूमिकाओं के अतिरिक्त पैक्स के क्रियाकलापों में 25 नई गतिविधियों को शामिल किया गया

है, ताकि वे परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप मांगों को पूरा कर सकें। इसके अलावा, सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर बतौर क्रेता पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की गई है। कर रियायतों के तहत सरकार ने 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक आय अर्जन वाली सहकारी समितियों पर अधिभार को 12 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि सभी सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5 से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। चीनी सहकारी मिलों को किसानों के गन्ने का अधिकतम मूल्य चुकाने पर देय अतिरिक्त आयकर मुक्त कर दिया गया है। सहकार आधारित विकास मॉडल को गति प्रदान करने हेतु सहकारी संस्थानों को पर्याप्त, किफायती और ससमय ऋण उपलब्ध कराने के लिए 'गारंटी फंड ट्रस्ट योजना' में सदस्य उधारकर्ता संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) वित्तपोषण द्वारा देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। यह राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय और वित्तपोषण का काम करता है। सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में एनसीडीसी देश में सहकारी उद्यमिता का पारितंत्र विकसित करने वाली परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है। जैसे सहकारी उद्यम सहयोग व नवाचार में 'युवा सहकार', स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को कवर करने वाली 'आयुष्मान सहकार' महिला सहकारी समितियों की सहायता के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

कुल मिलाकर वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम अपनी अतिशय प्रतिबद्धता के कारण सफल सिद्ध नहीं हो रहे हैं और निजी उपक्रमों में सामाजिक दायित्वों व प्रतिबद्धताओं के प्रति मानसिक तत्परता का अभाव रहा है। ऐसे में सहकारिता देश के विकास की समावेशिता और संपोषणीयता का प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकती है जिसमें एक साथ गरीबी से लड़ने, टिकाऊ आजीविका देने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और रोज़गार सृजित करने की असीम क्षमता विद्यमान है। सहकारिता उत्पादन से उपभोग तक उद्यमिता का पूरा पारितंत्र उपलब्ध कराती है। यदि सहकारी संस्थाओं के समावेशी स्वरूप को संरक्षित कर उन्हें उद्यम व कारोबारी गतिविधियों से जोड़ने में उनकी मदद की जाए, तो यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी कायाकल्प कर सकती है।

सहकारिता न केवल व्यवस्था में एकाधिकार के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाती है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में सभी की सहभागिता भी सुनिश्चित करती है। सहकारिता ने जिस तरह थाइलैंड में हस्तकला, इंग्लैंड में आवासन, माल्टा में दुग्ध क्षेत्र, साइप्रस में फलोत्पादन और न्यूज़ीलैंड में कृषि क्षेत्र को उल्लेखनीय उत्कर्ष दिया है; उसी तरह भारत भी अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुमुखी उत्कर्ष हासिल कर सकता है। इसलिए गाँवों में उद्यम संस्कृति के विकास व मानवीय संबंधों को बदलने हेतु सहकारिता की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है। हालांकि लोग सरलता से सहकारिता को नहीं अपनाएंगें, उन्हें समझा–बुझाकर, प्रचार व प्रोत्साहन के द्वारा इसकी उपयोगिता स्थापित करनी होगी। गाँव के लोग अनुभव से सीखते हैं और यदि उनको सहकारी प्रणाली की श्रेष्ठता का विश्वास हो जाए, कि इससे अच्छी उपज और अपनी पैदावार का अच्छा दाम प्राप्त होता है तो वह तत्परतापूर्वक इसे अपना सकते हैं। ❑

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

फरवरी 2023 - अक्षय ऊर्जा

हमारी पत्रिकाएँ

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अँग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है- **संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003**

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

कुल पृष्ठ : 52
आई.एस.एस.एन. 0971-8451
प्रकाशन की तिथि: 1 जनवरी 2023
डाक द्वारा जारी होने की तिथि : 5-6 जनवरी, 2023

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.
DL(DS)-49/MP/2022-23-24 (Magazine Post)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित

रु. 12/-

रु. 22/-

रु. 15/-

सम्पर्क

रोज़गार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रकाशक और मुद्रक: अनुपमा भटनागर, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : विबा प्रेस प्रा. लि., सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना